राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का १४वां दिवस [संख्या ९

मंगलवार, दिनांक ८ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९, में गेम्बलिंग रिंग स्टाल

२६५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Public Relations Minister be pleased to state:—

Is it correct that in Rajasthan Exhibition, 1959, a gambling ring stall was permitted to operate ? If so, whether the permission of the Collector, Jaipur, was obtained prior to allowing the operation of this gambling ring ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : No. Question does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : Was there no Gambling ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप उसे गेम्बलिंग समझ रहे है, लेकिन वह गेम्बलिंग है नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : What was that, then ?

श्री अध्यक्ष : आप किसके बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : About the game ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका प्रश्न है 'क्या वह गेम्बलिंग था'। मैंने कहा 'नहीं।'

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। वह गेम्बलिंग नहीं था, तो क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह गेम्बलिंग नहीं था It was a game of skill.

Page No.2

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : What is the game of skill.

श्री पी० के० चौधरी : Was it not a game of mere chance ?

श्री जनार्दनराय नागर : There was a gambling ring. What is the difference between the game of chance and game of skill ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Does this not fall within the definition of Law ?

श्री रामकिशोर व्यास : नो सर, लॉ में फाल करता तो फिर क्या बात थी ?

श्री पी० के० चौधरी : Then, what type of play it was ?

श्री अध्यक्ष : Game of skill.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उस गेम का नाम क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका नाम हूपला था। वैसे आप अगर और जानकारी चाहें तो मैं बता सकता हूं कि दिल्ली वगैरह में भी एग्ज़ीबिशन में इस प्रकार का गेम था।

श्री मुरलीधर व्यास : होता है, यह मान लें; लेकिन इसमें नई चीज क्या थी ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Did the Hon'ble Minister take part in it ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बहुत अदब के साथ अर्ज किया कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चान्स में फर्क होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या फर्क होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक स्किल के ऊपर डिपेन्ड करता है और दूसरा चान्स पर डिपेन्ड करता है।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that on enquiring nto the matter, the reply given by the Departmental officer was that it was a game of chance.

श्री रामकिशोर व्यास : No.

श्री पी० के० चौधरी : He reported that it was a game of chance.

श्री रामकिशोर व्यास : Who ?

श्री पी० के० चौधरी : Enquiry office...

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी ऑफिसर के कहने से क्या होता है ?

श्री श्रीभानसिंह : Did the exercise of skill brought into some remuneration ?

श्री रामकिशोर व्यास : Might have.

श्री श्रीभानसिंह : Did this depend on chance.

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास : चान्स होता है तो गेम्बलिंग होता है।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार किसमें विश्वास रखती है, बुद्धि के खेल में....

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें क्या पोइन्ट है....

श्री मुरलीधर व्यास : जुआ चला है वहां पर।

श्री रामकिशोर व्यास : कौन कहता है, जुआ चला है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो देखने गये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that this Stall was given to the owners of stall on...

श्री रामकिशोर व्यास : पहले किस रेट पर दिया है।

श्री अध्यक्ष : That might be by chance.

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार किसमें विश्वास रखती है, बुद्धि के खेल में या जुए में ?

श्री रामकिशोर व्यास : बुद्धि के खेल में।

श्री अर्जुनदास : Is it correct that the Hon'ble Minister also played that game?

श्री अध्यक्ष : He did not have as much skill.

श्री रामकिशोर व्यास : यह जनाब का इजाद कब से शुरू हुआ, ख्याल का ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी : २६६।

उनियारा गर्ल्स स्कूल में ट्रेन्ड अध्यापिका की व्यवस्था

२६६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** [(उनियारा) श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उनियारा के गर्ल्स स्कूल में कितनी छात्रायें हैं और किस किस योग्यता की कितनी अध्यापिकायें हैं ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त गर्ल्स स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिये कोई ट्रेन्ड अध्यापिका को वहां भेजने का प्रबन्ध करेगी ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) ७३ छात्रायें हैं। एक प्रवेशिका और एक लोअर मिडिल पास अध्यापिकायें हैं।

(ग) अगले सत्र से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापिका उपलब्ध होने पर इस शाला में भेजने का प्रयास किया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या ट्रेन्ड अध्यापिकायें न होने के कारण अभी तक ट्रेन्ड अध्यापिकायें प्राप्त नहीं होती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : काफी संख्या में प्राप्त नहीं हो रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : कम से कम ट्रेन्ड अध्यापिकायें रखने में दिक्कत है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जवाब दिया कि अगले साल तक ट्रेनिंग पाकर अध्यापिकायें आयेंगी, उनका पोस्टिंग करने का प्रयत्न करेंगे।

प्रश्न संख्या २६७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

झुंझुनूं में मेहतर कॉलोनी बसाने हेतु ऋण

२६८. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि झुंझुनूं मेहतर कॉलोनी बसाने के लिये जिलाधीश झुंझुनूं ने मौका देखा था और स्थान भी तय किया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में आबाद होने के लिये भंगियों ने राजस्थान सरकार से मकान बनाने के लिये ऋण के प्रार्थना–पत्र दिये थे ?

(३) अगर हां, तो उनके प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां। झुंझुनूं व रेल्वे स्टेशन के बीच की पड़त जमीन देखी गई थी।

(२) जी हां। २० हरिजनों ने जिलाधीश झुंझुनूं को मकान बनाने हेतु ऋण मंजूर किये जाने के प्रार्थना पत्र दिये थे।

(३) ११ हरिजनों ने प्रार्थना पत्र-मियाद निकलने के बाद में पेश किये, २ हरिजनों ने ऋण लेने से इंकार कर दिया, ५ हरिजनों को तख्मील दरख्वास्तें कराने को बुलाया गया किन्तु वे हाजिर नहीं हुए; इस कारण ऋण नहीं दिया गया। २ हरिजनों को ऋण मकान बनाने हेतु दिया गया।

श्री लच्छूराम : क्या रेल्वे स्टेशन व झुंझुनूं के बीच में जो जगह है, उसको म्युनिसिपैलिटी दूसरे आदमियों को बेच रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी नहीं है। आपने पूछा था कि आया कोई जमीन मेहतरों के मकान बनाने के लिए वहां पर निर्धारित की गई थी। मैंने कहा, 'जी हां, दी गई थी'।

श्री लच्छूराम : निर्धारित जमीन की गई उसको म्युनिसिपैलिटी बेच रही है दूसरे आदमियों को ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह आपने सूचना दी है, उसकी जानकारी लेकर जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

Page No.5

लालसोट में बिजली उपलब्ध कराने में प्रगति

२६६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) लालसोट में बिजली पहुंचाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(ख) गड़े हुए खम्भों पर तार कब तक खिच जावेंगे और कस्बे में बिजली कब तक उपलब्ध हो जायगी ?

(ग) इस कार्य में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

(घ) क्या चाकसू में भी बिजली पहुंचाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) नौ मील छोड़ कर इस लाइन पर सब खंभे खड़े कर दिये गये हैं।

(ख) जयपुर में ५,००० किलोवाट के सेट चालू हो जाने के बाद इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जावेगा और उसी समय तार खींचे जावेंगे।

(ग) जयपुर में बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण।

(घ) चाकसू में बिजली पहुंचाने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : प्रथम पंच वर्षीय योजना में यह काम पूरा हो जाना था, दूसरी पंच वर्षीय योजना में भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा झूठा आश्वासन दिया गया था। अब यह बताया जाता है कि ५००० किलोवाट का इंजिन नहीं आया है, जब आयेगा तब पूरा होगा ....

श्री अध्यक्ष : अभी इंजिन कहां आया है, इंजिन कहां लगा है ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इंजिन पांच-सात महीने हुए आ गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझा नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि पांच हज़ार किलोवाट का इंजिन आ गया है, फिर भी बिजली नहीं मिली है।

श्री हरिश्चन्द्र : वह लगाया जा रहा है, लगने पर बिजली मिल जायगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कोई डेट निर्धारित की होगी कि इस तारीख तक जेनरेटर लग जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीभानसिंह : कोशिश गवर्नमेंट कर रही है तो कोई तारीख तय की होगी कि इस तारीख तक जेनरेटर सेट अप हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : अक्टूबर १९६० तक, कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीभानसिंह : अक्टूबर १९६० तक होगा; is the Government in a posi-

Page No.6

(श्री श्रीभानसिंह)

tion to say that इस समय तक बिजली पहुंच जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र: ऐसा है कि डी. डब्ल्यू. पी. सी. से लोड इन्सपेक्शन कराया जाता है, जब लोड जस्टीफाई होगा then we will take up.

श्री श्रीभानसिंह : गवर्नमेंट ने इन्क्वायरी नहीं कराई कि बिजली देने से पहले लोड जस्टीफाई करते हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : लोड के जस्टिफिकेशन के लिए सर्वे की गई है, अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : चाकसू को बिजली लालसोट होकर मिलेगी ?

कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : एक बात और है । क्या यह सही है कि दिल्ली की प्रदर्शनी में यह बताया गया कि दौसा से लालसोट तक बिजली दे दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : खंभे लगा दिये हैं, यह कहा होगा ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मैं देख कर आया हूँ, इसलिए कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री पी० के० चौधरी : २७०. !

डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल्स की पंचायत समितियों में हुई नियुक्तियां

२७०. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा, श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की नियुक्तियां हुई हैं ? अगर हां, तो किन किन आधारों पर ?

(२) उपरोक्त ऑफिसरों की नियुक्तियां डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से हुई हैं या डिपार्टमेंट में से नियुक्तियां की गई हैं ?

(३) क्या उपरोक्त पोस्टों पर स्कूलों के पुराने हैड मास्टरों को भी चान्स दिया गया है ? अगर हां, तो डिस्ट्रिक्ट टोंक में किन किन को ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं । पंचायत समितियों में उप शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : २७१

(विराम)

Page No.7

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत चलने वाले उद्योग।

(विराम)

अगला प्रश्न ले लेते हैं। श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, दे दें।

प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत चलने वाले उद्योग

२७१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(क) सरकार ने किन किन उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में व किन किन उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में चलाने का निर्णय किया है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने सन् १९५६ में कोई नीति निर्धारित की थी ?

(ग) क्या जिप्सम की खानों को सरकार ने पब्लिक सेक्टर में चलाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो सन् १९५६ के बाद किन किन जिप्सम की खानों को प्राइवेट सेक्टर में चलाने के लिये दिया गया और क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जहां तक खनिजों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने खनिज रियायत नियम, १९४९ के परिशिष्ट चतुर्थ के खनिजों का खनन पब्लिक सेक्टर में तथा अवशेष खनिजों का खनन प्राइवेट सेक्टर में चलाने का निर्णय किया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां: सूरतगढ़, धीरेरा तथा चरामसार के पास के क्षेत्र बीकानेर जिप्सम लि० को दिये गये हैं क्योंकि पहले के ठेके के प्रतिज्ञा--पत्र के अनुसार एक कम्पनी को प्राथमिक अधिकार प्राप्त थे तथा इस कम्पनी में सरकारी पूंजी भी लगी है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिप्सम कम्पनी को इस प्रकार ठेका दिया गया, वह कौनसी साल में दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्टेट के वक्त में दिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : स्टेट के वक्त में कुछ क्षेत्र का ठेका दिया गया था, पर यह धीरेरा का दूसरा ठेका दिया है वह कब दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है, पर पहले से ही बीकानेर स्टेट के समय से ठेका था, उसके बाद थोड़ा और इजाफा किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने निश्चय किया था कि एक क्षेत्र का ठेका किसी के पास है तो उसको दूसरा ठेका नहीं दिया जायगा और सीमा निर्धारित की थी तो फिर जिप्सम कम्पनी को, जिसके पास कि पहले ही बड़े क्षेत्र का

Page No.8

(श्री मुरलीधर व्यास)

ठेका था उसे फिर यह धोरेरा का और ठेका क्यों दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खनिज नियमों के अनुसार जितना क्षेत्र उनके पास है, ज्यादा नहीं है। यदि ज्यादा होता है तो माइनिंग लीजेज़ मोडिफिकेशन रूल्स के माफिक कमी कर दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल कमी करने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब यह नीति निर्धारित कर दी है कि आयन्दा ऐसा ठेका नहीं दिया जायगा तो फिर जो पहले स्टेट के समय में दिया हुआ है उसकी बात नहीं करता, पर बाद में दे देते हैं वह किस आधार पर देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि कुछ तो पहले से मौजूद था, उसके बाद थोड़ा सा एरिया और दिया है, उसमें सरकार का भी शेअर है, वहां सरकार की पूंजी लगी हुई है। जो ठेका दिया जाता है वह केन्द्रीय सरकार की इजाजत से दिया जाता है।

श्री भीमसेन : बीकानेर स्टेट के समय मोनोपोली थी, पर कॉन्स्टिट्यूशन हिन्दुस्तान का लागू होने के बाद मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लीजेज़ में कोई मोनोपोली नहीं होती।

श्री मुरलीधर व्यास : जब यह मान्य कर लिया गया है कि मिनरल्स में मोनोपोली किसी को नहीं दी जाय, तो इन कन्सर्न्स को फिर से जिप्सम का ठेका देते हैं; तो फिर से मोनोपोली दे रहे हैं, यह क्यों ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि इस तरह की नियमों में कोई चीज़ नहीं है। नियमों में इस प्रकार का है कि मेजर मिनरल्स का ठेका दिया जाता है तो राज्य सरकार की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को रिकमन्ड किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया मान लेती है तो उन रिकमन्डीज़ को ठेका दिया जाता है। इसमें मोनोपोली का कोई सवाल नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके कहे अनुसार क्या यह माना जाय कि केन्द्रीय सरकार ने जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह ठेका देने की परमिशन दी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कितनी दफा रिपीट करूं; मैंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने मंजूर किया, इसलिये दिया गया।

श्री श्रीभानसिंह : लीज़ेज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रान्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : चन्द खनिजों को लीज़ दिये जाने के सिलसिले में, prior sanction of the Central Government is necessary.

श्री मुरलीधर व्यास : पब्लिक सेक्टर में राज्य सरकार कौन कौन से कामों को चलाना चाहती है ?

Page No.9

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि राज्य सरकार किसी मेजर मिनरल को पब्लिक सेक्टर में चलाने के लिये भारत सरकार से कहती है, भारत सरकार की पर्मिशन के बिना प्राइवेट सेक्टर में लीज़ नहीं देती। किसी पर्टिक्युलर चीज के लिये पूछें तो बता सकता हूं। किसी भी मेजर मिनरल की इकोनोमी को देख कर ही निश्चय किया जा सकता है कि कौनसे खनिज को पब्लिक सेक्टर में चलाना चाहती है।

श्री श्रीभानसिंह : यही तो माननीय अध्यक्ष, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया, कोई सिद्धान्त नियत किया है या नहीं कि जो इन इन कन्डीशन्स को फुलफिल करेंगी उनको पब्लिक सेक्टर में करेंगी और जो इन इन कन्डीशन्स को फुलफिल नहीं करेंगी उनको पब्लिक सेक्टर में नहीं करेंगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के रूल्स को मुलाहिज़ा करें, उनमें है कि बेसिक इन्डस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में और जो दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हैं वे प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में हो सकती हैं। इससे भिन्न राजस्थान सरकार की पॉलिसी नहीं है

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह मान कर चला जाय कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्रीज़ चलाने में राजस्थान सरकार सेक्टर के अन्डर में डोमिनेटेड है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह गलत है।

श्री श्रीभानसिंह : तो सीधा प्रश्न है कि सरकार किन किन उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में और किन किन को पब्लिक सेक्टर में चलाना चाहती है, इसका उत्तर दिया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं प्राइवेट सेक्टर की लिस्ट दूं तो अध्यक्ष महोदय, वह लिस्ट तो बहुत लम्बी होगी....

श्री श्रीभानसिंह : जब क्वेश्चन एडमिट हो गया तो लिस्ट देनी होगी; क्वेश्चन साफ़ है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में पूछा गया है कि सरकार ने किन किन उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में व किन किन उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में चलाने का निर्णय किया है ?

क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने सन् १९५६ में कोई नीति निर्धारित की थी ? तो प्रश्न साफ़ है कि सरकार की ऐसी नीति है क्या ? यदि है तो फिर क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि कुछ उद्योग दोनों सेक्टर में चलाये जा सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : सकते नहीं, नीति क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कुछ पब्लिक सेक्टर में और कुछ को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में चलाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह तो नीति नहीं हुई।

Page No.10

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डेफिनिटली डिमार्केशन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तो कह दीजिये कि एग्ज़ामिन कर रहे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हां, यही है।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : तो किन्हीं को एग्ज़ामिन कराया है कि जिनको पब्लिक सेक्टर में देना चाहते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पलाना का कार्य है वह चल रहा है। जैसे जिप्सम के डिपोज़िट हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई, वह नागौर में हमारे सामने रिपोर्ट आई; उसकी इकोनोमी देखते हुए चलाया जा सकता है कि नहीं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसके बारे में एक दम कह देना कि किन किन को प्राइवेट सेक्टर में चलाना है या नहीं चलाना है, किन किन को पब्लिक सेक्टर में चलाना या नहीं चलाना है, यह मुमकिन नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : मोनोपोली दे देंगे तो कोई दूसरा चला नहीं सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

पंचायत समितियों द्वारा कृषकों को तकावी

२७२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि कई पंचायत समितियां कृषकों की हालत को ध्यान में रख कर तकावी नहीं देतीं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि लालसोट पंचायत समिति उन्हीं को तकावी देती है जो १०) रु० एडवान्स कमीशन देते हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार उपरोक्त समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब वित्त मंत्रीजी अपनी टर्न पर देंगे।

प्रश्न संख्या २७३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपूतली में विकास खण्ड की स्थापना

२७४. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि कोटपूतली के चारों तरफ अन्य तहसीलों में विकास खण्ड खुल गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस तहसील को खण्ड रहित रखने का क्या कारण है ?

Page No.11

(श्री रामकरणसिंह)

(ग) क्या सरकार अप्रेल १९६० में यहां भी विकास खण्ड खोलने का विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी वित्त मंत्री जी से ही सम्बन्धित है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : वित्त मंत्री जी कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के भी मंत्री हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No. It is in the portfolio of the Finance Minister.

श्री पी० के० चौधरी : He holds the portfolio of the Community Development also.

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां। सिवाय बहरोर पंचायत समिति से लगे हुए क्षेत्र को छोड़ कर।

(ख) विकास खण्ड जिला विकास समिति (अब जिला परिषद्) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं, जब जब भी जयपुर जिले में विकास खण्ड खोलने का निर्णय लिया गया। कोटपुतली के संबन्ध में कोई सिफारिश नहीं आई।

(ग) अप्रेल १९६० में विकास खण्ड खोलना प्रथम इस बात पर निर्भर है कि भारत सरकार द्वारा कितने विकास खण्ड खोलने की स्वीकृति दी जाती है।

श्री रामकरणसिंह : आपने दो चीजें अलग अलग बताई हैं कि एक तो सिफारिश नहीं आने पर नहीं खोल सके और दूसरा आपने यह बताया कि कितने खोले जावें, यह भारत सरकार द्वारा विकास खण्ड खोलने की स्वीकृति पर निर्भर है; उसके बाद ध्यान रखा जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिफारिश आने के बाद में भारत सरकार कितने विकास खण्ड खोलने की स्वीकृति देती है उसको देख कर ही किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : यह सिफारिश कौन करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिला परिषद् करेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ये स्कूलें आदि के लिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो ब्लॉक के नम्बर देती है कि इतने ब्लॉक्स खोले जावें।

श्री पी० के० चौधरी : आपके पास क्या अभी तक नम्बर नहीं आये हैं ? आप फर्स्ट अप्रेल ६० में कितने खोलेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका नम्बर अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

Page No.12

कोटपुतली से कल्याणपुरा सुवाड़ा तक सड़क निर्माण

२७६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कोटपुतली डाबला सड़क का कोटपुतली से कल्याणपुरा खुवाड़ा तक १४ मील का टुकड़ा ठिकाने के समय से बना हुआ था ?

(ख) क्या यह देखभाल न होने के कारण अब करीब २ नष्ट हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार इस टुकड़े को इस योजना में या अगली योजना में बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह कार्य द्वितीय योजना में स्वीकृत नहीं है। अगली योजना के बारे में अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री रामकरणसिंह : आपने पहले का उत्तर दिया, 'जी नहीं'। इसके बारे में मैं आपके इस उत्तर को चैलेंज करता हूँ कि यह सही नहीं है। ठिकाने के समय की सड़क बनी हुई थी, मगर उसकी देखभाल नहीं होने से वह खराब हो गई और नष्ट हो गई है। ठिकाने के समय में सड़क बनी थी। आपने जबाब में बताया कि 'नहीं' जहां तक मेरी जानकारी है वह पूरी सही है और मैं कह सकता हूँ कि आपके पास यह जो सूचना आई है वह गलत है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये मैं और जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(विराम)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

नीजरण, तहसील लालसोट में सहकारी समिति को प्रदत्त जमीन का दूसरे लोगों को दिया जाना

२७७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सिवाय चक जमीनों को अलॉटमेंट करने के आजकल के नियमों के अनुसार सबसे पहिला हकदार सहकारी समितियां हैं ? यदि हां, तो नीजरण, तहसील लालसोट, में सहकारी समिति को दी गई जमीन दूसरे लोगों को क्यों दी गई ?

(ख) क्या इस प्रकार अनियमित अलॉटमेंट कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ! यदि हां, तो कब तक ?

(ग) क्या सरकार इसी प्रकार के अन्य अलॉटमेंट्स की भी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब अगले टर्न पर दूंगा क्योंकि इसका पूरा जबाब नहीं आया है।

Page No.13

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

झालावाड़ जिले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में परिगणित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

२७८. **श्री रामचन्द्र** (डग मु०) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) झालावाड़ जिले की कलेक्टोरेट, अन्य सरकारी विभाग, तहसीलात, जुडिशियल तथा विकास विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी हैं ? इनमें अनुसूचित जाति के प्रत्येक विभाग में कितने कितने कर्मचारी हैं ?

(२) क्या इन विभागों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी राज्य द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि विभागीय ऑफिसर अस्पृश्यता के आधार पर इनको नौकरी नहीं देते हैं ?

(४) क्या उनको थोड़े समय के पश्चात् झूठा कलंक लगा कर निकाल दिया जाकर उनके स्थान पर सवर्ण को रखा जाता है ?

(५) क्या सरकार ऐसे निकाले हुए परिगणित जाति के कर्मचारियों के स्थान पर परिगणित जाति के ही व्यक्ति को रखने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की ओर से) : (१) इन विभागों के कुल ६४३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनमें अनुसूचित जाति के १६६ कर्मचारी हैं । सूची संलग्न है ।

(२) संलग्न सूची में दिखाये गये क्रम संख्या १४, १६, १७, ३४ और ४१ के अतिरिक्त अन्य विभागों में अनुसूचित जाति के कर्मचारी निर्धारित अनुपात के अनुसार ही हैं ।

(३) सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

(४) कोई पद किसी विशेष व्यक्ति अथवा जाति के लिये सुरक्षित नहीं किया जाता । निर्धारित अनुपात के अनुसार स्थान सुरक्षित किये जाते हैं । यदि किसी भी विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित अनुपात से कम है तो खाली स्थानों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सूची को देखने से यह मालूम होता है कि बहुत से महकमों में हरिजनों की संख्या नहीं होते हुए भी उनके नाम लिखे गये हैं । जैसे तहसील सुमेल में ७ चपरासी हैं उनमें से एक भी हरिजन नहीं है । इसमें लिखा गया है कि 'हां' । क्या मैं यह समझता हूँ कि २५ प्रतिशत सीट जो हरिजनों के लिये रखी गई है, उनमें से एक पोस्ट भी हरिजन को नहीं दी जावे ? सात चपरासी सुमेल तहसील में हैं तो क्या ७ की संख्या में से एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को लेना पसन्द नहीं करते ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जिन डिपार्टमेंटों का पूछा उनका मैंने आपको बताया। आप उनका पर्सेन्टेज लगा लें। अब रहा प्रश्न यह कि अमुक तहसील में किसी को नहीं लिया गया है; मैं यह कहूंगा कि अमुक तहसील में किसी ने अपोइन्टमेंट के लिये प्रार्थनापत्र नहीं दिया होगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर इसके लिये साफ है : "It has to be emphasised for these posts that there is no dearth of candidates from scheduled castes and tribes and that no excuse can be given for not filling up the full quota of reserved posts. At least one week prior to recruiting class Iv servants, the appointing authority should publish a notice, in Hindi at a prominent place in his office on the lines Appendix B. He should also send a copy of the notice to the nearest Employment Exchange." अब आप देख लें, यह बिल्कुल साफ हिदायत है। नोटिसेज़ लगते हैं और एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज से भी वे लिये जाते हैं। अगर आप किसी बात को खास तौर से बतावें कि फलां जगह अनुसूचित व्यक्ति को नहीं लिया गया तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन करूंगा कि ७ कर्मचारियों में से एक को भी नहीं लिया। इस पर भी आप कहते हैं कि 'हां'। आपने अनुसूचित जाति वालों को नहीं लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि ६४३ में से १६६ अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई हैं। जहां नहीं है, मैंने कहा है 'नहीं है', और जहां है वहां लिख दिया है कि "है"। आपके पास सब लिस्ट में मौजूद हैं। माननीय सदस्य यह चाहते हों कि हर तहसील और हर दफ्तर की सूचना मैं बताऊं तो यह तो सम्भव नहीं है, मगर जो आपने पूछा है वह मैंने लिस्ट में बता दिया है; जहां है वहां पर 'हां' लिखा है। मैंने टोटल भी बता दिया है। अगर कहीं की आपको शिकायत हो तो आप सीधा पूछिये और कहिये कि अमुक विभाग में अनुसूचित आदमी को नहीं लिया है, वरना इससे आपका पर्पज़ सर्व नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र : वह भी मैं आपसे अर्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह आप पहले ही कर देते।

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हाई स्कूल झालावाड़ में नौकर था। उसको पहले १० रुपये अलाउन्स के काम करने के लिये मिलते थे। वह जगह जब पर्मानेन्ट हुई तो उसकी जगह मदनलाल को रख लिया गया।

श्री अध्यक्ष : यह शिकायत किस बात की हुई ?

श्री रामचन्द्र : मैंने डाइरेक्टर महोदय को लिखा पढ़ी की, मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया; इसलिये यह प्रश्न रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले ही डाइरेक्ट प्रश्न पूछ लेते तो इसका जवाब आपको मिल जाता।

Page No.15

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन करूं कि मैंने विभाग वालों से निवेदन किया, मगर कोई उत्तर नहीं मिला ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न रखा है उसका मुलाहिज़ा करें । आपने यह लिखा है कि झालावाड़ जिले की कलेक्टरेट, अन्य सरकारी विभाग, तहसीलात, जुडिशियल तथा विकास विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी हैं, इनमें अनुसूचित जाति के प्रत्येक विभाग में कितने २ कर्मचारी हैं ? अगर आपको यह शिकायत थी तो आप स्ट्रेट प्रश्न पूछते तो उस प्रश्न का उत्तर मिलता और इसका इलाज भी हो जाता । आपने अपनी तरफ से डाइरेक्टर को चिट्ठी लिखी होगी । आप दरअसल सेवा करते हैं जिनकी करते हैं :—

श्री रामचन्द्र : सेवा तो करने के लिये आप विराजमान हैं । मेरा तो यह निवेदन है कि हरिजनों को जहां जहां नहीं लिया जाता है तो फिर यह प्रश्न रखने की आवश्यकता हुई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सीधा प्रश्न रखते ।

श्री रामचन्द्र : सीधा रखने से कोई असर नहीं होता ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सरकार के पास ऐसे भी केसेज़ हैं कि डिपार्टमेंट में अनुसूचित जाति के लोगों ने प्रार्थनापत्र दिये और उनको नहीं लिया गया ?

श्री रामचन्द्र : मैंने डाइरेक्टर को लिखा था और इसकी शिकायत की थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष : जिन महकमों के बारे में लिखा है उनको नहीं दिया ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

सैन्ट्रल स्टोर, डिविज़न जयपुर, के कर्मचारियों को अवकाश

२८०. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार को विदित है कि सेन्ट्रल स्टोर, डिविज़न जयपुर, के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के बराबर अवकाश दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) इस विभाग की स्थापना किस तारीख को हुई ? क्या यह सत्य है कि उस समय से ही विभाग के कार्य करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ एक साल में १५ अगस्त के उपलक्ष में अवकाश दिया जाता है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) सेन्ट्रल स्टोर के कर्मचारियों को कन्सट्रक्शन डिविज़न के और कर्मचारियों के बराबर अवकाश दिया जाता था ।

Page No.16

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ख) सेन्ट्रल स्टोर सब डिविज़न २७. ३. ५८ से चालू है ।

जी नहीं, अब पॉवर हाउस के और कर्मचारियों को जो अवकाश मिलता है वही दिया जाने लगा है ।

श्री पी. के. चौधरी : यह कब से लागू है ?

श्री हरिश्चन्द्र : २७. ३. ५८ से ।

श्री पी. के. चौधरी : उनको छुट्टी कब से मिली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अब मिलेगी । इसकी डेट तो मेरे पास नहीं है, मगर शुरू हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २८१

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

विस्वेदारियों का मुआवज़ा शीघ्र दिलवाना

२८२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या सरकार ने विस्वेदारियों का मुआवज़ा शीघ्र देने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या सरकार ने ऐसे आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं जिनके आधार पर, किसको कितना मुआवज़ा देना है, तय कर सके ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) किसको कितना मुआवज़ा दिया जाना है, यह तो दावे पेश होने पर, उनकी जांच होकर नियमानुसार तय किया जा सकेगा ।

श्री रामकरणसिंह : जो फॉर्म भरे जाते है तो सरकार के पास रेकॉर्ड होता है, वह मंगा कर क्यों नहीं देख लिया जाता ? फॉर्म भरने में, तहसील में उन लोगों को भेंट पूजा देनी पड़ती है । इससे तो यह अच्छा हो कि रेकॉर्ड को तहसील से मंगा कर देख लिया जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके इस सुझाव के लिये धन्यवाद है ।

बीकानेर में उप--राष्ट्रपति के आगमन पर छात्रों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के कारणों की निष्पक्ष जांच

२८३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि बीकानेर के छात्रों ने ता० २४–११–५६ को कार्यवाहक ज़िलाधीश के पास एक जलूस के रूप में पहुंच कर उनसे उप--राष्ट्रपति के आगमन पर छात्रों के साथ पुलिस द्वारा मुठभेड़

Page No.17

(श्री मुरलीधर व्यास)

होने के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की कोई मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, २४. ११. ५६ को कौन कलेक्टर थे ? आप कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं की गई। वहां पर २४. ११. ५६ को कलेक्टर नहीं थे।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका यह प्रश्न है कि निष्पक्ष जांच की मांग की गई उसका क्या हुआ ? पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लाठी चार्ज क्या नहीं हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न यह है कि शिकायत की गई या नहीं ? आप कहते हैं कि, 'जी नहीं'।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपका ख्याल फिर दोहरा दूं, आपके ही प्रश्न से। आपने पूछा है "क्या यह सत्य है कि बीकानेर के छात्रों ने ता० २४. ११.५६ को कार्यवाहक जिलाधीश के पास एक जलूस के रूप में पहुंच कर उनसे उप राष्ट्रपति के आगमन पर छात्रों के साथ पुलिस द्वारा मुठभेड़ होने के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की कोई मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ" ? मैंने कहा, 'जी नहीं'।

श्री पी० के० चौधरी : सप्लीमेन्टरी में क्या लिखा है, वह भी पढ़ कर सुना दें।

श्री रामकिशोर व्यास : वहां तो पचासों इन्फोमेंशन्स हैं। आप पूछेंगे, उसका जवाब दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : उस दिन कलेक्टर कौन थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : २४. ११. ५६ को कलेक्टर छुट्टी में थे।

श्री मुरलीधर व्यास : जो थे, उनका जवाब दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी मजिस्ट्रेट थे।

श्री मुरलीधर व्यास : वे उस दिन कलेक्टर का काम करते थे, मैं खुद गया था। हजारों छात्र थे, डेपुटेशन पांच छात्रों का मिला था। आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा कि निष्पक्ष जांच की गई। तो मैंने कहा कि "नहीं की गई"। आप यह पूछते कि वहां गये या नहीं, मैं जवाब देता।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं वहां खुद हाज़िर था। उनसे मांग की गई थी। उन्होंने पोइन्ट्स को नोट किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहां से आपको यह गलत जवाब दिया गया है। पांच छात्रों का डेपुटेशन वहां पर उनसे मिला था और उनसे मांग की गई थी।

Page No.18

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपकी खिदमत में फिर अर्ज कर दूं कि आपका डेपुटेशन भी गया। हज़ार दो हज़ार जितने आपने बताते हैं वे गये। आपने कहा कि उनको बेल पर छोड़ दीजिये, उनको बेल पर छोड़ दिया गया। जांच की कोई मांग नहीं की गई। आपने प्रश्न पूछा कि जांच की मांग की गई; मैंने जवाब में कहा कि मांग नहीं की गई ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं वहां खुद मौजूद था। मैं खुद एक सदस्य हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मांग की गई, जांच कीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : तहरीर से मांग की गई थी या जबानी बातचीत से ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह सच है कि जबानी बातचीत की गई थी ? कलेक्टर साहब नहीं हैं, इसलिये उनसे कह दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : आप लिख कर भेज दीजिये, मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल।

आठ हाथ-कर्घा निरीक्षकों को रिवर्ट कर उनके स्थान पर नये निरीक्षकों की नियुक्ति

२८४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल- (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग व वाणिज्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि आठ हाथ कर्घा निरीक्षकों को यू. डी. सी. बना दिया गया है, क्योंकि उनका चयन पी. एस. सी. से नहीं हुआ है ? क्या यह भी सही है कि इनके स्थान पर जिन दूसरे आठ नए निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है वे भी पी. एस. सी. से सिलेक्टेड नहीं हैं ? यदि हां, तो यह नई नियुक्तियां क्यों की गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन व्यक्तियों के सिलेक्शन करने वाले बोर्ड में कोई भी सदस्य किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का हैण्डलूम का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट रखने वाला नहीं था ?

(३) क्या यह सही है कि इन रिवर्ट किये गये इन्स्पेक्टर्स की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जो हैण्डलूम इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य करते समय पाते थे ?

उद्योग व वाणिज्य मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां। जिन ८ नये निरीक्षकों को नियुक्त किया गया वे भी पी. एस. सी. से सिलेक्ट नहीं किये गये, मगर पी०एस०सी० ने इनकी नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो पुराने आठ हाथ कर्घा निरीक्षक के पद पर काम कर रहे थे उनको सिलेक्ट नहीं कर नये आदमियों को कर लिया और उन आदमियों को रिजेक्ट कर दिया ?

Page No.19

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी. एस. सी. को सिलेक्शन के बारे में रिक्वीज़िशन भेजा गया। सिलेक्शन में प्रेस्काइब्ड क्वालिफिकेशन्स के माफिक कोई आये नहीं। फिर सरकार की ओर से एक सिलेक्शन कमेटी बैठी, उसने नियर अबाउट क्वालिफिकेशन के व्यक्तियों को सिलेक्ट कर दिया और पी. एस. सी. ने उसको स्वीकार कर लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वालिफिकेशन को कम करके क्यों भेजा गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पी. एस. सी. ने लिखा कि क्वालिफिकेशन के माफिक कोई भी सिलेक्शन में नहीं आ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सिलेक्शन बोर्ड मुकर्रर कर फिर क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर दिया तो फिर पी. एस. सी. ने ही क्यों नहीं क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसने लिखा था, उसी माफिक सिलेक्शन कमेटी बैठी। इसके आसपास मिलती-जुलती क्वालिफिकेशन्स थीं, उसके माफिक उसने सिलेक्ट कर दिया और पी. एस. सी. को लिख दिया गया, वहां से स्वीकृति दे दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार का क्या कोई एडवर्टाइज़मेंट किया गया था कि इस प्रकार से आसपास मिलती जुलती क्वालिफिकेशन्स के लिए सिलेक्शन किये जावेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह नहीं कह सकता कि एडवर्टाइज़मेंट किया गया या नहीं ? लेकिन इससे मिलती जुलती क्वालिफिकेशन्स को देख कर सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८ हाथ कर्घा निरीक्षकों को पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर सिलेक्शन बोर्ड ने एग्ज़ामिन किया और नियर अबाउट क्वालिफिकेशन देख कर भी उनको रिजेक्ट कर दिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फिर कह दीजिये, मैंने सुना नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८ कर्घा निरीक्षकों को पी. एस. सी. ने रिजेक्ट कर दिया और फिर नियर अबाउट क्वालिफिकेशन देख कर सिलेक्शन कर दिया तो क्या यह माना जाय कि नियर अबाउट क्वालिफिकेशन में भी उनको नहीं माना, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितनी दर्ख्वास्तें आयीं उनमें से जितने व्यक्तियों को योग्य समझ कर सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया उनको पी. एस सी. ने मंजूर कर लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इसके लिए फिर एडवर्टाइज़मेन्ट किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शार्ट नोटिस एडवर्टाइज़मेंट तो करते ही हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब किया ?

श्री होतीलाल (भरतपुर) : जिन इन्सपेक्टर्स को रिवर्ट किया गया उन्होंने कोई सरकार के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिप्रेजेन्टेशन जरूर किये। रिवर्ट इसलिए किया कि हैंड लूम बोर्ड क्वालिफाइड आदमी न हो तब तक स्कीम एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मना करता था। जब क्वालिफाइड रखेंगे तब ही इम्प्लीमेंट करायेंगे। रिवर्ट करने का यही कारण था।

श्री होतीलाल : क्या उनके रिप्रेज़ेन्टेशन्स का डिसीज़न कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिप्रेज़ेन्टेशन्स चल रहे हैं, वे एग्ज़ामिन हो रहे हैं। निर्णय कर दिया जावेगा।

श्री होतीलाल : उनको पहले जो उस काम की तनख्वाह मिल रही थी वह ही मिल रही है या उनको कम तनख्वाह मिल रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हैंड लूम इन्स्पेक्टर की तो तनख्वाह उनको नहीं मिल सकती, जो उससे पहले मिलती थी वह ही मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : तो क्या ये टेम्पोरेरी काम करते थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री होतीलाल : तनख्वाह किस आधार पर कम कर दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अभी निवेदन किया था कि हैंड लूम बोर्ड ने अपनी स्कीम को अन्क्वालिफाइड आदमियों से इम्प्लीमेंट कराने के लिए मना कर दिया था। इसलिए क्वालिफाइड आदमियों को रखना पड़ा। सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सिलेक्शन कराया गया और उसको पी. एस. सी. ने भी स्वीकार कर लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की गई थी, हैंड लूम के सम्बन्ध में डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति भी उसमें नहीं थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जोइन्ट डाइरेक्टर हैं, वे क्वालिफाइड हैं। मैं आपको उनकी क्वालिफिकेशन भी बता दूँ।

श्री अध्यक्ष : इतना ही काफी है कि वे जोइन्ट डाइरेक्टर हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डिप्लोमा होल्डर, बहरामपुर।

कॉलेज ऑफ टेक्नोलोज़ी, इंगलैंड

टेक्निकल कॉलेज़ ऑफ स्कॉटलैंड।

श्री पी० के० चौधरी : They are all postal diplomas. Is it correct ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या २८५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

Page No.21

आयरन और स्टील के आयात अनुज्ञीप्त (Licenses)

२८६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Civil Supplies Minister be pleased to state :—

1. What is the quantity of iron and steel for which import licenses have been issued to the following firms for the licensing periods :—

April-Sept. 1959 and Oct. 1959, March, 1960 and what is the quantum and type of iron and steel each one of these firms have actually imported during these periods :

(1) M/s. Jaipur Cycle & Parts Industries, Jaipur (2) R. S. Brothers, Jaipur (3) Rajasthan Cycle Industries, Jaipur (4) Wire Products, Jaipur (5) Rajasthan Wire Netting Factory, Neem ka thana (6) A. Ashoka Wire Netting Industries, Jaipur (7) Rajasthan Iron & Steel Manufacturing Works, Jaipur (8) Rajasthan Steel Corporation, Jaipur (9) Khandelwal Udyog, Jaipur (10) Jaipur Wire Netting (11) Rajasthan Wire and Steel Co.

2. What are production figures of these firms for the periods in question ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : इस प्रश्न का पूरा जवाब प्राप्त नहीं हुआ अतः इसे अगली टर्न पर ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसका रिटन रिप्लाई दे दिया जाय ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इसको तो हाउस में ही लिया जाय ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनानुसार जिलों में खर्च हुई धनराशि

२८७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगने वाली राशि में से किन किन जिलों में कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(ख) किन किन जिलों में योजनानुसार धनराशि खर्च नहीं हुई है व उसका क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में सितम्बर, १६५६, तक जिलेवार व्यय की गई धनराशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) चूंकि राज्य की समस्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जिलेवार बंटवारा नहीं किया गया है, तुलना संभव नहीं है; अतः योजना अनुसार कम या अधिक व्यय हुआ है बताया जाना भी संभव नहीं है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न था कि राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किस किस जिले में कितनी कितनी धनराशि लगी है, इसका टोटल नम्बर चाहिये था, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कितनी, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी, इस प्रकार की सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया कि जिलेवार रकम निर्धारित नहीं होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा मतलब यह था कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना खर्चा होता है, यह जाने बगैर हम किस प्रकार अन्दाज लगा सकते हैं कि हर जिले में पर केपिटा कितना खर्चा हुआ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना झुंझुनू में कितना यह जानना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चूंकि जिलेवार अलॉटमेंट नहीं हुआ, हर एक स्कीम पर अलग अलग खर्चा होता है, वह बतला दिया गया है और उसके अलावा १६५८-५६ के आंकड़े दे दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : हम तो जिलेवार जानना चाहते हैं कि कितना कितना अलॉटमेंट हुआ और कितना कितना हर डिस्ट्रिक्ट में लगा, इसके बाद दूसरा प्रश्न स्पष्ट था, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट रह गये जहां अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको लिस्ट दी है उसमें देख लें।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो लिस्ट दी है उसमें इस प्रकार से नहीं है, यह तो प्लानिंग रिपोर्ट के जरिये भी जान सकते थे, हमारा दृष्टिकोण यह जानने का था जितना जितना डिस्ट्रिक्ट के लिये तय किया गया, उसमें से कितना खर्च हो गया और कितना लगना बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बारे में जो वजह थी वह मैंने बतला दी है, इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार सदन में अर्ज कर चुका हूं कि अलग अलग जिलेवार अलॉटमेंट नहीं होता और इस कारण हम जिलेवार कितना खर्च हुआ, यह बतला नहीं सकते। अलग अलग स्कीम्स में खर्च होता है और वह बता दिया गया है। इसलिये जितना स्टेटमेंट हम बना सके वह बनाकर सदन के सामने पेश कर दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : Does the Hon'ble Minister appreciate the desirability of the Hon'ble Member's suggestion ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पोसीबल है नहीं और इस तरह के जो ५८-५६ के आंकड़े थे वे मैंने बता दिये हैं, हमारे यहां जिलेवार अलॉटमेंट नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : गत वर्ष तो आपकी तरफ से बताया गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज़।

श्री दामोदरलाल व्यास : गत वर्ष बताया गया था, इस वर्ष भी ५८-५६ का बता दिया गया है। आप मिलान कर लीजिये, कोई फर्क नहीं होगा।

Page No.23

श्री मुरलीधर व्यास : हम यह जानना चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में तो १० लाख खर्च हो गया और किसी में एक लाख भी खर्च नहीं किया गया। सही बात यह है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिये पैसा रखा जाता है वह वहां यदि खर्च नहीं होता है तो दूसरी जगह खर्च कर दिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसलिये तो माननीय सदस्य के लिये यह ठीक रहता कि वे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते, जैसे वे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उनको सन्तोष देने की कोशिश करते। आपने तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिये पूछा है, उसके लिये मैं बता चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अलॉटमेन्ट नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से स्टडी करना चाहते थे। जब इसका जवाब नहीं आता है तो हमें क्या मालूम हो सकता है कि कहां कितना है और किसी जगह कुछ नहीं, यह अन्तर क्यों?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८८

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पंचायत समिति अलसीसर को पीने के पानी की योजना के लिये विशेष सहायता

२८६. **श्री लच्छूराम** (मंडावा) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू में पंचायत समिति, अलसीसर के क्षेत्र के ५३ गावों मे पानी बिल्कुल खराब है।

(२) क्या यह भी सही है कि अब तक Drinking Water Supply Scheme में जिला झुंझुनू की सभी समितियों को बराबर बराबर विकास की रकम मिलती है, जब कि जिले की दूसरी समितियों में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है?

(३) क्या सरकार पंचायत समिति, अलसीसर, को पीने के पानी के लिये विशेष सहायता देने का विचार रखती है?

(४) अगर हां, तो कब तक और कितनी।

उद्योग मंत्री (श्री खिलचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) इस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशि का अलॉटमेंट हो चुका है, आगामी वर्ष के लिये पंचायत समिति, अलसीसर, को १६,८०० की रकम खास इस कार्य के लिये देने की रखी गई है। इसके अलावा २०,००० रु० लोकल डवेलपमेंट वर्क्स के लिये भी दिये जा रहे हैं, जो यह रकम भी जल-प्रदायों के लिये खर्च की जा सकती है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लच्छूराम : मेरा प्रश्न था अलसीसर में विशेष पानी का अभाव है, उसके लिये विशेष अॉलटमेंट हुआ है क्या?

Page No.24

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया, दूसरी पंचायत समितियों को जहां आगामी वर्ष के लिये धनराशि दी गई है उसमें अलसीसर को १६,८०० रुपये खास इसी कार्य के लिये देने की रखी गई है। इस तरह से किसी को १२ हजार, किसी को १३ हजार; इस तरह से दिया गया है वहां की आवश्यकता को देखते हुए।

श्री लच्छूराम : १६,८०० रुपया जो दिया गया है वहां पर पानी सौ-सौ हाथ नीचे है। इस १६,८०० से कितनी समस्या हल हो जायगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके अलावा बीस हजार रुपया और भी तो हैं वे भी तो ऐसे वर्क्स में खर्च किये जा सकते हैं।

श्री लच्छूराम : बीस हजार रुपया तो दूसरे डेवलपमेंट वर्क्स के लिये हैं स्कूल भवन आदि बनाना अगर वह पानी में लगा दिया गया तो बाकी के काम नहीं होंगे। जब वहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उस समय करीब १ लाख रुपया देने का तय हुआ था, क्या आप एक लाख रुपया देंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस कार्य के लिये जितनी रकम बतायी गई है १६,८०० रुपया, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती।

प्रश्न संख्या २६०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे स्वीकृति दी है प्रश्न पूछने की।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तो वह नहीं आयी। नेक्स्ट।

दिल्ली की विश्व कृषि प्रदर्शनी में राजस्थान-मंडप

२६१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Public Relations Minister be pleased to state :—

1. Is it correct that a life size straw replica of a Camel is displayed in the Rajasthan Pavilian in the World Agricultural Fair Delhi ?

2. Is it correct that an amount of Rs. 8,000/-was spent in preparing this straw Camel ? If so, what was the cost of furnishing teeth to both the jaws of the Camel ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. Yes.

2. No. Rs. 7,500/- will cost the said model which also includes the cost of jaws.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि उसके ऊपर के दांत नहीं होते ?

श्री रामकिशोर व्यास : दांतों से ही तो खाता है।

एक माननीय सदस्य : उनके जाज होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्ट्रा केमल के बजाय आप जीवित केमल रख देते तो ज्यादा सस्ता रहता ।

श्री रामकिशोर व्यास : ८ हजार, ५०० रुपया खर्च हुआ है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आप वाकई यकीनन कहते हैं उनके ऊपर के दांत होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे खुद को पता नहीं था Are you quite sure ? (श्री नाथूराम मिर्धा से) Come on please, he is authority on the subject.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He is expert in bulls, not in Camels.

बीकानेर में नत्थूसर दरवाजे के बाहर बने जल-भंडार का टूटना

२६२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर में अब तक कुल कितने जल-भंडार (Reservoir) बने ? क्या यह सत्य है कि नत्थूसर दरवाजे के बाहर का जल भंडार एक दफा प्रथम बार पानी भरते ही नष्ट हो गया ? यदि हां तो, क्यों ?

(ख) इसका ठेका किसको, किन शर्तों पर दिया गया था ? इसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द): (क) बीकानेर में अब तक दो नये जल भंडार बने व एक जल भंडार को बड़ा बनाया गया । नत्थूसर दरवाजे के बाहर का जल भंडार एक दफा प्रथम बार पानी भरते ही नष्ट नहीं हुआ ।

(ख) इसका ठेका श्री इलाहीबक्स ठेकेदार को सरकार की प्रचलित शर्तों पर दिया गया था । प्रतिलिपि संलग्न है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : जो रिज़र्वोयर बनाया गया था उसमें कितना रुपया लगा था ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी एस्टीमेटेड कॉस्ट ७३,६६६ रुपया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो जल-भंडार नष्ट हो गया क्या उसे बाद में राज्य सरकार ने ठीक करवा दिया या उसी हालत में है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ठेकेदार को कह दिया है, उम्मीद की जाती है कि दो हफ्ते में ठीक हो जायेगा ।

उप संचालक, हाथ कर्घा, की पोस्ट पर नॉन टैक्निकल व्यक्ति द्वारा कार्य करना

२६३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग व वाणिज्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या उप संचालक, हाथ कर्घा, की पोस्ट एक टैक्निकल पोस्ट मानी गई है ? यदि हां,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो क्या यह सही है कि उस जगह पर नॉन टैक्निकल व्यक्ति कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : उप संचालक, हाथ करघा की पोस्ट टैक्निकल मानी गई है, लेकिन पी० एस० सी० द्वारा कोई योग्य व्यक्ति इस स्थान के लिये अब तक न चुने जाने के कारण इस पोस्ट पर नॉन टैक्निकल व्यक्ति तारीख २४-१-५६ से काम कर रहा है और यह पोस्ट अस्थाई तौर पर आर० ए० एस० केडर की कर दी गई है। अब फिर पी० एस० सी० को लिखा है कि फिर सलेक्ट करके भेजें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इसके लिये ५६ से पूर्व या इसके आसपास रिक्वीज़िशन किया था पी० एस० सी० से ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ५६ से पहले क्या था, यह तो नहीं बता सकता पर इसके बाद में जरूर रिक्वीजिशन किया था, पर कोई मिला नहीं। फिर यह सोचा गया कि टेम्प्रेरी आर० ए० एस० की पोस्ट कर दी जावे। अब फिर लिखा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्वालिफिकेशन क्या प्रेस्क्राइब की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो ऑफ हैण्ड नहीं कह सकता पर यही होगी जो हाथ करघा के लिये जरूरी होती है। हाथ करघा में जो एक्सपर्ट होगा वही लिया जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : Whether he is aiploma-holder, a Certificate holder or a Degree holder ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That information, I have not.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६५

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

भू प्रबन्ध आयुक्त के आदेश से सरप्लस घोषित कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

२६५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि भू-प्रबन्ध आयुक्त के आदेश पत्र संख्या ६१० दिनांक २२-१-६० से कुछ कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किया गया है ?

(२) यदि हां, तो कितनों को, किस वजह से ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि दो वर्ष से भी अधिक समय से कार्य करनेवालों को भी हटाने का नोटिस दिया गया है ?

(४) क्या राजस्व विभाग में कहीं भी इन कर्मचारियों के स्तर की और नियुक्तियां की जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो फिर इन लोगों को ही उन स्थानों पर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। परन्तु आदेश का नम्बर ६६३१-७४१ दिनांक २२-१-६० है।

(२) १३३ को, बजट में कमी के कारण।

(३) जी हां।

(४) इस विषय में सभी महकमों को लिखा जा चुका है और अभी तक २५ व्यक्तियों को एब्ज़ोर्ब कर लिया गया है।

श्री रामकरणसिंह : जो बाकी बचे हैं उनको भी नियुक्त कर दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जहां जगह होगी वहां वहां एब्ज़ोर्ब किया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एब्जोर्पशन का क्या काइटेरिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो अपोइन्टमेन्ट का कायदा है वही इसका है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के थ्रू इनको लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरे विभागों को एब्जोर्ब करने के लिये लिखा गया है।

डॉ० चन्द्रकला : पर कुछ ऐसा है कि अपने विभाग की बात नहीं राजस्व की, वहां और दूसरे विभागों में एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के थ्रू जाने के लिये कहा जाता है, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। सरकुलर भेज दिया गया है सभी विभागों को और उनको एब्जोर्ब करने के लिये कह दिया गया है।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

पंचायत समितियों में शैडो ब्लॉक्स

२६७. श्री मूलचन्द डागा [पाली-श्री रामचन्द्र (डग-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियों में शैडो ब्लॉक्स हैं और उनको कितनी कितनी धनराशि ३१ मार्च, १६६० तक खर्च करने को दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : कुल ६२ पंचायत समितियों में शैडो ब्लॉक्स (छाया खण्ड) हैं। ३१ मार्च, सन् १६६० तक जो धनराशि स्वीकृत की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामचन्द्र : ये किस आधार पर स्वीकार किये गये हैं; क्या जनसंख्या अथवा और कोई विशेष कारण के आधार पर ?

Page No.28

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो ऐसा है कि ज्यों ज्यों एक्टीविटीज़ अलग अलग सैक्टर में चलती हैं उनके खर्चे के अनुसार जितना रुपया आवश्यक समझते हैं उतना ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र : बजट में भिन्न भिन्न राशियां मन्जूर हैं। इसमें भी क्या ऐसा है कि जनसंख्या के आधार पर वह दिया जाता है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एडहोक ग्रान्ट तो सबको पचास हजार दी गई है।

श्री रामचन्द्र: पहला कॉलम बजट में मंजूर रकम भिन्न भिन्न हैं। उनमें फर्क का क्या कारण है, क्या जनसंख्या अथवा कुछ और; मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिस ब्लॉक में, जो जो अलग अलग डेवलपमेंट वर्क्स भिन्न भिन्न प्रकार के पहले से चल रहे थे उनको चलने देने के निमित्त यह रुपया हमें देना पड़ा है। अब इसमें कहीं कौनसा काम चल रहा था, कहीं कौनसा; यह सब जगह एक सा हो नहीं सकता था, इसलिये यह फर्क है। अलग अलग तरह के अलग अलग जगह वर्क्स थे और उनके अनुपात से हमने दिया है।

श्री रामचन्द्र : शैडो ब्लॉक्स को ब्लॉक्स में बदलने के क्या नियम हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितने ब्लॉक्स मिल जाते हैं उनके केन्द्र में अलग अलग जगह पर ब्लॉक्स चलाने की बातचीत करते हैं।

कक्कू, तहसील नोखा, में खाली प्लॉट को भूमिहीन हरिजनों को देना

२६८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि कक्कू, नोखा तहसील, में २० नम्बर का सरकारी प्लॉट खाली है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्लॉट को वहां के हरिजन भूमिहीनों को सहकारी खेती के लिये देने का विचार रखती है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, २८१ प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये।

२५० रु० मासिक से कम आय वाले पेन्शनयाफ्ता व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

२८१. श्री दयाकृष्ण विजय [छबड़ा डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार का यह आदेश है कि जिन कर्मचारियों की आय २५०) रु० प्रति मास से कम हो उनके बच्चों से कोई शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जावेगा ?

(२) क्या यह नियम उन कर्मचारियों की पेन्शन हो जाने के बाद नहीं लागू होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सुविधा को उन पेन्शनर्स के बच्चों के लिये भी देने का विचार रखती है, जो डॉक्टरी या इन्जीनियरिंग में पढ़ रहे हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां। यह नियम उस कर्मचारी के पेन्शन हो जाने के बाद उस पर लागू नहीं होता। पेन्शनर्स को यह सुविधा देने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : २८८ का भी जवाब दीजियेगा।

बंगाली शरणार्थी कॉलोनी घट्टी तथा परानिया में बंगाली परिवारों को आर्थिक सहायता

२८८. श्री दयाकृष्ण विजय [छबड़ा श्री पी० के० चौधरी द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बंगाली शरणार्थी कॉलोनी घट्टी तथा परानिया में अभी तक बंगाली परिवारों को बैल व बीज का पैसा नहीं मिला है ?

(२) क्या यह सही है कि जमीन के तैयार नहीं होने, बैल व बीज की तकावी नहीं मिलने तथा नित्य प्रति मिलनेवाली आर्थिक सहायता के कम होने के कारण बंगाली परिवार अपने बाल-बच्चों का ठीक प्रकार से पेट भी नहीं भर सकते ?

(३) क्या यह सही है कि गत वर्ष जून मास के दूसरे सप्ताह में श्रीमती प्रमिला ने भूख के कारण सरकारी अधिकारी के क्वार्टर के सामने 'भूख-भूख' चिल्लाते हुए अपने प्राण त्याग दिये ?

(४) क्या यह सही है कि उसी वर्ष ज्येष्ठ मास में आनेवाले तूफान से ४-५ परिवारों की झोपड़ियां जल कर खाक हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों को बरसात से बचने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि मई मास में कुप्रबन्ध के विरुद्ध बोलनेवाले चार, पांच बंगाली व्यक्तियों को १०७ जाप्ता फौजदारी के तहत जेल में बन्द किया गया तथा जमानत मुचलकों पर इन्हें छोड़ा गया ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा बनाई गई प्रान्तीय स्तर की कमेटी की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बैठकें कोरम पूरा नहीं होने से महीनों–महीनों नहीं हो पाती हैं ?

(७) क्या यह सही है कि इस सरकारी कमेटी की ढिलाई के कारण इन परिवारों को भांति भांति की मिलने वाली आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिलती ?

(८) क्या यह सही है कि इन परिवारों की एक चैनवाले ट्रैक्टर की मांग गत एक साल से सरकार के सामने विचाराधीन है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : बहुत लम्बा उत्तर है, साहब। टाइम देख लीजियेगा, साहब। मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

(१) कॉलोनी घट्टी व परानिया में बसनेवाले १०६ पुराने परिवारों को बैल व बीज की तकावी दी जा चुकी है एवं उक्त परिवारों ने खरीफ की फसल भी ले ली है। नये परिवार १४५ को बैल खरीदने एवं कृषि के औजारों को बनाने का ऋण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन परिवारों को खरीफ की फसल पर धान भी वितरित किया जा चुका है, लेकिन इन्होंने कोई फसल काश्त नहीं की।

(२) यह असत्य है कि बंगाली परिवार अपने बाल-बच्चों का ठीक प्रकार से पेट भी नहीं भर सकते क्योंकि १४५ परिवारों को प्रस्तावित अवधि से तीन मास अधिक यानि राज्य के नियम के अनुसार एक वर्ष का मेंटीनेन्स लोन ही प्राप्त होना चाहिये था जो गत मास नवम्बर, १६५६ में ही समाप्त पर था परन्तु उन परिवारों की अवधि जनवरी, १६६० तक की स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका चुकारा भी किया जा चुका है। फिर भी उक्त परिवारों को दो मास का उक्त ऋण और दिये जाने का आदेश सरकार द्वारा विचाराधीन चल रहा है। अधिकतर देखने में आया है कि उक्त परिवारों ने बराबर ऋण मिल जाने के कारण कृषि करने में कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उन परिवारों को भूमि सुधार के कार्य में लगाया जावे एवं प्रस्तावित रेट्स के अनुसार मज़दूरी का भुगतान किया जावे, इसका निश्चय किया जा चुका है।

(३) यह निःसन्देह असत्य है कि श्रीमती प्रमिला, पत्नी श्री बुद्धिमता हलधर ने भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिये। उक्त स्त्री की मृत्यु बीमार हो जाने के कारण से ही हुई है।

(४) यह गलत है कि गत वर्ष जेठ मास में आनेवाले तूफान से चार, पांच परिवारों की झौंपड़ियां जल कर खाक हो गई। परन्तु यह घटना अवश्य हुई कि दो झौंपड़ियों के परिवारों की असावधानी से आग लग गई थी जिसको कि उन परिवारों ने अब बरसात से पहिले ही मरम्मत कर ली थी।

(५) यह भी बिल्कुल गलत है कि मई मास में सरकारी कुप्रबन्ध के विरुद्ध बोलनेवालों को धारा १०७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया गया। यह अवश्य है कि गत वर्ष बारां के तीन व्यक्तियों ने सब डिविजनल ऑफिसर साहब बारां की अदालत में चार बंगाली परिवारों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर धारा १०७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की थी और उसकी डिक्री का चुकारा न होने पर हस्त नियम उक्त चार परिवारों को दण्डित किया गया था। उसका विस्तृत विवरण भी सरकार द्वारा प्रेस नोट १४ दिनांक जून सन् ५६ में भी छाया हो चुका है। कोई केस सरकारी कुप्रबन्ध के विरुद्ध बोलनेवालों पर नहीं लगाया गया।

(६) यह गलत है कि प्रान्तीय कमेटी की बैठकें कोरम पूरा नहीं होने से महीनों-महीनों नहीं होती हैं। इस प्रकार की कोई कमेटी ही नहीं बनाई गई है। ऋण वितरण करने के लिये जिला कमेटी अवश्य बनाई गई है जो समय समय पर अपनी मीटिंग जब आवश्यकता होती है तब करती है।

(७) यह गलत है कि इस सरकारी कमेटी की ढिलाई के कारण इन परिवारों को भांति २ की मिलने वाली आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिलती। ऐसा अवश्य है कि ऋण भुगतान करने की गति विधि को जानने के लिये ऋण वितरण कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें अधिक समय तक उक्त ऋण का उपभोग करने पर विचार किया जाता है। खण्ड स्तर पर अवश्य एक कमेटी का निर्माण किया गया है जिसके अध्यक्ष कमिश्नर साहब हैं। इसका कोई सम्बन्ध इस स्वीकृति करने से नहीं है।

(८) यह सरकार द्वारा कोई निर्धारित नहीं है कि एक चेनवाले ट्रेक्टर की मांग बंगाली शरणार्थियों द्वारा है, परन्तु सरकार द्वारा भूमि सुधार किये जाने की प्रार्थना उक्त शरणार्थियों द्वारा सरकार के अवश्य विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नम्बर ३ के उत्तर में जो आपने बताया यह किस आधार पर कहा है ? क्या कोई जांच की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां डिस्पेन्सरी है, डॉक्टर है उसमें वह दवा लेती थी; उस आधार पर कहा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सरकारी क्वार्टरों के सामने वह यह कहती हुई नहीं मरी कि 'भूखी हूं भूखी हूं' ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी, "बिल्कुल गलत है," मैंने कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस दिन अस्पताल में वह भरती थी जिस दिन उसका प्राणान्त हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि सरकार ने उनको कहा था कि यह लैंड, this would be broken by the Tractor first and after that they will cultivate it.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात नहीं है। जमीन दोनों तरह की इर्रिगेटेड और नॉन इर्रिगेटेड अलॉट की गई थी। रिक्लेमेशन का भी इन्तज़ाम किया गया और काफी लोगों ने फसल कर ली उस पर।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पीछे के परिवारों ने फसल नहीं की। पहले के तो फसल कर रहे हैं। मैं स्वयं जाकर देख कर आया हूं। बड़े अच्छे चावल पैदा किये हैं उन्होंने।

श्री पी. के. चौधरी : पहले उनको लिया था तो उनका अन्डरस्टेन्डिंग था कि you will reclaim the land and give it to them, लेकिन अब जो रिक्लेम किया है वह शरणार्थियों ने खुद ने किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट कॉस्ट पर रिक्लेम हो रहा है। उसके लिये अलग पैसा मिला है और ट्रेक्टर से भी रिक्लेम हुआ है। अगर वह करते हैं तो उनको लेबर चार्जेज़ अलग मिलते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : इरिगेशन कितने एरिया में अवेलेबल है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a separate question. I want notice for that.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र (डग-सु): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २६० का उत्तर दिला दिया जावे।

पाली तहसील के जागीरदारों को दिया गया मुआवजा

२६०. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली। श्री रामचन्द्र (डग-सु) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:

(१) पाली तहसील में किन किन जागीरदारों को कितना कितना मुआवजा आज तक मिल चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इन जागीरदारों के पास कुल कितनी कितनी, किस किसकिस्म की जमीन खुद काश्त में दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगली टर्न पर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी(डीग): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

कामां पहाड़ी रोड की मरम्मत

२६६. **श्री नत्थीसिंह** [कामां श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया]: Will the Minister for Public works be pleased to state :

(1) Is it a fact that the conditionof the Kaman- Pahari road in Bharatpur District is deteriorating day by day ?

Page No.33

(श्री नत्थीसिंह)

(2) If so, why the repairs to this road are being delayed inspite of the fact that sufficient amount was provided for the purpose in the last several years Budgets ?

(3) Is the Government aware that this House was assured that this road would be completely repaired by the year 1958-59 ? If so, why this has not been repaired ?

(4) How long will it take to have this road repaired ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) Condition of the road is not satisfactory in miles 5 to 14/0.

(2) The repairs are being carried out every year through Annual Repairs Grant and also through special Repairs Grant. Renewal of certain miles is in progress as per availability of special repairs allotment.

(3) No such assurance was given.

(4) By the end of December, 1960.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या पिछली साल से कोई रिपेयर हो रही है इसकी ?

श्री हरिश्चन्द्र : पिछले तीन साल से लगातार हो रही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, कितनी रिपेयर हुई है उसकी ?

श्री हरिश्चन्द्र : १४ मील में से ५ मील रिन्यू एण्ड कलेक्शन ऑफ मैटीरियल हुआ है। ५ मील कम्पलीट हो गई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह ५ मील तो छः साल पहले बनी है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ मैटीरियल हो रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह रिपेयर नहीं कहलाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : पहली स्टेज वही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह कलेक्शन ऑफ मैटीरियल कब काम में लाया जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) मिनिस्टर महोदय का रिपेयरिंग से मतलब वही तो नहीं है जो मिट्टी साफ करते हैं और करते हैं....

श्री हरिश्चन्द्र : मिट्टी साफ करना, रोलिंग करना आदि सब शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १३. म. प.

कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सभापति, कार्य सलाहकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

१२. १४. म. प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगे, १६५६–६० (द्वितीय खंड) की प्रस्तुति तथा उन पर मतदान

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६५६–६० (द्वितीय खण्ड) के विवरण को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, शायद मुझे ख्याल है कि आपने पहले यह रूलिंग दी थी कि सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स को या तो फाइनेन्स मिनिस्टर रखें या फिर सीनियर मेम्बर ऑफ दी केबिनेट रखे। यह आप हाउस में निर्णय दे चुके हैं और आज उसके विपरीत सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स को एक डिप्टी मिनिस्टर पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह मिनिस्टर कन्सर्न द्वारा पेश की जानी चाहिए ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, रूल्स में....

श्री श्रीभानसिंह : यह बहस का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय को याद होगा, अगर नहीं होगा तो वह अपने आप कह देंगे। आप खड़े क्यों हो जाते हो बहसकरने के लिए ?

श्री अध्यक्ष : यह रूलिंग का नहीं बल्कि परम्पराओं का प्रश्न है। इस अवसर पर स्वयं वित्त मन्त्री उपस्थित होते तो बहुत ही उचित होता।

श्री श्रीभानसिंह : वित्त मन्त्री हाउस में प्रेज़ेन्ट ही नहीं होते, he is always absent when the House is in Session.

श्री अध्यक्ष : बजट सेशन के समय तो उनको उपस्थित रहना चाहिए और कार्य सूची में भी उनका नाम दिया गया है उसकी भी इत्तला उन्होंने नहीं दी है कि आयेंगे या नहीं I very much want that he should be here atleast during the discussions.

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : मेरे ख्याल से वह जानबूझ कर नहीं आये ।

श्री अध्यक्ष : वह और चीजों के टाइम पर उपस्थित न हों लेकिन बजट का समय बहुत अहमियत का है और हाउस उसमें

Page No.35

(श्री अध्यक्ष)

बहुत दिलचस्पी लेता है और वित्त-मंत्री को तो अवश्य इस समय प्रेजेन्ट रहना चाहिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वह बजट स्पीच तैयार कर रहे हैं, कल उनकी स्पीच है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह तो तैयार करनेवालों ने कर दी होगी, वह क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७८-वैज्ञानिक विभाग

श्री रिखबचन्द धारीवाल (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I move that emand No. LXXVIII, Major Head 36-Scientific Departments be reduced by Re. 1/-(to discuss the uneconomic working of the Palana Colliery)."

अध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड जो है यह पलाना कॉलेरी के लिए है, साइन्टिफिक डिपार्टमेंट में । लगभग चार लाख रुपया उसके इक्विपमेन्ट के लिये और Payment of wages to the workers as a sesult of industrial dispute, इन दोनों चीज़ों के लिए यह मांग रखी गई है। अध्यक्ष महोदय,यह जो पलाना कॉलेरी है इसके लिए सदन में बार बार जिक्र आता रहता है । उसके बावजूद भी इसका इम्प्रूवमेन्ट नहीं होता है और न उसमें हम आज तक कोई तरक्की कर पाये हैं। सदन में जब भी हमने सवाल उठाया कि पलाना कॉलेरी का प्रोडेक्शन क्यों नहीं बढ़ता है तो कहा जाता था कि 'ए' क्लास मैनेजर नहीं होने की वजह से उसका प्रोडेक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, 'ए' क्लास मैनेजर जब तक नहीं आयेगा तब तक ३० हजार टन से ज्यादा प्रोडेक्शन नहीं हो सकता है । अब पिछली साल से 'ए' क्लास मैनेजर आया हुआ है और उसको आये शायद दो साल हो गये हैं लेकिन अब हम उसके प्रोडक्शन के फिगर्स को देखें तो १६५५-५६ में २६,००० टन था जब कि उस समय 'बी' क्लास मैनेजर था । १६५७-५८ में भी २३,००० टन था। उस समय में भी 'ए'क्लास मैनेजर नहीं था । अब 'ए' क्लास मैनेजर जब से आया है तब से १६५७-५८ में तो १३,५०० टन प्रोडेक्शन हुआ और १६५८-५६ में लगभग १८,०००टन रहा है यानि 'ए' क्लास मैनेजर के आने से पहले प्रोडेक्शन ज्यादा था और ज्यों ही 'ए' क्लास मैनेजर आया कि प्रोडेक्शन घट गया । अब प्रोडेक्शन के घटने का कुछ कारण तो यह बताते हैं कि वह जो कोल प्रोड्यूस करते हैं उसका कन्ज़म्पशन नहीं होता है और प्रोडेक्शन ज्यादा होता है । पहले कहा करते थे कि प्रोडेक्शन कम है

(श्री पी० के० चौधरी)

और कन्ज़म्पशन ज्यादा है । लेकिन प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा क्योंकि कोई क्वालीफाइड माइनिंग इन्जीनियर नहीं था । अब जब वह आया तो उसको तनख्वाह भी ज्यादा देते हैं, पर उसके बावजूद भी प्रोडक्शन जो १६५५–५६में था या उसके प्रिवियस ईयर में था उससे २।३ या १।२ रह गया और खर्चा भी बढ़ गया । खर्चा किस प्रकार से बढ़ा ? जो नये मैनेजर आये हैं उनसे पहले जो स्टाफ था वह १६४ था यानी "With 164 maunds they were giving the production of 26000 Tons per yeer. आज वहां जो स्टाफ है वह लगभग ३५० का है; यानी पहले से स्टाफ दुगना हो गया क्योंकि 'ए' क्लास मैनेजर आया है । 'ए'क्लास मैनेजर आने से स्टाफ में भी बढ़ोतरी हो गई । १६४ से स्टाफ बढ़ाकर ३५० कर दिया और प्रोडक्शन घट कर १७-१८ हजार रह गया । अब यह सवाल पी० ए० सी० में भी आया था । वहां बयान होते हैं उसमें कहा जाता है कि माइनिंग इन्जीनियर तो यह कहते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन होता है उसका खपत नहीं होता है और जब कि बीकानेर पॉवर हाउस में यह हो गया है कि उनको बंगाल कोल यूज़ करना पड़ता है क्योंकि पलाना कोल उनको एवेलेबल नहीं होता है ।....

मिसाल के तौर पर १६.......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका यह कहना है कि पलाना कोलियेरी से उनको एवेलेबल नहीं होता है ?

श्री पी० के० चौधरी : जी हां ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पलाना कोलियेरी से नहीं दियां जाता है ?

श्री पी० के० चौधरी : इसीलिये बंगाल कोल उन्होंने यूज़ किया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : अपनी इन्फोर्मेशन के आधार पर कह रहा हूं । आप जानकारी करलें ।

मिसाल के तौर पर अगस्त १६५८ से अगस्त १६५६ तक कॉन्ट्रैक्ट था, पॉवर हाउस को २७००० टन कोयला सप्लाई करने के लिए । उसमें से साढ़े दस हजार टन सप्लाई किया गया है, बाकी सप्लाई नहीं किया है । पॉवर हाउस को सप्लाई नहीं किया है लेकिन एक कॉन्ट्रेक्टर को जरूर सप्लाई किया है । तो पॉवर हाउस को जो बेलेन्स है लगभग १६,१७ हज़ार टन, वह बंगाल कोल लेना पड़ा । पलाना कोल बीकानेर पॉवर हाउस को २२ रु० पर टन के हिसाब से मिलता है और बंगाल कोल का डबल से ऊपर उसका कॉस्ट पड़ता है । तो एक विसश्य सिचुएशन है । एक तरफ यह कहा जाता है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, वहां पर पिछले साल दो महीने के लिए ले ऑफ रहा । ले ऑफ का मतलब है कि वर्कर को घर बैठा दिया जाता है और कुछ सब्सिस्टेनेन्स अलाउन्स दिया जाता है, क्योंकि काम नहीं है । काम इसलिए नहीं है कि कोयला निकालते हैं तो उसका मार्केट नहीं है, कज्यूमर कोई है नहीं, और दूसरी तरफ बीकानेर पॉवर हाउस

(श्री पी० के० चौधरी)

का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। यह सवाल बार बार हमारे सामने आता है। वहां पर इनर्जी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बीकानेर में, मेरे खयाल से, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेट पर युनिट चार्ज किया जाता है। उसका कारण हमको बताया जाता है, एक तो उनका जो जेनरेटर टर्बाइन है वह ठीक नहीं है। दूसरा कॉस्ट ऑफ कोल बीकानेर पॉवर हाउस जो था उसका टर्बाइन बनाया गया था लिग्नाइट यूज़ करने के लिये। आज वे लोग क्योंकि लिग्नाइट की एडीक्वेट सप्लाई नहीं मिलती है तो टर्बाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं for using other type of coal तो एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो कोल की जो सप्लाई है वहां से हम एक्सट्रेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उसकी डिमान्ड नहीं है, जब कि १५-१६ मील की दूरी पर जो पॉवर हाउस है उसके ऊपर कोयला नहीं पहुंचता है, क्योंकि वह सप्लाई नहीं कर पाते हैं। यह जो सिचुएशन एराइज़ हुई पहले इसके लिये बहाना दिया जाता था कि ए क्लॉस का मैनेजर नहीं है इसलिए सप्लाई नहीं कर पाते है। जब 'ए' क्लास का मैनेजर आ गया है उसके बाद प्रोडक्शन घटने का क्या कारण है? यह समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं कि 'ए' क्लास का मैनेजर आने के बाद मिसमैनेजमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। मिसमैनेजमेंट की कई मिसालें हैं, अध्यक्ष महोदय। मैंने आपसे बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसका बढ़ गया है और अमाउन्ट ऑफ प्रोड्यूस गिर गया है। जो प्रोडक्शन १६४ लेबरर्स वहां पर देते थे आज वहां पर ३६० के करीब लेबरर्स हैं। दूसरा इसी मैनेजर के आते ही लगभग ७ लाख ब्रिक्स का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया। ७ लाख का नॉर्मल मार्केट रेट जो है उससे ३ रु० पर थाउजेन्ड ज्यादा चार्ज देकर कॉन्ट्रेक्ट दिया था।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, यह १६५८ के अन्त का किस्सा है। उसके बाद, मेरे खयाल से, पिछले ६० साल में इस कोलियेरी ने इतना डेमरेज चार्ज नहीं दिया, जितना पिछले साल से हुआ है। उनका जो पिछले साल का डेमरेज चार्ज है वह हाईएस्ट है, in its record. यह समझ में नहीं आता है कि इतना डेमरेज चार्ज देने का ओकेज़न क्यों एराइज़ हुआ? इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे रेलवे से बीकानेर पॉवर हाउस को कोयला ट्रान्सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि रेलवे से नहीं करके रोड से, ट्रान्सपोर्ट से उसको करेंगे तो मेरे ख्याल से, the transportation cost will be cut by 50%. जो रेलवे के साइडिंग के मार्फत ट्रान्सपोर्ट करते हैं। आप वर्क आउट करें तो कॉस्ट will be reduced by atleast 50%; यह पोसिबिलिटी है, लेकिन इकोनॉमी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक तरीका जो चल रहा है, in the same rut it is moving

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, उनका जैसा प्रोडक्शन कम हो गया इस तरह से वाटर सप्लाई के चार्जेज़ ज्यादा हो गये हैं। इस कोलियेरी का बजट देखेंगे तो पिछले

(श्री पी० के० चौधरी)

साल २८,०००) रु० वाटर शिफ़्टिंग चार्जेज़ के बढ़ गये हैं ।

तीसरी बात, जो दिसम्बर १६५६ में २ महीने का ले ऑफ था उसमें जो कटर्स थे यानी जो प्रोडक्टिव लेबरर्स थे वे सारे ले ऑफ थे, पर लेकिन टेम्प्रेरी वर्कर्स १५०-२०० जो मैनेजर के अपने थे वे फिर भी काम कर रहे थे, They were not laid off, दो महीने के कोलियेरी में ले ऑफ के दरम्यान में जो टेम्प्रेरी लेबरर्स थे उनको ले ऑफ में नहीं रखा, for the whole two months they were paid. यही नहीं, ले आफ के समय ओवरटाइम भी दिया गया । इस तरह से ५०,०००)रु. के लगभग एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई है । जब कभी ले आफ किया जाता है और एम्प्लॉय किया जाय तो पर्मानेन्ट वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है, न कि टेम्परेरी वर्कर्स को किया जाता है । उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है या ओवरटाइम दिया जाता है Some of them were paid overtime. इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, यह जो दो महीने का ले ऑफ रहा और दो महीने का मिनिमम प्रोडक्शन मान लें तो लगभग ६ हजार टन होता है तो एक लाख से ऊपर इस तरह से प्रोडक्शन का लोस हुआ है । लगभग १,१०,०००) इसका पड़ता है । २२)रु० टन के हिसाब से लगाया जाय तो इस रेट से लाख-डेढ़ लाख का लॉस ले ऑफ की वजह से रहा । ले ऑफ इसलिए हुआ कि डिमान्ड नहीं थी । जब कि हम जानते हैं कि बीकानेर पॉवर हाउस is always ready to take the coal, लेकिन अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, यह मैंने पता लगाया । बीकानेर पॉवर हाउस में कोयला चाहिए और it was not supplied in proper time उसको टाइम पर सप्लाई नहीं मिलती है और पॉवर हाउस में यह अन्धेरगर्दी नहीं चल सकती है, they had to purchase it from outside. It is a public utility concern, पब्लिक को उनकी सप्लाई है, they must be regular and constant; वह रेग्युलर सप्लाई उनकी माइन्स से नहीं होती थी, तब जाकर वे लोग बाहर से पर्चेज़ करते थे । इसके लिए जिम्मेदारी किसकी आती है ? इसकी जिम्मेदारी माइनिंग मैनेजर की आती है या माइन मैनेजमेंट की आती है ।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, वहां पर कुछ प्रोडक्शन गिरा है । उसका कारण वर्कर्स में थोड़ा फ्रिक्शन है । स्टेन्डिग ऑर्डर्स हैं, यह माना हुआ है इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कि कोई पर्मानेन्ट मुलाज़िम होता है उसका डेज़िग्नेशन चेन्ज नहीं किया जाता है । आप, आपका जो ऑफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट है उससे चपरासी का काम नहीं लिया जाता है, आप नहीं ले सकते हैं । आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं नौकरी से, लेकिन आप किसी सेक्रेटरी से नहीं कह सकते हैं । कल किसी सेक्रेटरी के पास काम कम हो गया है तो उसको एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर का काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं । एक एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर का काम कम हो गया है तो उससे आप नहीं कह सकते हैं कि थोड़े दिन डॉ० बी. एन. शर्मा की जगह सम्हाल लो, यह आप नहीं कह सकते हैं । इस तरह से इन्डस्ट्रीज़ और जो फेक्ट्रीज़ होती हैं उनके

(श्री पी० के० चौधरी)

स्टैंडिंग आॅर्डर्स होते हैं कि एक ट्रेड के वर्कर को दूसरा काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं। जैसे टैक्सटाइल मिल है, उसमें एक वीवर है उससे नहीं कह सकते हैं कि तुम रिंग फ्रेम्स सम्हाल लो। इसी तरह से कोल माइन्स हैं उनमें जो कोल कटर्स हैं वे हाइएस्ट पेड हैं और स्किल्ड लेबरर्स हैं और सबसे डिफिकल्ट टास्क उनका है। आपके पास उनका काम नहीं रहता है तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियन्स्ड, स्किल्ड कोल कटर्स इमीजियेटली नहीं मिलते हैं, even when there is no work to retain them, you have to pay them full rates. तो अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह व्यवस्था नहीं लागू की गई और कोल कटर से ट्रैमर का काम लिया गया। ट्रैमर का काम है ठेले वाले का। कोल कटर का जो काम है वह यह है कि खान में से वह कोयला निकालेगा। उसके बाद उसको ले जाने का काम, ठेले में डालकर ले जाने को ट्रैमर कहते हैं, यह काम अलग है। यह अनस्किल्ड लेबर का काम है। इसके लिये भी उनको फोर्स किया, उस पर डिस्प्यूट खड़ा हुआ। उसका कारण यह था कि टब्ज़ होती हैं उनमें कोयला डाल कर बाहर ले जाते हैं। उनको रेगुलरली टब्ज़ सप्लाई नहीं होती थीं, देर से सप्लाई होती थी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद ट्रैमर लगाकर ऊपर चलाओ। इसलिये डिस्प्यूट हुआ और यह डिस्प्यूट खड़ा हुआ अनआॅथोराइज्ड वर्क लेने की वजह से, against the code of industrial propriety; इस वजह से डिस्प्यूट हुआ और यूनियन ने इसको कंटेस्ट किया। इसको सुधारने के बजाय आपके कोल माइन मैनेजर ने पर्चेबाजी शुरू कर दी। आज तक हम यह जानते थे कि पर्चेबाजी करना यूनियन का काम था, हमको हड़ताल करनी चाहिये या नहीं करनी चाहिये, यह सब काम यूनियन करती थी और पर्चे निकाला करती थी, लेकिन इसके बजाय आपके कोल माइन के मैनेजर एम. जी. फेन ने भी पर्चा निकाल दिया और कहा कि यूनियन ने जो कदम उठाया है वह गलत है, आपको काम करना चाहिये, इसके लिये कोई मुमानियत नहीं है। इस तरह का उन्होंने पर्चा निकाल दिया। मैं समझता हूं यहां का चीफ सेक्रेटरी अगर मिनिस्टीरियल स्टाफ की हड़ताल जयपुर में हो जाय तो कभी पर्चा नहीं निकालेगा। लेकिन वैसी ही स्थिति में वहां के कोल माइन मैनेजर ने पर्चा निकाल दिया। यूनियन पर्चा निकालती है तो बुलेटिन के नाम से, लेकिन माइन मैनेजर ने सूचनार्थ लिखकर पर्चा निकाल दिया। मैं समझता हूं कि कोर्डियल इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स रखने हों तो यूनियन के साथ पर्चेबाज़ी में नहीं पड़ना चाहिये। उन्होंने काम कराया ट्रैमर का, लेकिन टब्ज़ की एडिक्वेट सप्लाई नहीं हुई। यह सबसे ज्यादा स्टेंडिंग शिकायत थी कि रिक्वायर्ड नम्बर में टब्ज़ नहीं मिलती हैं, इस वजह से बीच में रुकना पड़ता है, जब तक फ्रेश सप्लाई उनके पास नहीं पहुँच जाय। तो अध्यक्ष महोदय, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से कोल का प्रोडक्शन घटता है।

मैं मानता हूं कि यह जो पलाना कोलरी है उसके बारे में आज तक हम एक ही शिकायत सुनते थे कि वहां पर ए. क्लास

(श्री पी० के० चौधरी)

मैनेजर नहीं है। लेकिन ए. क्लास मैनेजर के आने के बाद भी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन घटा है। मैं समझता हूं गवर्नमेंट को इसके लिये स्पेशल अटेन्शन देना चाहिये और जानना चाहिये कि what was the cause of loss. यह सबसे बड़ी अनफोरचुनेट बात है कि ए. क्लास मैनेजर के आने के बाद भी we have to restrict the production and bring it to a level much lower than it was in 1955-56 or 1956-57. आज से ५ साल पहले जो प्रोडक्शन था उससे घटाकर प्रोडक्शन को और रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा है, यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में पलाना कोलरी एक एसेट है उसका प्रोपर युटिलाइज़ेशन होना चाहिये।

दूसरी यह शिकायत आती है कि यहां लिग्नाइट में कोल इवेपरेट होता कम है और ज्यादा बताया जाता है। १ टन इवेपरेट होता है तो १० टन बताया जाता है और कहा जाता है कि सारा का सारा इवेपरेट हो गया, यानि १ टन का १० टन बता दिया जाता है। इस तरह से मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ कोल होता है। मैं समझता हूं पलाना कोल माइन्स की जांच बराबर अच्छी तरह से होनी चाहिये और मालूम करना चाहिये कि क्यों ऐसा होता है। ए. क्लास मैनेजर के आने के बाद भी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है और प्रोडक्शन इकोनोमिक क्यों नहीं हो रहा है? मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिलेशन्स क्या हैं? इसकी पूरी जांच करके कम से कम इसको इकोनोमिक फूटिंग पर लाना चाहिये। हम इसको केवल इकोनोमिक फूटिंग पर ही नहीं लाना चाहते बल्कि हम इससे वेल्थ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लिग्नाइट के बारे में पहले सुझाव दिया था। There are various other uses of Lignite. आयर्न एन्ड स्टील प्लान्ट के बारे में कहा था कि लिग्नाइट से स्टील प्लान्ट की योजना भारत में दो जगह हो सकती है, एक तो राजस्थान में और दूसरी मद्रास में क्योंकि दोनों जगह काफी लिग्नाइट मिलता है। गवर्नमेंट को देखना चाहिये कि हमारे यहां आयर्न ओर है उसको लगाकर where we can use it or not? हमारे यहां जो नेचुरल वेल्थ है उसको इस तरह से बर्बाद न करें, on account of carelessness. इसको इस तरह से वेस्ट न होने दें। इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है. "पलाना खान (एक राजकीय व्यापारिक प्रतिष्ठान) की कार्य पद्धति में परिवर्तन करने पर बहस करने हेतु।"

अध्यक्ष महोदय, पलाना खान करीब ५०-६० वर्ष से सरकार द्वारा चलाई जा रही है और यह सरकार की एक बहुत बड़ी माइन थी राज्य में सन् ५२ तक। अध्यक्ष महोदय, इस खान से एक वर्ष, सन् ४८ में ऐसा आया जब कि एक साल में करीब ७५,००० टन कोयला निकाला गया। उस समय यहां पर सेकन्ड क्लास माइन मैनेजर काम कर रहा था। लेकिन सन् ५२ में इन्डियन माइन्स एक्ट लागू हुआ और उसके बाद मैनेजर्स की क्वालिफिकेशन

Page No.41

(श्री भीमसेन)

नियत कर दी गई और उसकी तहत में हमारी पलाना कोलियेरी के मैनेजर जो द्वितीय श्रेणी के डिप्लोमा होल्डर थे इस वजह से जो रूल्स बनाये गये, जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई उसमें सेकन्ड क्लास मैनेजर के लिये केवल २५०० टन कोयला रेज़ करने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस एक्ट के लागू होने के बाद वह माइन मैनेजर जो पिछले ३० वर्ष से इसको ओपरेट कर रहे थे, सक्सेसफुली ओपरेट कर रहे थे, एक्ट लागू होने पर उनके पास क्वालिफिकेशन न होने से वे माइन मैनेजर टेक्निकली डिबार हो गये, २५००, टन से अधिक कोयला रेज़ नहीं करने के लिये और इस स्थिति के कारण इस खान के वर्किंग पर बहुत भारी असर पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माइन्स एक्ट का जो रिलेवेन्ट क्लॉज़ है उसे हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं। सेक्शन १७ जो माइन्स एक्ट का है उसमें लिखा है :

" Save as may be otherwise prescribed, every mine shall be under one manager who shall have the prescribed qualifications and shall be responsible for the control, management and direction of the mine, and the owner or the agent of every mine shall appoint himself or some other person having such qualification to be such manager. "

अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सेक्शन को पढ़ने का मकसद यह था कि इस सेक्शन में प्रावधान रखा गया है, "Save as otherwise provided" तो मैं चाहता हूं कि अगर सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने यह रिप्रजेन्टेशन करती कि हमारे जो माइन्स मैनेजर हैं वे पिछले ३० वर्षों से माइन को सक्सेसफुली ओपरेट कर रहे हैं, हालांकि ये सेकिन्ड क्लास डिप्लोमा होल्डर है लेकिन वे प्रति वर्ष ५० हजार, ७५ हजार टन कोयला रेज करते आ रहे हैं इसलिए जैसा कि सेक्शन में दिया गया है "save as otherwise provided" तो हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने यह रिप्रजेन्टेशन कर सकती थी कि हमारी पलाना कोलियरी........

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि "save as otherwise provided का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्टेशन करना चाहिए था, तो वह हो सकता था ? मैं जानना चाहता हूं कि 'सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड' का मतलब क्या है ?

श्री भीमसेन : मैं अपने आपको क्लिअर कर रहा हूं। इस सेक्शन के तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाये हैं, क्वालिफिकेशन्स प्रेस्काइब की हैं। जो केन्द्रीय सरकार ने क्वालिफिकेशन्स प्रेसकाइब की हैं रूल्स के तहत इस रूल में चेंजेज़ करने के लिए हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार को रिप्रजेन्टेशन कर सकती थी, जो माइन्स मैनेजर ३० साल से सक्सेसफुली माइन ओपरेट कर रहा है, उसके लिए रूल्स में कुछ एक्सेप्शन कर दिया जाय क्योंकि यह जो खान है, बंगाल और बिहार की खानों के मुकाबले में इस खान का ओपरेशन भिन्न है। जो साधारण नियम बंगाल और बिहार की खान के लिए ये इस खान की विशेष स्थिति को देखते हुए उन रूल्स में रिलेक्सेशन कर दिया जाय। ऐसा रिप्रजेन्टे

Page No.42

(श्री भीमसेन)

शन हमारी सरकार कर सकती थी लेकिन सरकार ने तवज्जह नहीं दी है। खैर, यह हुआ। इसके बाद माइन्स एक्ट के तहत सरकार को फर्स्ट क्लास इन्जीनियर को नियुक्त करना था। अध्यक्ष महोदय, १६५२ में वह एक्ट लागू हो गया, लेकिन १६५२ से १६५७ तक, यानि पांच साल तक हमारी सरकार बिल्कुल सोती रही। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन इन्जीनियर नहीं मिला लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कार्यवाही की है, सरकार की तरफ से और सरकार को जो तत्परता दिखानी चाहिए थी, वह नहीं दिखाई है। कभी स्केल्स ऐसे रख दिये गये कि उनके लिए माइन्स मैनेजर आने को तैयार नहीं होता था। वे स्केल्स क्यों नीचे रखे गये, यह हो सकता है कि....

डॉ. चन्द्रकला : (किशनपोल बजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गण–पूरक घंटी के पश्चात पुन :)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सन् १६५२ से १६५७ तक राजस्थान सरकार फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर अपोइन्ट नहीं कर सकी, पांच वर्ष निकल गये और हमारी जो एस्टीमेट कमेटी ने रिपोर्ट दी है, अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी वैसी बात है हमारी सरकार के लिए कि एस्टीमेट कमेटी ने सन् १६५८-५६ के अष्टम, प्रतिवेदन में, सरकार जिस तरह से उपेक्षा बरती है, उसके लिए रिमार्क्स दिये हैं, जिन्हें मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। उस में फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर के लिए कमेटी ने लिखा है कि सरकार ने खास तौर पर डिले की है :

"यदि आरम्भ में ही इस पद के लिए अच्छा वेतन प्रकाशित किया गया होता तो योग्य व्यक्ति अवश्य मिल जाता। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा था कि सरकार को केवल बीकानेर पॉवर हाउस पर ६ लाख रुपये वार्षिक की हानि हो रही है और उसे आसानी से बचाया जा सकता है। यदि पालना खान का पूर्ण विकास किया जावे तो दूसरे बिजली घरों में भी यह कोयला इस्तेमाल कर के करोड़ों रुपयों की बचत की जा सकती है। समिति की सिफ़ारिश के सम्बन्ध में सरकार का कोई विरोध नहीं था। सरकार ने इसे स्वीकार किया और यह माना कि यदि योग्य व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो निश्चित रूप से केवल ६ लाख रुपये वार्षिक का ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपयों का लाभ सरकार को हो सकता है। इस के अलावा उस इलाके के विकास में भी सहायता मिल सकती है। इतने महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में विभागीय लिखा–पढ़ी में लगभग चार वर्ष का समय गुजार देना समिति की राय में निस्संदेह आपराधिक कर्तव्याघात है"।

क्रिमिनल नैग्लीजेन्स का रिमार्क कमेटी ने दिया है। तो इस तरह सरकार ने इस खान की उपेक्षा की है और जिस तत्परता से, जिस स्तर पर इस खान के विकास के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिससे यह खान लाभदायक कार्य कर सके, या मुनाफा दे सके, इस के लिए सरकार ने या सरकार के विभागीय अधिकारियों ने बिल्कुल स्लेकनैस से काम किया है और अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस कन्सर्न को १६५२ में कॉमर्शियल कन्सर्न डिक्लेअर कर दिया था। कॉमर्शियल कन्सर्न डिक्लेअर करने के बाद भी सरकार काम करने का तरीका जो है जिस तरह से दूसरे

(श्री भीमसेन)

विभाग हम चला रहे हैं, उसी तरह कॉमर्शियल कार्य चलता आया है। तो इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, १६५८ में पहली बार माइन्स मैनेजर फर्स्ट क्लास अपोइन्ट किया गया। उसकी नियुक्ति के बाद इस माइन में किसी तरह का सुधार हुआ हो, ऐसा नज़र नहीं आता। पहले हमारे पास बहाना यह था कि फ़र्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर नहीं है, किन्तु अब इससे जितना लाभ होना चाहिये था, उतना नहीं मिल रहा है। ज्यों ही फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर आया तब से इस खान में, पहले जहां मामूली फायदा होता था, अब घाटा हो रहा है। अब दूसरा बहाना विभाग के पास है। अब यह कहना है कि इस कोयले की मांग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो १६५८-५६ की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई इसमें बताया है कि बीकानेर पॉवर हाउस में काफी कोयले की आवश्यकता थी, लेकिन उसको कोयला न मिलने के कारण बंगाल कोल मंगाना पड़ा और जो बोयलर,जो पलाना कोल के लिए सूटेबल था, उसको चेंज कराना पड़ा क्योंकि उसको चार-पांच साल से पलाना कोल नहीं मिला और वह बंगाल कोल इस्तेमाल कर रहा है अब हमारी सरकार के सामने समस्या है कि इतना कोयला कहां खपत करें। अध्यक्ष महोदय, अगर वक्त पर सरकार चेतती और वक़्त पर कदम उठाया होता और वित्त विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और उद्योग विभाग, तीनों डिपार्टमेंट कोऑर्डीनेशन से काम करते, तो अध्यक्ष महोदय, जो आज स्थिति पैदा हो रही है वह नहीं होती लेकिन यह जो हमारी सरकार का काम करने का तरीका है, बारबार कहने के बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुलीं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इस खान की जो उपेक्षा सरकार ने बरती है, उसको एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में क्रिमिनल नेग्लीजेन्स कहा है। अध्यक्ष महोदय, यह खान लाखों रुपयों का फायदा दे सकती थी, इसके संचालन में इस तरह का काम करना हमारे लिए शर्मनाक बात है। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था, बीकानेर स्टेट गवर्नमेंट ने १६४७ में ऐसी एक योजना बनाई थी कि पलाना कोलियेरी को हम ओपन कास्ट सिस्टम से ओपरेट करें। अध्यक्ष महोदय इस वक्त पलाना कोलियेरी में जो काम हो रहा है, उसमें हमें २००, २५० फीट गहरे कुएं लगाने पड़ते हैं, फिर कोल एरिया से निकालना पड़ता है। इस पद्धति से काम करने में, अध्यक्ष महोदय, केवल १५-२० पर्सेन्ट कोयला हम बाहर निकाल पाते हैं और बाकी का ८५, ८० पर्सेन्ट कोयला जमीन में रह जाता है। इस वक्त राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है। तो बीकानेर स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी कि इस खान को ओपन कास्ट सिस्टम से ओपरेट करें। इसके लिए सरकार ने कई लाख रुपयों की मशीनरी मंगा ली थी। उसके तुरन्त बाद राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ और आज तक वह योजना खटाई में पड़ी हुई है। हालांकि राजस्थान सरकार ने दूसरी पंच वर्षीय योजना में ऐसा लिखा था कि हम इस खान को ओपन कास्ट सिस्टम से ओपरेट करें लेकिन दूसरी पंच वर्षीय योजना के चार साल, अध्यक्ष महोदय, बीत गये, और एक साल बाकी है लेकिन अब तक इस दिशा में सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था इस माइन को ओपरेट करने के लिए, इस माइन का संचालन करने

(श्री भीमसेन)

के लिए सरकार को जो तत्परता बरतनी चाहिये थी वह नहीं बरती। अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में दो खानें और है, मद्रास में नेवली और यू०पी०में सिंगरोला इन दोनों खानों में राज्य सरकार ने इतनी तत्परता से काम लिया कि इन दोनों खानों के लिए रूस से सहायता मंजूर हुई है और उन खानों में थरमल प्लान्ट लगाये गये हैं और उनसे बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारी पलाना कोलियेरी में भी थरमल प्लान्ट लगाया जा सकता था और इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए हमको बिजली काफी तादाद में मिल सकती थी, अगर थरमल प्लान्ट लगायें तो। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। मद्रास में जो नेवली की खान है, उसमें रूस की सहायता मिल चुकी है और थरमल प्लान्ट लगाया जा रहा है। सिंगरोल में भी रूस की सहायता से बिजली पैदा करने की स्कीम है। हमारी सरकार ने १६४७ में जो योजना ओपन कास्ट सिस्टम को चालू करने की थी, जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया,उसको तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। माननीय मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि हमने कमेटी अपोइन्ट कर दी है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कमेटी अपोइन्ट करना एक अलग बात है, पर तत्परता से उस काम को पूरा करना, यह दूसरी बात है। तप्परता दिखा कर उस दिशा में उस कार्य को करने में लग जाना, यह असल बात है। हो सकता है कि हमारी राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा हो और कमेटी अपोइन्ट की हो, पर हमारी सरकार को इस कार्य में जो तत्परता बरतनी चाहिए थी इस खान पर काम करने के लिए, वह तत्परता नहीं बरती गई है। इसलिये मेरा कहना है कि जिस तरह भारत सरकार तत्परता बरत रही है उसी तरह की तत्परता बरतनी चाहिए। जिस तरह भारत सरकार की ओर से हिन्दुस्तान मशीन टूल कम्पनी है, वह भी सरकार की अन्डरटेकिंग है और प्राइवेट लिमिटेड कन्सर्न है, उसी तरह की प्राइवेट लिमिटेड कन्सर्न हमारी सरकार भी बना देती, जिसमें इन्डस्ट्रीज़ सेक्रेटरी, पॉवर हाउस के चीफ इन्जीनियर वगैरह रहें और फिर इस खान की प्रोग्रेस के लिए कार्यवाही करे, तो बड़ी अच्छी प्रगति हो सकती है।

अब मैं स्लेकनेस का एक उदाहरण पेश करूं। सन् १६५७ में इस खान के लिए वहां के माइन्स इन्स्पेक्टर ने रिपोर्ट की कि इस खान को बन्द कर दीजिये क्योंकि आग लगने का खतरा है, खान बन्द कर दी गई, रेलवे साइडिंग के लिये कहा गया पर रेलवे साइडिंग नहीं लगा।....

एक माननीय सदस्य : अब लग रहा है।

श्री भीमसेन : ५७ से आज ६० है, पर रेलवे साइडिंग नहीं लगा है, पिट माउथ तक रेलवे साइडिंग होता तो कोयला ढोने में आसानी और कम खर्चा होता, पर इसके स्थान पर वहां से कोयला ट्रक में भर कर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, इससे बहुत अधिक खर्चा आता है क्या इस तरह कोई कामर्शियल कन्सर्न काम कर सकती है?

(श्री भीमसेन)

रेलवे साइडिंग पिट माउथ तक लगा कर कम खर्चे में काम आसानी और जल्दी से किया जा सकता था। वहां ट्रकों से यह काम लिया जाता है। एक कॉमर्शियल कन्सर्न इसे डिक्लेअर कर दिया गया था तो जिस तरह दूसरी कॉमर्शियल कन्सर्न्स इकोनोमी से काम चलाती हैं उसी तरह चलाना था पर अब तीन साल बाद वहां पर रेलवे साइडिंग लगाई जा रही है. जब कि पहले ही पिट माउथ तक रेलवे साइडिंग कर दिया जाना चाहिये था।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस खान के संचालन में और प्रबन्ध में जो आज व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आज भी समय है कि राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान दे और इस खान के प्रबन्ध संचालन में सुधार करके इसकी तरक्की करे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है और वह है 'अजायबघरों के विकास की योजना पर विचार करने के लिये'।

अजायबघरों का जो महत्व है उसमें कोई इन्कार नहीं कर सकता और इसके महत्व और उपयोगिता को देखते हुए हमारी सरकार की उदासीनता भी अजायबघरों के प्रति उतनी ही अधिक है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अजीब है........

डॉ० चन्द्रकला : हां, वह अजीब भी है। लेकिन "देर आयद दुरुस्त आयद" सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के समय ही सही सरकार का ध्यान अजायबघरों की ओर तो गया, इसके लिए संतोष प्रकट किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई भूले-भटके जयपुर के अजायबघर में पहुंच गया होगा और वहां के बिजली के तारों का फिटिंग देख लिया होगा और इस ओर ध्यान गया कि इसकी तो जरूरत है और पूरक मांग के रूप में एक राशि रखी गई। लेकिन जो हमारे जयपुर के अजायबघर की हालत है शायद उससे भी कहीं ज्यादा खराब हालत और दूसरे अजायबघरों की है। न तो वहां सफाई है, न व्यवस्था है और विकास की तो कथा ही क्या। जो अजायबघर बहुत पहले रियासतों के समय से जिस रूप में चले आ रहे हैं उनको ही जैसे-तैसे सरकार बनाये रख सकी है, लेकिन उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम सब जानते हैं कि अजायबघर या म्यूजियम हमारे लिये ऐसे शिक्षा के केन्द्र हैं जो समय और स्थान की दूरी को दूर करके हमको सब तरह का ज्ञान देते हैं। हम जिस चीज़ को स्वयं उपस्थित रह कर देख नहीं सकते, जहां हम जा नहीं सकते. पहुंच नहीं सकते, उस तरह की सदियों पुरानी कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, सबको आज हम अजायबघरों में देख सकते हैं, और यह राजस्थान का सौभाग्य है कि यहां की संस्कृति और यहां की सभ्यता रियासतों के कारण सुरक्षित रही है और इसी कारण हर रियासत की राजधानी में, छोटी से छोटी रियासत की राजधानी में अजायबघर रहे हैं, राजाओं ने उनको बनाया, विकसित किया और बढ़ाया था, पर जब हमारा

(डॉ० चन्द्रकला)

राजस्थान एक हुआ, उसके बाद हमारी सरकार का ध्यान इसकी ओर नहीं गया। दूसरे बड़े बड़े काम थे शायद, इसलिए हमारी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया हो, पर यह हमें नहीं भूलना चाहिये कि अजायब घरों का बहुत बड़ा महत्व है, इन अजायबघरों के द्वारा न केवल नागरिकों को उस स्थान के रहने वालों को बल्कि बाहर से आने वालों को भी हम बहुत कुछ बता-सिखा सकते हैं।

आज हम टूरिज्म को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात के लिए प्रयत्न करते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को हमारे यहां की संस्कृति, सभ्यता, कला और दस्तकारी की जानकारी हो। इस प्रयत्न में हमें अजायबघरों के द्वारा उनको विकसित करने में उत्साह प्रदर्शित करके प्रयास करना चाहिये। एक तरफ तो बहुत सी योजनाएं बना कर, खर्चा करके हमारी कला और संस्कृति की छाप हम लोगों पर डालना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे अजायबघर जो स्वयं अनायास यह सब काम करते हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देते, हम यहां के अजायबघर को देखें तो सूचित होगा कि हम अपनी अमूल्य निधि की ओर ध्यान नहीं देते। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, धौलपुर आदि अजायबघरों के लिए सोचा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, हमारे प्रान्त का केन्द्र है, इसलिए यहां के अजायबघर को केन्द्रीय या प्रान्तीय स्तर पर बढ़ाना चाहिये। अमूमन देखा गया है कि हमारी सरकार की मनोवृत्ति बंटवारे की रहती है, कोई एक हिस्सा एक जगह हो तो दूसरा हिस्सा दूसरी जगह को मिलना चाहिये और कभी इस तरह का बंटवारा कर देती है कि उस चीज का मूल्य ही कम हो जाता है। आशा है कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि यहां एक अच्छा, सुगठित, विकसित और सुसज्जित अजायबघर हमारी राजधानी में हो, यह बहुत जरूरी और अच्छी चीज है।

इसके साथ साथ ही छोटे छोटे अजायबघर, अपनी अपनी हैसियत के माफिक हर डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर हों। इतना ही नहीं बल्कि मेरा तो यह सुझाव है कि हर जिले के हैड क्वार्टर पर एक एक अजायबघर हो, क्योंकि हर ज़िला एक रियासत था और उनकी अपनी संस्कृति, सभ्यता और कला-कौशल था। अस्तु, हर जिले के हैड क्वार्टर पर अजायबघरों की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वहां की संस्कृति, सभ्यता और कला कौशल को लोग देख सकें। मैं तो चाहूंगी कि शिक्षा के मद से या दूसरे किसी मद से धनराशि बचा कर भी अजायबघरों के लिए रखना चाहिये क्योंकि ये अजायबघर हमारे नागरिकों के लिए, बाहर से आने वालों के लिये और विद्यार्थियों के लिये बहुत सुन्दर शिक्षा केन्द्र हो सकते हैं। (१ म. प.) हो सकता है कि जिस चीज़ को हम बहुत मुश्किल से पाठ के द्वारा पढ़ सकते हैं उनको हम अजायबघरों में प्रत्यक्ष दर्शनों के द्वारा आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिये इसके विकास की ओर ध्यान देना चाहिये, लेकिन होता क्या है कि जो कुछ पहले से राजाओं के जमाने में बनी हुई अजायबघरों में चीजें हैं उनको भी आप अच्छी तरह से और सुरक्षित ढंग से नहीं रख रहे हैं। आप न तो उनको साफ-सुथरी रख पाते हैं।

Page No.47

(डॉ० चन्द्रकला)

और कहीं २ तो आप देखेंगे कि अजायबघरों में नीचे तो प्रदर्शन की चीजें रखी हुई हैं और ऊपर से कबूतरों की बीटें गिर रही है। अजायबघर क्या हुआ सचमुच अजायबघर एक मज़ाक का अजायबघर हो गया है। हमारी सरकार ने अब थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान दिया है। मैं यह भी निवेदन करूंगी कि इसके साथ साथ हमें पुरातत्व विभाग की ओर भी ध्यान देना चाहिये और अजायबघर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां पुरातत्व विभाग है, उसमें कई हस्तलिखित ग्रन्थ हैं जिनको यदि हम प्रकाशित करें तो बहुत बड़ा हमारे साहित्य का हित हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत साहित्य की चीजें मिल सकती हैं। मगर हमारी सरकार ने इस पुरातत्व विभाग को एक कोने में ले जाकर जोधपुर में रख दिया है? पता नहीं इसमें सरकार का क्या दृष्टिकोण है। शायद यह हो कि यदि इस पुरातत्व विभाग को यहां राजधानी में रखा जावेगा तो लोग इसको देखेंगे और कहेंगे कि इन हस्तलिखित पुस्तकों को सरकार प्रकाश में लावे और सरकार को इसके लिए बाध्य करें इसलिए सरकार ने इसको ले जाकर ऐसी जगह रख दिया है जहां कम लोग उसको देखें। वास्तव में देखा जावे तो हमारे यहां जयपुर युनिवर्सिटी का मुख्य सेन्टर है, राजधानी भी है यहां बहुत से लोग आते भी हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए यह पुरातत्व विभाग यहां से नहीं जाना चाहिये। अगर कोई जोधपुर वालों को सुविधा देने तक के लिये हो तो ऐसा कहा जा सकता है। इसमें भोज पत्रों पर,पुराने कागजों में और बस्तों में बन्धी हुई पुस्तकें हैं। उनको यहां से हटाकर वहां ले जाना इतना उपयोगी नहीं हो सकता जितना कि यहां उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के हस्तलिखित ग्रन्थों का प्राप्त करना कितना मुश्किल है। पहले ये किताबें राजमहलों के कोनों में मिलती थीं, कहीं घरों के तहखानों में मिलती थीं। वहां से बड़ी मुश्किल से पुरातत्व विभाग ने उन्हें प्राप्त किया है। इसलिए मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि इस तरफ अपनी जो उदासीन नीति है उसको छोड़े और उसके विकास की ओर अग्रसर हो और उसके साथ साथ पुरातत्व विभाग जिसको एक कोने में जाकर रख दिया है उसको वापिस यहां जल्दी से जल्दी लाया जाय। इन सुझावों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६ — वैज्ञानिक विभाग में एक रुपया कम कर दिया जाय, अजायबघरों की विकास की योजना पर विचार करने के लिये जब यह मांग आई तो जब तक प्रत्यक्ष जाकर स्वयं अजायबघर को न देखा जावे, मैं कुछ नहीं कह सकता इसलिये कल मैंने खुद ने स्वयं दो-तीन घंटे निकाल कर जयपुर का अजायबघर देखा। लेकिन जब मुझे इस मांग पर ५७ हजार रुपये के करीब बिजली लगाने के लिये व्यय किये गये हैं तो वास्तव में मेरे साथी जो मेरे मित्र थे और खास तौर से यहां पर प्रथम बार आये थे कि राजस्थान किस प्रकार था और किस प्रकार से है और अब किस प्रकार का बनने वाला है, उसकी वे ज्यादा खोज

Page No.48

(डॉ० बहादुरसिंह)

करना चाहते थे। लेकिन जब हम वहां गये तो वहां पर सबसे बड़ा अभाव विद्युत का ही था। वहां पर जिन चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था उनको बिजली के अभाव से अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता था और न कोई चित्र बना सकता था। उन पर इस प्रकार की चिट्ठियें लगी हुई थीं, वे भी मैं समझता हूं कि जयपुर स्टेट ने जब अजायबघर को बनाया था उस समय बनाई होंगी उसके बाद किसी ने उनको दुबारा लिखाने का कभी कष्ट नहीं किया होगा। अजायबघर इसलिये बनाये जाते हैं कि लोगों को इससे जानकारी प्राप्त हो और शिक्षा मिले, जो उन चीजों को वहां जा कर नहीं देख सकते। लेकिन वास्तव में अजायबघर हमारे प्राचीन संस्कृति के दिग्दर्शन मात्र हैं कि कहां क्या था अजायबघर और दुनियां में किस जगह क्या चीज होती है ? अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने यहां के अजायबघर और दूसरे स्टेटों के अजायबघरों से मुकाबला करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहां जू है, वह भी इतना गंदा है कि उसमें एक बार पानी भरदें तो फिर तीन-चार महीने तक उसको साफ करने की दिक्कत नहीं करते। वह तीन–चार महीने तक साफ नहीं होता और जो जानवर बाहर से लाकर अप्राकृतिक स्थानों पर रखे जाते हैं वे भी इस प्रकार से रखे हैं कि वह जगह बहुत गंदी है। तो मैं समझता हूं कि वे जानवर कभी गंदी जगह पर ठीक तरह से स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए या तो वे खत्म हो जाते हैं या उनके स्वास्थ्य में में फर्क पड़ता है। इस प्रकार से....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : अभी घंटी नहीं बजी है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

तो राज्य सरकार है उसको चाहिये कि इस सम्बन्ध में जिस प्रकार शिक्षा विभाग को रन करते हैं, शिक्षा विभाग का संचालन करते हैं उसी तरह से यह भी एक प्रकार की शिक्षा ही है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने सिनेमा का विरोध किया है। आप एक तरफ सिनेमा का विरोध करते हैं, उधर अजायबघरों की स्थिति इस प्रकार की है। हमें सरकार को सलाह देनी चाहिये कि हमारे एन्टर्टेनमेंट के लिये सुधार होने चाहिये। हमारे यहां अजायबघर प्रान्तीय स्तर का बनाया जावे। सेन्टर की सरकार ने भी इसके सुधार के लिये प्रयत्न किया है और हमारे यहां पर भी इसको देखने के लिये बाहर से लोग आते हैं और इसके अलावा हमारे देश के लोग भी विदेशों की चीजों को देखने के लिये लालायित होते हैं। अजायबघरों में सुधार करने के लिये केन्द्र की सरकार प्रयत्न कर रही है, इसी तरह हमारी सरकार को भी हमारे यहां अजायबघरों को ठीक तरह से रखना चाहिये और सुधार करना चाहिये। मान लें कि जो लोग जयपुर में आवें वे

(डॉ० बहादुरसिंह)

राजस्थान का हाल अजायबघरों को देख कर भी मालूम कर सकते हैं। अजायबघर को देखने से उन लोगों को यह मालून हो जाना चाहिये कि कहां कितनी चीज़ प्राप्त होती है। मगर यह एक बहुत बड़ी भारी कमी है। जहां तक मैं समझता हूं कि राजस्थान में कुछ बन औषधि भी होती हैं। मगर अजायबघर को देखने से किसी को यह पता नहीं लगता कि यहां पर कोई बन औषधि भी होती है। देखा जाय तो वहां पर एक भी बन औषधि का प्रदर्शन नहीं है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अजायबघर को देखने के बाद यही कह सकता है कि राजस्थान में रेत के सिवाय कुछ नहीं है।

चित्र–कला के बारे में वह कह सकता है कि वहां पर प्राचीन तसवीरें थीं, उसका कौन बनाने वाला है और किस समय की हैं, इसका कोई पता नहीं चलता। किस समय की और किस कलाकार की हैं, यह तो अंकित होना चाहिये। अगर यह नहीं होता है तो यह चित्र कब का है, यह पता नहीं लगता। शैली का तो पता चल सकता है, मगर यह पता नहीं चल सकता कि किस समय की है, इसलिये कम से कम किस समय का चित्र है यह तो पता चलना ही चाहिये। इसी तरह से हमारे यहां राजस्थान के अपराधों के बारे में चित्र लगा रखे हैं। म्यूज़ियम में रखा है कि राजस्थान में किस ढंग के अपराध होते हैं। मैं यह कहूंगा कि उनको अगर राजस्थान के अपराधों के बजाय जयपुर के अपराध कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें राजस्थान में लोगों को सजा देने का तरीका बताया गया है। अंग्रेज जज होते हैं और पुलिस ऑफिसर अंग्रेज। यह लिखा जाता कि "जयपुर में प्राचीन समय में सजा देने का तरीका", तो ज्यादा अच्छा रहता। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमारे प्रदर्शन का जो तरीका है उस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये। हमारा प्रदर्शन का तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे हम यह देखें कि कहीं हम किसी गलत चीज का तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप इनसे यह बताते कि राजस्थान में ऑफिसर्स हैं वे अंग्रेज हैं। हो सकता है कि जयपुर में कुछ यूरोपियन हों। जो फांसी देने का तरीका है वह बताया गया है कि इस प्रकार से राजस्थान में फांसी दी जाती है। आज इस प्रकार की पद्धति नहीं है। मैंने जो मद्रास के अपराधों के सेक्शन को देखा तो वहां पर यह बताया गया है कि 'पुराना सज़ा देने का तरीका'। इस तरह से जो वास्तव में बात हो उसका चित्रण होना चाहिये। यह नहीं कि एक समय पर अजायबघर बना दिया उसमें फिर किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत न हो।

इसी तरह से वहां पर जो वस्तुएं रखी हुई हैं वे काफी मूल्यवान हैं। लेकिन उनकी हिफाज़त का तरीका है या जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन किया गया है उसको संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। जो राष्ट्रीय संपत्ति वहां रखी गई है उसकी सुरक्षा के लिए पूरा प्रबन्ध हम नहीं कर रहे हैं, यह मैं महसूस करता हूं। यह भी महसूस करता हूँ कि वहां जो कर्मचारी मंडल है, शायद कोई विदेशी वहां पर जाते हों और उनको कोई पुरस्कार दे दें तो कोई बात हो और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, लेकिन दूसरे जो वहां पर नागरिक जाते हैं उनके साथ सभ्यतापूर्ण व्यवहार नहीं होता है। खास तौर पर ग्रामीण जाते हैं,

Page No.50

(डॉ० बहादुरसिंह)

उनके साथ तो बेजा तरीके से व्यवहार किया जाता है। ग्रामों से लोग उत्साह के साथ इन चीजों को देखने के लिए आते हैं क्योंकि उनको और जगह ये चीजें देखने को नहीं मिलतीं। और लोग तो दो-चार स्टेट में जाकर भी देख लेते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि जयपुर में ही देखें, लेकिन ग्रामीण लोगों को तो यहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उनके साथ वहां के कर्मचारी लोग बड़ा रूड व्यवहार करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि चाहे शहर के लोगों को आप गाइड न करिये, क्योंकि वे स्वयं पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, देहातों से आते हैं, उनको कानून-कायदे तो मालूम नहीं होते, उनको नम्रता के साथ समझाने की आवश्यकता है, जिससे कि इन चीजों को उनकी अच्छी तरह से शिक्षा दे सकें। मैंने यह जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका मुख्य कारण यही है कि वहां पर रोशनी का प्रबन्ध ठीक नहीं है और वहां के स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत ३.८७ लाख रुपये की धन-राशि जो पलाना के सम्बन्ध में रखी गई है उसके विषय में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। ["मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में १००) की कटौती की जावे (पलाना कोयले की खान की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु"]

" अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक प्रकार से जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है वह अभी तक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। औद्योगीकरण की दृष्टि से मैं समझता हूं कि कोयले का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सौभाग्य से राजस्थान के उस बीकानेर इलाके में कोयले की एक खान है जिसको पलाना कोलियरी के नाम से पुकारते हैं। इतने महत्वपूर्ण पदार्थ के सम्बन्ध में गत पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार की जो नीति रही है, मैं समझता हूं, उद्योग मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि पलाना की कोयले की खान के सम्बन्ध में जिस प्रकार उसका उत्पादन बढ़ना चाहिये था, जिस प्रकार से खान का विकास होना चाहिये था, उस खान में से कोयले की पैदावार बढ़नी चाहिये थी और खान में कोयले की वृद्धि और उत्पादन के साथ साथ बीकानेर के बिजलीघर को मिलने वाले कोयले की दृष्टि से उत्पादन अधिक होना चाहिये था और वहां पर चलने वाले अनेक उद्योगों के लिए सस्ते दर पर बिजली मिलनी चाहिये थी, इन सब कारणों को देखते हुए राज्य सरकार की लापरवाही और विभाग की लापरवाही के कारण सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि राज्य के एक हिस्से में कोयला मिलता है उसका समुचित उपयोग, विकास करने में राज्य सरकार उदासीन रही है। राज्य के उद्योग मंत्री महोदय ने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को और उसके आंकड़ों को उठा कर पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से कहता हूं कि प्राक्कलन समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, उन पर विभागीय जांच करायी होगी और उन कारणों की जांच करने की भी कोशिश की गई होगी कि कौनसे ऐसे कारण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं जिनके कारण पलाना में उत्पादन कोयले का बढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानकारी के द्वारा आंकड़े रख दूं कि किस प्रकार से कोयले का उत्पादन घटता ही गया है। जब विधान सभा में राज्य सरकार के सामने सवाल खड़ा किया गया तो राज्य सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया कि कोयले की खान पर फर्स्ट क्लास मैनेजर नहीं है, वहां पर सेकिन्ड क्लास ही मैनेजर है; इसलिए राज्य सरकार फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति के लिए विचार कर रही है। इसी सदन में, जहां तक मुझे स्मरण है, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा था कि सरकार विचार कर रही है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर को खान पर नियुक्त कर कोयले का उत्पादन बढ़ाये। लेकिन फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति करने के बाद भी पलाना में कोयले का उत्पादन बढ़ा नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दूं। सन् ५४ में २६,६०० टन कोयले का उत्पादन हुआ, सन् ५५ में २८,६४३ टन कोयले का उत्पादन हुआ और सन् ५६ में २५,६२१ और सन् ५७ में ११,०६३ टन कोयले का उत्पादन रह गया। सन् ५८ में वह उत्पादन १२ हजार टन रह गया और दिसम्बर सन् ५८ से दिसम्बर ५६ तक १७ हजार टन कोयले का उत्पादन रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट क्लास मैनेजर का अपोइन्टमेंट दिसम्बर ५७ में कर दिया गया और उसके बाद ५८ में उत्पादन के फीगर्स और सन् ५६ के उत्पादन के फिगर्स १२ हजार और १७ हजार टन क्रमश: हैं। वे इस बात के साक्षी हैं कि सन् ५८ में १२ हजार टन और सन् ५६ में १७ हजार टन फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति के बाद यह है, उससे कोयले का उत्पादन बढ़ा नहीं है किन्तु घटता ही गया है। राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। प्राक्कलन समिति ने बहुत जोरदार शब्दों में सिफारिश की और इसका मूलत: सम्बन्ध तीन विभागों से रखा गया; खनिज विभाग, उद्योग विभाग और वित्त विभाग। तीनों विभागों पर जिम्मेदारी डालते हुए प्राक्कलन समिति ने बड़े ज़ोरदार शब्दों में सिफारिश की कि इसकी सरकार जांच करे। उन्होंने जांच की या नहीं, प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को माननीय मंत्री महोदय ने पढ़ा या नहीं, सुझाव पढ़े या नहीं और प्राक्कलन समिति के सुझाव पढ़ने के बाद उन पर अमल किया या नहीं, यह बात वे अपने उत्तर में बतायेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राज्य सरकार इस खान के विकास के बारे में उदासीन है। जो कदम उठाने चाहिये थे, जो नीतियां अपनानी चाहिये थीं, जो एक्शन लेना चाहिये था राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार को ओपन शेफ्ट माइनिंग करना चाहिये था, वर्तमान ढांचा है उसके हिसाब से कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। मैं इस हालत को देखते हुए नहीं समझता कि क्या कदम उठाये हैं? ओपन शेफ्ट माइनिंग नहीं किया गया, रेलवे साइडिंग करने की थी, नहीं की गई। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि बिजलीघर बीकानेर को कोयला खान सप्लाई होना चाहिये था। यदि वहां के अधिकारियों से पूछा जाय कि बिजलीघर में पलाना के कोयले की खपत क्यों नहीं होती है तो वे जवाब देते हैं कि बिजली घर, बीकानेर वाले हमारा कोयला लेते नहीं हैं।

Page No.52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जब बिजलीघर बीकानेर के अधिकारियों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि उनको वहां का कोयला मिलता ही नहीं। खान वाले कहते हैं कि बीकानेर बिजलीघर वाले उनका कोयला लेते नही और बिजली घर वाले कहते हैं कि उनको वहां का कोयला मिलता नहीं। दोनों ही सरकार के विभाग हैं, कोयला विभाग भी सरकार का है और बिजली घर भी सरकार का है। क्या राजस्थान सरकार ने कभी यह कोशिश की है कि बिजली घर को पलाना कोलयरी का कोयला लेना चाहिये? बिजली घर के अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिये थी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। राजस्थान की हुकूमत में उल्टा हो रहा है. पलाना कोलियारी वाले बिजली-घर को कोयला देते नहीं है इसलिए बंगाल से मंगाया जाता है बिजली घर के लिए कोयला। बंगाल से जो कोयला आता है वह मंहगा पड़ता है, उसका भाड़ा ज्यादा लगता है, रास्ते में छीजत हो जाती है। इतना ही नहीं, छीजत को भी बर्दाश्त किया जा सकता है, महंगा पड़ता है उसके बावजूद भी यह बंगाल का कोयला बीकानेर बिजली-घर के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके कारण बिजली घर की मशीनें खराब होती हैं और खराब हो गई हैं? उसके कारण बिजली कम पैदा हुई है। एक तरफ तो राज्य सरकार को बंगाल से कोयला मंगाने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है और दूसरी तरफ बिजली घर की मशीनें खराब होने से नुकसान उठाना पड़ता है और पड़ा है।

वहां सरकार को हानि उठानी पड़ी। मशीनें खराब होने के कारण बिजली का उत्पादन कम हुआ, औद्योगीकरण नहीं हो सका, इस तरह से सरकार को हानि उठानी पड़ी। इन सारी दृष्टियों से विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को बहुत आर्थिक हानि हुई है और वह भी सब लापरवाही के कारण। इस बारे में राज्य सरकार को सचेत नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है। प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हो सकता है उसको पढ़ने का समय माननीय उद्योग मंत्री को न हो। यदि वे उस रिपोर्ट को पढ़ते और उसके अनुसार कार्य करते तो यह नौबत नहीं आती। ये सुझाव सन् १६५३ से लगातार चल रहे हैं और सन् ५७ तक चलते रहे, लगातार पांच साल तक वहां पर फर्स्ट क्लास मैनेजर को अपोइन्ट नहीं किया। आपको सुझाव दिये जाते हैं, लेकिन उस पर आप विचार करते नहीं, प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट आप पढ़ते नहीं, राज्य सरकार को इन समितियों की रिपोर्ट को जितनी इज्जत देनी चाहिये, देती नहीं। जहां हमारा यह सदन सुप्रीम है और उसके द्वारा निर्वाचित प्राक्कलन समिति, जन लेखा समिति द्वारा जो सुझाव दिये जाते हैं जिन पर सरकार को अमल करना चाहिये, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री महोदय उन सुझावों को पढ़ते तक नहीं और पढ़ते भी हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते और उनको क्रियान्वयन करने का तो साहस ही नहीं करते। इस बारे में जो प्राक्कलन समिति ने रिपोर्ट दी है, अगर वह माननीय मंत्री महोदय ने नहीं पढ़ी है तो वे मेरे से ले लें और उसको पढ़ें और उनमें दिये हुए सुझावों पर विचार करें। उसमें जो जो बातें बतायी गई हैं उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यदि क्रियान्वित कर दिया जाता है तो यहां की हालत काफी सुधर सकती है। पलाना कॉलेरी का कोई छोटा सा सवाल नहीं है। राजस्थान के काफी लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है, मजदूरों की हालत सुधर सकती है। इससे बीकानेर के इलाके में जो इस प्रकार की एक ही खान है उसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये और इसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिये। इसके बारे में जो ३.८७ हजार की छोटी सी रकम है वह इसलिये है कि मजदूरों को अवार्ड के हिसाब से पैसे दिये जायं। यह ठीक है, किन्तु इसके साथ साथ सरकार यहां पर फर्स्ट क्लास मैनेजर की नियुक्ति करके इस पलाना कॉलेरी का जो हाल खराब हो रहा है उसको ठीक करे। इसके बिना इसका उद्धार होनेवाला नहीं है। इसके बारे में राज्य सरकार को सक्रिय कदम उठाना होगा। इस तरह से मैंने कटौती प्रस्ताव रखते हुए जो सुझाव सदन के सम्मुख रखे हैं मैं आशा करता हूँ कि उन सारे सुझावों पर सारे परामर्शों पर विचार करते हुए जो भी आवश्यक कदम हो वह उठाया जाना चाहिये। जहां तक इस खान का सवाल है इसका एक्सप्लोइटेशन किया जाकर औद्योगीकरण की दृष्टि से और बेकारी की समस्या के हल करने में इससे मदद मिलेगी। इस आशा के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ["मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जावे। पलाना खान के विकास में सरकार की उपेक्षा पर विचार करने के लिए,"]

माननीय अध्यक्ष महोदय, पलाना की स्थिति पर विचार करने के लिये कई सम्माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए अपने अपने विचार प्रगट किये हैं। आज सबेरे ही जब प्रश्नोत्तर काल में राज्य सरकार ने, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर पर क्या नीति है, इस सम्बन्ध में जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे उस उत्तर से ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान में पलाना क्षेत्र में राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत काम कर रही है। उनके उत्तर से ऐसा मालूम होता था कि इस सेक्टर के अन्तर्गत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी जैसा कि सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वैसे तो हम सब पलाना कॉलेरी के बारे में लंबे अर्से से जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार से काम हो रहा है और सरकार के पब्लिक सेक्टर के अन्दर किस प्रकार से यह काम हो रहा है। यह काम नये तौर से लिया हो, यह बात नहीं यह तो पहले से ही था और उसी तरह से चलता था और उस समय यह बहुत मुनाफे में चलता था, घाटे में नहीं चलता था। जब राजस्थान बना तब उसके बनने के बाद में सरकार जनता की बनी यह सोचा गया था कि सरकार इसका ज्यादा से ज्यादा, अच्छा उपयोग करेगी और इससे जनता को, आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मामले के अन्दर बहुत गहराई से विचार करें कि हमारी योजनाओं के प्रति, मुख्य लक्ष्य तक पहुँचने के

Page No.54

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रति, मंत्री लोगों की कहां तक जिम्मेदारी है, उनको किस प्रकार से काम करना चाहिये। पलाना कॉलेरी के बारे में हम गहराई से सोचें तो जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते हैं कि उत्पादन में या विकास में जो रोड़े आते हैं वे देश के दुश्मन नम्बर वन हैं। उन्होंने उत्पादन को बहुत बड़ा महत्व दिया है लेकिन आज जो सरकार या अधिकारीगण उसके साथ साथ मंत्रिमंडल में बैठने वाले लोग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें करते हैं जब इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि यह जो महत्वपूर्ण मामला है जिसमें यदि योजनाबद्ध काम किया जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है। पलाना की खान के बारे में हम लंबे अर्से से सुनते आ रहे हैं और यहां तक कि राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इसका उल्लेख आया है। आप तीन साल पहले का यानि १६५८ का राज्यपाल का अभिभाषण उठा कर देखें तो उसमें कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पलाना कोयले की खान का उत्पादन ५०० टन प्रतिदिन हो जायेगा, उसका विकास हम इस प्रकार से करेंगे। आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चतुर्थ वर्ष समाप्त होने जा रहा है लेकिन जो पांच सौ टन उत्पादन का लक्ष्य हमें बताया गया था वह पूरा नहीं हो पाया। आज तीन साल समाप्त हो गये और चौथा वर्ष प्लान का चल रहा है हिसाब लगाने पर पता चलता है कि पहले जिस खान का उत्पादन ३० हजार टन था आज उसका उत्पादन केवल १६ हजार टन रह गया है। पहले जो खर्चा था और आदमी थे केवल १६४, आज आदमियों की संख्या ३५० है और बी क्लास का मैनेजर है। आज खर्चे में तो काफी बढ़ोत्तरी हो गई है लेकिन जहां उत्पादन का सवाल आता है वह बहुत नीचे गिर गया है। इससे अधिक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने यह आता है कि पहले बीकानेर पॉवर हाउस वहां से कितना कोयला लेता था और उसको कितना दिया जाता था? आज जैसा कि मालूम पड़ा पलाना के मैनेजर बीकानेर पॉवर हाउस से कॉन्ट्राक्ट करते हैं कि हम आपको २७ हजार टन कोयला देंगे लेकिन वे दे नहीं सकते। उस २७ हजार टन की बजाय आज केवल दस हजार टन दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब कॉन्ट्राक्ट किसी प्रकार का होता है तो उसमें भी कमी करना यह साफ बताता है कि इसमें हमारे सामने योजना नहीं है। इकरारनामे होते हैं योजना होती तो शायद वे इस तरह से इकरारनामे से अलग नहीं होते।

दूसरी बात यह है कि इस मामले के अन्दर राज्य सरकार स्पष्ट नहीं है। जब कोई योजना होती है तो उसकी ओर दृढ़ता के साथ कदम उठाना चाहिये। हिन्दुस्तान में बड़े बड़े प्लान्टस लग रहे हैं। मध्यप्रदेश का भिलाई का प्लान्ट ही ले लीजिये। इसका काम ऐसे लोगों के हाथों में दिया गया जिन्होंने थोड़े समय के अन्दर ही बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया। पलाना की खान के विकास के बारे में निर्णय किया था कि दो करोड़ रुपये की राशि लगा कर इस खान को ओपन कास्ट किया जायेगा। उसके बाद में धीरे धीरे विकास करके उसमें दो-तीन हजार आदमियों को काम देने का विचार था। इस योजना के अनुसार इतना रुपया लगेगा और इस प्रकार इसका विकास होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस मामले के अन्दर आज तक हमारा दिमाग निश्चित नहीं है। जब तक इस मामले के अन्दर हम निश्चित नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

तो मैं यह महसूस करता हूं कि इस पालना के मामले में या तो पक्षपात की नीति है या इसमें ऊपर के ऑफिसर कोई इस प्रकार से जालसाजी मिलकर करते हैं कि जिससे उत्पादन भी न बढ़ पावे और इस प्रकार की गड़बड़ी चलती रहे जिससे कि कुछ लोग बैठ कर अपना काम बनाते रहें।

मुझे जब मालूम पड़ा इस अवार्ड के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी तरफ से मजदूरों के खिलाफ पैरवी करने के लिये २५ हजार में वकील किया है तो बड़ी हैरानी हुई। बड़े बड़े करोड़पति भी २५ हजार का पेमेन्ट ऐसे मामलों के लिये नहीं करते। पर जो सरकार मजदूरों के हित करने का दम भरती है वही सरकार मजदूरों के खिलाफ २५ हजार का वकील करके खड़ी हुई, सिर्फ इसलिये कि वह इसमें मजदूरों के विरोध में कामयाब हो सके। पर दुर्भाग्य है इस सरकार का कि वह कामयाब नहीं हुई। एक वह अवार्ड जो सारे हिन्दुस्तान के लिये दिया गया था उसके खिलाफ आपको इतना पैसा खराब करने और लड़ने के लिये मालूम नहीं किसने सलाह दी। तो मैं तो यह कहता हूं कि इसकी जांच की जावे कि किसने यह कानूनी सलाह सरकार को दी? या तो इसमें कोई कॉन्सपिरेसी है, या कोई गठबन्धन है जिसमें इस प्रकार सरकार के धन का दुरुपयोग किया जाता है जो जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का हिस्सा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को अपनी नीति इस बारे में स्पष्ट करनी पड़ेगी।

जब सवाल जाता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का तो सरकार को पब्लिक सेक्टर में मुनाफे की चीज अपने पास रखनी चाहिये। पर न जाने कौन सरकार को किस तरह से राय देता है कि जिसमें लाखों का मुनाफा हो सकता है वह तो दूसरों को दे देते हैं। जो मुनाफे की चीज इस तरह की है उसको आप अपने पास रख नहीं सकते जिसमें दस लाख सालाना मुनाफा होता है पर जो घाटे की दूकानदारी है उसे आप अपने पास लेने में हिचकते भी नहीं। फिर जिसको हमें बहुत जल्दी रुपया लगा कर ठीक करना है उसमें रुपया लगाकर भी ठीक नहीं करते। तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को अब कम से कम पलाना के बारे में तो निश्चित नीति अपना लेनी चाहिये। अगर अब तक आपने कुछ नहीं किया तो अब इतने सालों के बाद में बड़े बड़े भाषण देने और योजनाओं का ढोल पीटने के बाद में तो इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहूंचना चाहिये नहीं तो आप आने वाले जमाने के मुकाबले में टिक नहीं सकेंगे। आज अवार्ड के हिसाब से जो मजदूरों को पैसा दिया जाता है उसके मुकाबले में आप आगे आकर प्रोडेक्शन नहीं निकाल सकोगे। तो यदि आप वाकई में मुनाफे का काम करना चाहते हैं, लोगों को रोजी देना चाहते हैं तो आपको बोल्डली जो भी रकम लगानी है लगाकर काम जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिये अपनी योजना के अनुसार।

जब कोई आदमी छोटी मोटी दूकान खोलता है तो वह भी वहां बैठता है, जाता है, देखता है और निगरानी रखता है कि उसमें कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो क्यों

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं आप भी जिसमें आपने करोड़ों रुपया लगा रखा है यह देखते कि यह काम क्यों नहीं ठीक तरह से हो रहा है ? क्यों नहीं इसकी जांच करते हैं ? आज मन्त्री महोदय जाकर देखें, पूरी छानबीन करें कि आखिर यह काम क्यों नहीं ठीक तरह से हो पाता है, अगर यह ठीक नहीं कर पाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आज जो आपका प्लान है इसको ओपन कास्ट करके चलाने का, वह ओपन कास्ट नहीं किया गया पूरा पैसा लगाने की बात थी पूरा पैसा नहीं लगाया गया। जो पहले इसके लिये योजना बनाई उसके अनुसार काम नहीं किया। तो आज जो खर्चा है, जो स्थिति है उसमें आप अधिक देर तक टिक नहीं सकेंगे। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि वे इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसके बारे में बिल्कुल अपनी निश्चित योजना बनावें। ठीक है, अबतक आपने जो किया वह माफ हो जावे पर आनेवाला युग योजनाओं का और उद्योगों का है, बेकारी की समस्या को हल करने का युग है, उसमें अगर आप इसी तरह के उपेक्षा पूर्ण तरीकों से काम करते रहेंगे तो हो सकता है आप चूंकि मन्त्री हैं इसलिये आप के खिलाफ कोई बात करने वाला न हो पर जहां तक सच्चे न्याय का सवाल है मैं तो कहता हूं कि इस मामले में जो लापरवाही की है उसको ठीक तरह से, न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो आपके मन्त्री मण्डल की ओर से या उन मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की ओर से जिन्होंने लगातार इतने सालों तक प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों के बाद भी ध्यान नहीं दिया और इतने बड़े विकास का काम जिसके पीछे देश की बेकारी और उत्पादन की सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं अगर आपने उसमें योगदान ठीक तरह से नहीं दिया और उपेक्षा की तो उस मुद्दे पर आपको त्यागपत्र दे देना चाहिये कि योजना के काम में आप नाकामयाब हुए और यही कारण है कि हमारे यहां बेकारी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। आप कौनसा योजनाबद्ध काम इसको दूर करने के लिये कर रहे हैं ? कोई काम नहीं है आपके पास। यदि प्राइवेट सेक्टर में काम चलाना है, लोगों का विश्वास सम्पादन करना है तो उदाहरण पेश करना चाहिये आपको कि हमने इस योजना को, इस काम को अपने हाथ में लिया और ठीक तरह से चलाया और लोगों को रोजगारी दी।

जहां तक इस प्रश्न का मामला है, आप छानबीन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो जो इसके लिये जिम्मेदार थे उन्होंने पूर्ण उपेक्षापूर्ण तरीकों से काम किया है और नतीजा यह है कि बार बार इतने कहने के बाद भी इसी स्थिति में हैं। तीन चार साल पहले जो स्थिति थी उससे भी गिरी हुई स्थिति में वह आज है। इसके बारे में स्पष्ट रुप से क्या योजना है, कितने दिनों में यह हो जावेगा ? अगर आप स्पष्टीकरण करना चाहें तो साफ कहना चाहिये। मैं स्पष्ट कहूँ कि आज भी हम उसी स्थिति में हैं, ठीक तरह से विकास नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजियेगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पलाना कॉलेरी के सिलसिले में माननीय सदस्यगण ने जो कुछ भी समीक्षा इस वक्त सदन के सामने रखी है उसके लिए और इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(श्री खिबचन्द धारीवाल)

पलाना कॉलेरी का जहां तक ताल्लुक है मैं निश्चित तौर पर सदन के सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इसके डेवलपमेंट के लिए और इसके वर्किंग के लिये, इसकी स्थिति को सुधारने के लिये अत्यन्त आगरूक है और निश्चत तौर पर इसमें सतर्क भी है।

अब ऐसा कहा गया कि एस्टीमेट कमेटी और पी. ए. सी. ने जो जो बातें कहीं और जिन जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया उन पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं माननीय सदस्यों के सामने यह निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ही समय पहले पलाना कॉलेरी के प्रोडेक्शन को गिरते हुए देख कर सरकार की ओर से एक कमेटी का निर्माण किया गया और उसका चेयरमैन डिप्टी मिनिस्टर, इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स के नाते मैं था और मैं वहां खुद गया। उस कमेटी के अन्दर और भी सदस्य थे और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की गई। सन् ५६–५७, ५७–५८ और ५८–५९ में जो जो भी प्रोडक्शन हुआ उसकी भी थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। ५६–५७ में २४,३५८ टन आउट पुट था। ५७–५८ में १७,६०१ टन, ५८–५९ में १३,२४२ टन हुआ और ५८–५९ में इस कॉलेरी को नुकसान हुआ। यह सही है कि यह कॉलेरी एक पब्लिक सेक्टर में चल रही है और एक अर्से से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यह भी सही है कि यह सही प्रकार से चले, इसका विकास हो, इसमें इम्प्रूवमेंट्स हों इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी निवेदन किया था कि इसके विकास के लिये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जावे और इस सिलसिले में एक कमेटी का भी निर्माण हुआ। उसने भी अपनी सिफारिशें (इन्टरिम रिपोर्ट) पेश कर दी है।

इस कॉलेरी में ओपिन कास्ट माइनिंग की बात राजस्थान सरकार ने बराबर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी। ओपिन कास्ट माइनिंग करने के लिये अगर आप देखें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुछ रुपया भी रखा गया था। लेकिन जब तक कि इसकी पूरी तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं हो जाये कि किस तरह से ओपिन कास्ट माइनिंग होनी चाहिए, आया ओपिन कास्ट माइनिंग होना इकॉनामिक भी होगा या नहीं, उसमें किस किस तरह कितना कितना रुपया लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा उसकी जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं हो जाये तब तक ओपिन कास्ट माइनिंग को करना आसान बात नहीं थी। चुनाचे उसके बाद में जो घटनायें घटीं यानि १९५७–५८ और १९५८–५९ में वह इस प्रकार से थी कि जो पहले के पुराने पिट्स थे माइन्स एक्ट के तहत में जो अधिकारी हैं उन्होंने उनके लिए यह कहा कि अब इन पिट्स को अधिक समय तक नहीं चला सकते और इनको आपको फौरन क्लोज़ करना पड़ेगा क्योंकि उनकी फ्लोरिंग और उनकी कन्डीशन्स को देखते हुए मालूम होता है वे सेफ नहीं थे। चुनाचे उनके इस सुझाव के अनुसार सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह ओल्ड वर्किंग पिट्स को बन्द करदे और दूसरे शैफ्ट्स उसके अन्दर सिंक किये गये। चुनाचे इस पीरियड के अन्दर जो प्रोडेक्शन कम हुआ वह इसी वज़ह से हुआ कि हमको हमारे पुराने पिट्स थे उनको छोड़ना पड़ा और दूसरों

Page No.58

(श्री खिवचन्द धारीवाल)

को लगाने में समय लगा और इसका नतीजा यह हुआ कि प्रोडक्शन में कमी आई। वर्ना मैं आपकी जानकारी के लिए कह सकता हूं कि फर्स्ट क्लास मैनेजर के अपोइन्ट करने के बाद में ही इन शैफ्ट्स का सिंकिंग हुआ और आज हम इस परिस्थिति में हैं कि ४,५०० टन पर-मन्थ उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमारी कैपेसिटी उन शैफ्ट्स के सिंकिंग करने के बाद यह हुई कि ४,५०० टन हर महीने निकाल सकते हैं जब कि पहले २,००० या २,५०० टन ही निकालते थे। अब आज की परिस्थिति में हम ४,५०० टन लिगनाइट उसमें से ले सकते हैं। इसकी छानबीन करने के लिए हम वहां पर गये और वहां जाकर हमने वहां की सारी स्थिति को समझा और समझने के बाद यह नतीजा निकला कि आज की परिस्थिति में जितना प्रोडक्शन आज हम करने के काबिल हैं उसका उतना कन्ज़म्पशन नहीं है।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बीकानेर पॉवर हाउस को जितना लिगनाइट ने मांगते हैं वह सप्लाई नहीं किया जाता है। यह आरोप उचित नहीं है। दरअसल में बीकानेर पॉवर हाउस में दो बॉयलर लिगनाइट के ऊपर बेस्ड थे। उनमें से अब एक बॉयलर ही लिगनाइट पर रह गया है और एक बॉयलर खराब हो जाने की वजह से उसको बंगाल कोल के ऊपर करना पड़ा। उसका नतीजा यह हुआ कि पहले जितना लिगनाइट वे हम से लेते थे उससे कम लेना जारी कर दिया और यह बराबर पलाना कॉलेरी की तरफ से कहा गया कि आप हमारा पूरा का पूरा लिग्नाइट लो लेकिन वह नहीं लेते थे। तो यह तथ्य बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो हम हमारे प्रोडेक्शन को इन्क्रीज़ करने की स्थिति में आज हैं लेकिन साथ ही साथ उस लिगनाइट को आज बाहर निकाल लें तो उसकी स्थिति यह होती है कि उसको खरीदने वाला नहीं है, उसके लिए मार्केट नहीं है। अब सवाल यह होता है कि मार्केट किस तरह से क्रियेट किया जाये। मार्केट क्रियेट करने के लिए हमने सोचा और सोच कर यह नतीजा निकाला कि राजस्थान कैनाल में ब्रिक मेकिंग के लिए जो कोल की जरूरत हो उसमें लिगनाइट सप्लाई किया जाये और बंगाल कोल उसमें सप्लाई नहीं किया जाये ताकि अधिक मात्रा में लिग्नाइट वहां खप सके। दूसरे पी० डब्ल्यू० डी० में जितने कॉन्ट्रैक्टस होते हैं उनके लिए चूंकि वहां पर ब्रिक्स बनाने का काम अधिक होता है उसको बनाने के लिए भी लिग्नाइट ही इस्तेमाल किया जाये और तीसरी बात यह है कि जो लोकल कन्ज़म्पशन होता है उसके अन्दर भी वह दिया जाये और कुछ ८० टन के करीब बीकानेर हाउस में खर्च होता है और जो वे लेते हैं उसके अनुसार उनको दिया जाये। तो मेरा यह निवेदन है कि आज इस स्थिति में होते हुए हम उसका प्रोडेक्शन ज्यादा नहीं कर सकते। पूछा यह जायेगा कि जब आप ४,५०० टन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यह क्यों नहीं हो? उसका कारण यह है कि अगर उस माइन के अन्दर से लिग्नाइट निकालकर बाहर रख दिया जाये तो कुछ समय के बाद वह अपने आप जलने लगता है, हवा के फ्रिक्शन से हीट पैदा हो जाती है और वह अपने आप जलने लगता है। बाहर निकलने के आठ-दस रोज बाद ही वह जलने लगता

(श्री खिबचन्द धारीवाल)

है। हमने खुद देखा कि कुछ दिन पहले का जो कोयला पड़ा हुआ था उसमें से अपने आप धुंआ निकल रही था और वह जलने की सी स्थिति में था। जब तक कि उसका ब्रिकेटिंग नहीं हो जाये तब तक ठहर नहीं सकता। पांच-सात रोज के अन्दर ही उसका कन्ज़म्पशन हो जावे तो वह ठीक रहता है, वर्ना नहीं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि लिग्नाइट की ओपिन कास्ट माइनिंग कराई जाये, उसकी आज जो खपत है और पलाना कॉलेरी का डेवलपमेन्ट हो इसमें कोई दो राय नहीं हैं। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इन स्थितियों से आज हम गुजर रहे हैं हम इस कोशिश में हैं और हमने इसके बारे में कदम उठाये हैं कि किस प्रकार से हमारा अधिक से अधिक लिग्नाइट इस्तेमाल किया जाये। वैसे लिग्नाइट के दिये जाने के सिलसिले में जोधपुर में जो पॉवर हाउस बन रहा है उसमें भी कहा कि लिग्नाइट का बॉयलर उसमें लगायें ताकि १०० टन या १२५ टन लिग्नाइट की वहां पर खपत हो सके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम ४,५०० टन लिग्नाइट प्रोड्यूस करते हैं तो लोस रहने की सम्भावना नहीं है बल्कि हमको इसमें मुनाफा होगा। आज हमारे पास ४,५०० टन के ग्राहक नहीं हैं, ऐसी शक्ल के अन्दर इस कम प्रोडेक्शन के बेसिस के ऊपर उसमें लोस हो रहा है।

इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि कोल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का हो जाने के बाद में कोलकटर्स के जो वेजेज़ थे उनमें वृद्धि हुई है और उस वृद्धि की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काफी इन्क्रीज़ हुआ है। इसी के साथ साथ सन्डे वेजेज़ दिये जाने के बारे में निर्णय हुआ है, कम्पेन्सेशन अलउन्स देने के बारे में भी हुआ और बाकी के और बहुत सारे खर्चे जो इससे ताल्लुकात रखते थे उनमें भी वृद्धि हुई है। इसका सामुहिक नतीजा यह हुआ कि उसका कोस्ट ऑफ प्रोडेक्शन बढ़ा है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल कोल १ टन अगर जलाया जाय तो जितनी हीट वह प्रोडयूस करता है और अगर उसके मुकाबले में लिग्नाइट जलाया जाय तो वह रेश्यो १:८ के करीब करीब बैठता है। ऐसी स्थिति के अन्दर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा वहां पर आता है इस वक़्त के प्रोडक्शन के हिसाब से करीब ३०), ३१) रुपये आता है और जब तक १८ से २०) कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो या उस रेट में मार्केट के अन्दर न बेचें तब तक बंगाल कोल के मुकाबले में कोई भी लिग्नाइट को लेने वाला नहीं है। वह तभी हो सकता है जब कि हमारा प्रोडक्शन ४,५०० टन फी महीने का हो। तभी जाकर हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए १८), १६) रु० तक ला सकते हैं। इस प्रकार का इसके वर्किंग से मालूम हुआ है।

यह तो मैंने आपको इसकी भूमिका अर्ज की। अब इसके साथ साथ में यह कहा गया कि ए क्लास मैनेजर की नियुक्ति हुई है, ए क्लास मैनेजर की नियुक्ति होने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए था। यह

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

एक ऐसी बहस है कि जो अदना आदमी अगर कोई सुने तो वाकई में इसकी तथ्यता को स्वीकार करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि शेफ्ट सिंकिंग करने में जितना समय लगा उस समय में कोई काम नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नेचुरली उसका फॉल हुआ और उसके काम करने के बाद में फिर आज हम, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि ज्यादा कोयला निकालने की स्थिति में हैं, आज जितना लेबर वहां पर एम्प्लोयड है, आज जो कुछ भी हमारी मशीनरी वहां पर लगी हुई है, आज जो कुछ भी वहां काम कर रहे हैं, जितना रुपया एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुछ भी खर्चा है उसमें सब आदमी लगे होने के बाद में ४,५०० टन लिग्नाइट निकालने की स्थिति के अन्दर हैं। तो मैंने यही निवेदन किया कि ए क्लास के मैनेजर के आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ने की स्थिति में तो हम जरूर आ गये हैं लेकिन साथ ही साथ उसका मार्केट भी होना चाहिए। अगर वह मार्केट नहीं हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है।

एक माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया कि राजस्थान सरकार ने ए क्लास मैनेजर की नियुक्ति करने में एक अर्सा लगा दिया और ३, ४ साल तक बराबर ए क्लास का मैनेजर नहीं मिला। कितनी ही मर्तबा इस सदन के सामने यह बात रखी गई और कितनी ही मर्तबा मैंने जवाब दिया कि किन परिस्थितियों में ए क्लास मैनेजर की नियुक्ति सन् ५८ से पहले नहीं कर सके। एडवर्टाइज़मेंट किया गया, अपोइन्टमेंट कर दिया गया और अपोइन्टमेंट करने के बाद में जो हम पैसा देना चाहते थे उसको एक्सेप्ट कर लेने के बाद में भी नहीं आया। इस स्थिति के अन्दर हम बराबर चलते रहे और आखिर सन् ५८ के अन्दर ही हम इसको कर सके।

इसके बाद मैं यह भी कहूंगा कि ५६ के अन्दर डेमरेज चार्जेज, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज, वाटर सप्लाई चार्जेज में इन्क्रीज़ हो गई। कुछ लेबरर्स ले ऑफ कर दिये गये और पुराने लेबरर्स को ले ऑफ कर दियां और नये लेबरर्स बराबर चलते रहे। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी इस वक्त स्थिति है जैसी कि मैंने निवेदन की हम इस स्टेज में से गुज़र रहे हैं कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मज़दूरी में लगाकर ज्यादा एक्स्टेन्शन कर सकें। लेकिन आज नहीं कर सकते हैं। आज हम कोयला खान से बाहर निकाल कर डाल नहीं सकते हैं। अगर डालते हैं तो वह कोयला जलता है, उसमें नुकसान होता है। जब उसका मार्केट हमारे पास में नहीं है और मार्केट क्रियेट करने में जैसा कि मैंने निवेदन किया हमने जो स्टेप लिए हैं और मैं समझता हूं कि कुछ समय के बाद में इन स्टेप्स के लेने के बाद में यह कठिनाई दूर हो जायेगी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बीकानेर पॉवर हाउस का कन्ज़म्पशन कितना है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि ८० टन के करीब है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 80 Tons per day ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ८० टन पर–डे का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८० टन प्रतिदिन के हिसाब से...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : २,४०० टन हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यानि ३०,००० टन तक खपत हो सकती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ८० टन पर-डे है, उससे क्या होता है कि जिस समय बॉयलर फुल कैपेसिटी में चले तो। आज बॉयलर फुल कैपेसिटी में चलता नहीं है। ये अगर उसमें पूरे ८० टन के हिसाब से वे लेते रहें तो २,४०० टन सप्लाई कर दें और बाकी का मार्केट के अन्दर दे दें। लेकिन वे भी नहीं ले रहे हैं। बीच बीच में तो सिर्फ ४० टन ही कर दिया, कभी ५० टन कर दिया, कभी ३० टन कर दिया। इस तरह से बराबर करते रहे। मैं निवेदन कर रहा था कि हम इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े हुए हैं कि पलाना कॉलेरी का ऐसा सवाल है कि जो अल्टीमेटली जाकर डेवलेप होगी, उसको डेवलेप करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जो कि एक कमेटी मुकर्रर की थी एक्सपर्टस की उन्होंने कहा कि ओपन कास्ट माइनिंग किया जाय। हम ओपन कास्ट माइनिंग के लिए तैयार हैं। हमने ओपन कास्ट माइनिंग के लिए प्रोविज़न किया है। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग करने के साथ साथ हम इसके बराबर कन्ज़म्पशन के लिए या तो मार्केट तैयार करें या हमारी कोई दूसरी इन्डस्ट्री हो जिसके अन्दर हम इसको खपाने की कोशिश करें जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक सारे का सारा डवेलपमेंट नहीं हो सकेगा।

अभी हमारे राज्य में फर्टीलाइज़र फैक्टरी की बात हो रही है। वह आज बनने लग जाती है और बन कर तैयार हो जाये तो उसमें इसका कन्ज़म्पशन होगा और वह हो सकता है ७००, ८०० या १००० टन पर-डे। उस वक्त हम उस परिस्थिति में हो सकते हैं ओपन कास्ट माइनिंग करके ओल्ड वर्किंग पिट्स में से ६ मिलियन टन कोयला निकाल सकते है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। उतना ऑलरेडी उसमें मौजूद है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन परिस्थितियों के अन्दर पलाना कॉलेरी गुजर रही है, और इस वास्ते एक्सपर्टस कमेटी ने जो भी बातें लिखी हैं तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें दो राय नहीं है। हमें प्रोडक्शन जितना करना चाहिए था और आज करने की स्थिति में हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं और उसके कारण जो हैं वे मैंने आपसे निवेदन किये हैं।

इसी तरह से कोल-कटर्स के बारे में कुछ कहा गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोल कटर्स से दूसरा काम लिया जा रहा है और कोल कटर्स कन्डक्ट रूल्स के अनुसार जो आदमी एक काम करता है वह दूसरे को नहीं करना चाहिए। यह सही है, लेकिन इस बारे में तैयार होते हैं लोग काम करने के लिए तो आपत्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाय कि इसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी हुई है।

यह भी कहा गया है कि माइनिंग मैनेजर ने एक पर्चा निकाल दिया। मैं अर्ज करता हूं कि वहां पर दो यूनियन्स हैं और दोनों युनियन्स में आपस में झगड़ा है। उस सिलसिले में अगर माइनिंग मैनेजर ने किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण किया है तो मैं समझता हूं कोई

Page No.62

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बुराई की बात नहीं है । वह जब किसी प्रकार की गलतफहमी होती है तो उसका स्पष्ट करण करने के लिए कोई न कोई चीज़ निकाल सकता है, उसके अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है ।

दूसरी बात, यह कहा गया है कि इसको स्टील प्लान्ट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए पलाना कोल को । पलाना कोल को स्टील प्लान्ट के लिए युटिलाइज़ करना चाहते हैं, यह आपका सुझाव बहुत अच्छा है लेकिन लिग्नाइट पर ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ कितने जाकर पड़ते हैं, यह देखना पड़ता है, क्योंकि पलाना कॉलेरी से ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज़ इतने हेवी होते हैं कि आज उसको १:८ के रेश्यो से देखा जाय तो वह कम से कम होगा या नहीं, यह देखने की बात है । यह एक ऐसी चीज़ है कि दर-असल में अगर वह सस्ता पड़ता होगा तो नेचुरली हर एक आदमी लिग्नाइट का इस्तेमाल करेगा ।

इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि इसको गवर्नमेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी करके चलाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके के सारे सारे वर्किंग की, सारे के सारे डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो रही है वह जब तक हमारे पास नहीं आ जाय तब तक इस सिलसिले में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, यह कहना बड़ा मुश्किल है ।

इसके साथ ही साथ कोयले की खान, बीकानेर पॉवर हाउस और उसके कंज़म्पशन के बारे में कहा गया । इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद बीकानेर पॉवर हाउस को देखने गया और वहां जाकर उसके बॉयलर को, जिसमें पलाना लिगनाइट जलता है उसको देखा और वहां के इंजीनियरों से बातचीत की । उनसे बातचीत करने पर इस नतीजे पर पहुंचे कि दरअसल में बीकानेर पॉवर हाउस का बॉयलर ८० टन से ज्यादा लिग्नाइट को कन्ज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि बंगाल कोल पर बेस्ड जो बोयलर है । वह पलाना कोल को कन्ज्यूम नहीं करता है वह बायलर ठीक तरह से चले और लिगनाइट का बायलर भी चले तो भी ८० टन से ज्यादा नहीं ले सकता और पूरा नहीं चले तो इतना भी नहीं ले सकता । इसलिये बीकानेर पॉवर हाउस पर बहुत ज्यादा रिलाइ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे एवेन्यूज़ भी देखने पड़ेंगे....

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

२. १ म. प.

(गणपूरक घंटी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसी तरह से यह कहा गया है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Treasury Banch is not interested in this.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I think the House is very much interested.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : So the quorum is equal.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह भी कहा गया है कि फर्स्ट क्लास मेनेजर ने प्रोमिज़ किया था कि वह २५,००० टन बराबर देगा ।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मैं नहीं समझ पाया कि आपका इससे मतलब क्या है ? सालाना या माहवारी से है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माहवारी से।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने नहीं कहा था, आपके पास जो दूसरे माननीय सदस्य बैठे हैं उन्होंने कहा था। लेकिन इस तरह से कोई माइनिंग मैनेजर नहीं कह सकता कि २५००० टन निकाल सकेंगे। ओपन कास्ट से तो निकाल सकते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : ५०० टन प्रतिदिन की बात कही गई थी सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ओपन, ओपन कास्ट माइन से हो जाय देट्स डिफरेन्ट मैटर लेकिन शैफ्ट में सिन्किंग से नहीं हो सकता। दूसरे शैफ्ट सिन्किग के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। उसके लिये इम्पलिमेन्ट्स खरीदने की कार्यवाही चल रही है।

यह भी कहा गया कि इसको सक्सेसफुल न बनाने में राज्य सरकार के ऑफिसरों की चालबाज़ी है या इस प्रकार की चीज है, या मिलीभगत है या वे ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वज़ह से पलाना कॉलेरी का डेवलपमेन्ट न हो। जिन बातों को मैंने सदन के सामने रखा है उनसे स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है और न ऐसा सोच सकते हैं कि इसका विकास न किया जाय बल्कि

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके विकास के लिये जो भी कदम उठाने चाहिये वे उठाये हैं और जो आगे उठाने हैं उनके लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक पलाना कॉलेरी के मैनेजमेन्ट का सवाल है मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इसके मैनेजमेन्ट के सिलसिले में जो कमेटी बनी थी वह खुद वहां गई थी और उसने हर पहलू पर विचार किया है और बहुत से सजेशन उसने इसके ठीक तरह से युटिलाइजेशन के दिये हैं।

यह भी कहा गया कि रेलवे लाइन जो पहले थी वही अब भी है और जो नये शैफ्ट सिन्क किये हैं वहां नहीं लगाई गई, फौरन लगानी चाहिये थी। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे लाइन लगाना हमारे हाथ की बात नहीं है। इसको रेल्वे बोर्ड डिसाइड करता है जिसके साथ कोरस्पोन्डेन्स हो रही है। हमने उनसे कहा कि हम खुद लगा लें, आप इसके लिये इजाज़त दे दो तो उन्होंने कहा कि इजाजत नहीं दे सकते, हमारे आदमी ही यह काम करेंगे। हमारे माइन मैनेजर कितनी ही बार रेल्वे बोर्ड से मिले हैं। अब काम शुरू होनेवाला है, ऐसी जानकारी मिली है।

इस सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह भी ख्याल है कि वहां पर एक बड़ा पॉवर हाउस लगा दिया जाय, एक टर्बाइन करीब ५० हज़ार किलोवाट का लगा दिया जाय वहां के लिग्नाइट को कन्ज्यूम करने के लिये।

Page No.64

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा गया है कि इसकी पूरी इकॉनोमी को वह एग्ज़ामिन करे और उसके बाद हो सकता है, लिग्नाइट को हम ठीक तरह से डेवलप कर सकें। ये सारे के सारे कदम जो भी संभव हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके बाद मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसकी कोस्ट ऑफ प्रोडेक्शन कम करने के लिये, इसके मैनेजमेन्ट को अच्छी तरह से चलाने के लिये और इस बात के लिये कि यह इकॉनोमिकल हो सरकार जागरूक है और जो भी संभव है वह कर रही है। इस कमेटी के द्वारा जो भी सुझाव सरकार के सामने रखे गये हैं उन पर सरकार विचार कर रही है और संभवत: सभी संभव कदम लिये जायेंगे जिससे इसका अच्छी तरह से वर्क हो, डेवलपमेन्ट हो, इम्प्रूवमेन्ट हो और एक्सपेन्सेज और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और इसके लिये मार्केट भी मिल सके और हमारा लिग्नाइट ज्यादा से ज्यादा कंज़म्पशन में आये। पलाना कॉलेरी के बारे में सरकार जो कुछ कर रही है उस सिलसिले में मैंने निवेदन किया।

दूसरी बात अजायबघरों के बारे में कही गई। सरकार की ओर से जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके बारे में बतलाया गया कि अजायबघरों की हालत खराब है, उनमें अजीब जानवर रहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : तभी इन्हें अजायबघर कहते हैं।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यही निवेदन कर रहा था कि अजायबघर में अजीब बातें होती हैं और वहां पर अजीब जानवर रखे जाते हैं लेकिन यह बात जरूर है कि वे अच्छी स्थिति में हों। किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की बात हो तो वह होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन अमूल्य सुझावों पर सरकार जरूर विचार करेगी और अजायबघरों की स्थिति को सुधारने की ओर जरूर कदम उठायेगा।....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य को अजायबघर में भेजना चाहिए।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरी बात यह कही गई कि जो वहां आनेवाले गांववाले और दूसरे दर्शक आते हैं उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है। यदि कोई शिकायत इस बारे में आयेगी तो जरूर कदम उठावेगी....

डॉ० बहादुरसिंह : शिकायत का प्रश्न नहीं है उनको हिदायत कर दी जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनको हिदायत की जायेगी कि सबके साथ सभ्यता से पेश आवें, कोई कारण ऐसा न हो जिससे लोगों में असन्तोष हो, मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं वे वापिस लेंगे और मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

Page No.65

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने मांग संख्या ७८-मुख्य शीर्षक ३६ पर प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Some of the Hon'ble Ministers have said, "Yes, Sir."

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह सन्तोषजनक तो नहीं है किन्तु उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण सावधानी रखेंगे और पूर्ण सतर्कता के साथ इसका विकास करेंगे। इस आश्वासन के ऊपर मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया हैं उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्ति राज्यपाल महोदय को ४,४४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७५ सामान्य प्रशासन

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७५–मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,२०,२०० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। डॉ० चन्द्रकला।

[उपरोक्त मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जावे (चालू वर्ष के आय-व्ययक अनुमान में प्रावहित मितव्यय के कार्यान्वित करने में असफलता पर विचार करने हेतु)'

'मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जावे (श्री के० सी० सत्संगी को १०,७६०) रु० की धनराशि दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)'

श्री शंकरलाल : 'मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन में १) रु० की कटौती की जावे (तहसीलों के पुनर्गठन को अन्तिम रूप देने में शिथिलता के कारण आयव्ययक अनुमान में प्रावहित मितव्यय को कार्यान्वित न किये जाने पर विचार करने हेतु)']

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो अनुपूरक अनुदान की मांग माननीय मंत्री महोदय ने रखी है उस सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती का प्रस्ताव उस सम्बन्ध में है

Page No.67

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि जो चालू वर्ष के आय-व्ययक अनुमान में प्रावहित एक लाख की धन राशि मितव्यय के कार्यान्विति की दृष्टि से रखी गई थी वह कार्यान्विति न होने के कारण १ लाख की अनुपूरक मांग सदन के सामने प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले दिनों में सरकार ने यह नीति अपनाई कि प्रशासन में मितव्ययता की जाय और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विभागों में मितव्ययता की दृष्टि से, इकॉनोमी करने की दृष्टि से कुछ धन राशि निश्चित की गई थी। मुझे बड़ा अफसोस है कि सामान्य प्रशासन जैसे विभाग ने, जनरल एड-मिनिस्ट्रेशन, ने जो सरकार के और राज्य के सम्पूर्ण विभागों के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण सा रखता है मैं उस सामान्य प्रशासन विभाग में जो मितव्ययता की जाने वाली थी, वह इकोनोमी भी नहीं की गई। तो फिर मैं समझता हूं कि अन्य विभागों के सम्बन्ध में इस प्रकार की अपेक्षा रखना, यह किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं होगा और इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार बजट एस्टीमेट्स में जो इकॉनोमी दिखाई जाती है वह या तो समझेंगे कि फिक्टीशियस है और उसमें कल्पना है। अगर उसमें रियलिटी है, कोई वास्तविकता है, कोई प्रमाणिकता है तो मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार बजट एस्टीमेट्स फिक्टीशियस न हो और मिसकेल्कुलेशन के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर या अवास्तविकता के आधार पर निर्णय किया जाना किसी प्रकार से व्यवहारिक या बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के सम्बन्ध में, जहां तक मेरे कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध है, केवल इतना ही मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मांग में, उपाध्यक्ष महोदय, जो सामान्य प्रशासन की मांग रखी गई है, इसके आइटम नम्बर ३ में जो ४ लाख, ३८ हजार की धनराशि मांगी गई है उसमें एक आइटम है, ३०,७६० रुपये का। वह है श्री के० सी० सत्संगी, विशेष कार्याधिकारी को उनके पुनः स्थापन पर ३०,७६० रु० बकाया राशियों के भुगतान के निमित्त।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन भलीभांति परिचित है श्री के. सी. सत्संगी साहब से जो आजकल चीफ इन्जीनियर के पद पर काम कर रहे हैं। इनके विषय में सदन में अनेक बार चर्चायें हुई हैं और वे चार्चायें बहुत गम्भीर हुई हैं। यह धनराशि जो उनको दी जा रही है, उन चर्चाओं के बाद और जो मामलात एन्टी करप्शन में उनके विरुद्ध रजिस्टर किये गये और जिनके लिए राज्य सरकार के एन्टी करप्शन विभाग के मंत्री बड़ा सीना ठोक कर कहते हैं, इतने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एन्टी करप्शन में केसेज़ रजिस्टर किये और मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश किये। यह बात दूसरी है कि न्यायालय का फैसला हो गया और वे बरी हो गये। वे वहां से बरी हो गये और एक्विट हो गये, इसलिए उनको रीइन्स्टेट करने की आवश्यकता है, उनको पदोन्नति देना आवश्यक है, इनाम देना आवश्यक है और उस समय के एरिअर्स की राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। यही सवाल राज्य-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद के समय भी उठाया था और उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि इस तरह के सवाल उठा कर सर्विसेज़ को स्केन्ड-लाइज़ करने की कोशिश न की जाय, चाहे मुख्य मंत्री और राज्यपाल महोदय के भाषण में स्केन्डलाइज़ करने का सवाल हो। अब एक सवाल खड़ा होता है कि कुछ तथ्यों की बातें हमारे सामने है, जो बातें दिन की तरह चमकती हैं, जो सूरज की तरह चमकती हैं, उनसे आंख नहीं मूंदी जा सकती है और उस बात को सदन में नहीं रखें तो मैं समझता हूँ और मैं मानता हूं कि इस सदन में आनेवाले निर्वाचित हर एक सम्मानित सदस्य कर्तव्यच्युत होता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रोटेस्ट के बावजूद भी सत्संगी के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा।

सरकार आज कहती है कि हमने सत्संगी के खिलाफ एन्टी करप्शन में केस रजिस्टर किया, उसका चालान किया, उसके बाद इन्वेस्टीगेशन, प्रोसीक्यूशन होने के बाद कोर्ट का जजमेंट हुआ, वह जजमेंट हो गया और जजमेंट की आड़ लेकर सरकार कहना चाहती है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, वे पाक हैं, वे धुले हुए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का धब्बा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या सरकार से पूछ सकता हूं कि सत्संगी के खिलाफ कितने चार्जेज़ एन्टी करप्शन में लगाये गये? जो इन्क्वायरी की गई, जो जांच की गई उसके अन्दर भयंकर आरोप उनके खिलाफ थे। सरकार ने कह दिया कि एन्टी करप्शन में केस रजिस्टर किया। कौनसा केस रजिस्टर कराया, किसका चालान किया? वह रजिस्टर किया, जो जर्मनी से मशीनरी की खरीद फरोख्त के बारे में था, जिसमें सरकार भी एक इन्वोल्ड पार्टी थी। मैं उसके वाकयात को रख कर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। वह कुछ इस प्रकार का मामला था कि जो मशीनरी जर्मनी से खरीदी जाने-वाली थी उसका सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया और राजस्थान गवर्नमेंट को मशीनरी दी गई। राजस्थान गवर्नमेंट ने मशीनरी खरीदी। उस एग्रीमेंट में शर्त साफ थी यह मशीनरी बोनाफाइड पर्पज़ के लिए, राज्य के उपयोग के लिए ली गई। वह मशीनरी खरीद ली गई, उसका पेमेन्ट कर दिया गया, लम्प सम में पेमेन्ट कर दिया गया, लोट में पेमेन्ट कर दिया गया। पेमेन्ट करने के बाद वह मशीनरी बम्बई में आई लेकिन उसको जयपुर नहीं मंगाया गया, वह दिल्ली लाई गई। यह कहा गया कि सवाई माधोपुर में उतार नहीं सकते इसलिए ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ व फेअर दिल्ली तक दिया गया। मैं मान सकता था अगर दिल्ली आने के बाद वह मशीनरी जयपुर में आती और सरकार के काम में आती लेकिन वह जयपुर नहीं लाई गई उसको जयपुर लाने का इरादा नहीं रहा। बाला बाला उसके बारे में पत्र व्यवहार हुआ, बात चली और बातचीत होने के बाद एक पार्टी के साथ समझौता किया गया। इसके साथ ही यह रिपोर्ट की गई सरकार को कि यह मशीनरी काम में नहीं आ सकती इसलिए इसको बेच देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उस मशीनरी को बेचने का समझौता, एग्रीमेंट एक प्राइवेट पार्टी से हो गया और वह मशीनरी बेच दी गई, एग्रीमेंट के खिलाफ बेच दी गई, सरकार को नुकसान और घाटा देकर बेच दी गई। सरकार ने उस मशीनरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का लम्प सम में पेमेन्ट किया था और वह मशीनरी इन्स्टॉलमेंट में पेमेन्ट के ऊपर बेच दी गई। उसके बारे में शिकायत हुई और एन्टी करप्शन में केस आया, इन्क्वायरी हुई और इन्वेस्टीगेशन हुआ, कोर्ट में चालान पेश हो गया, उसके बाद सत्संगी गिरफ्तार हो गये, जेल भी हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके सामने, आप जांच करा लें, कभी कॉन्सपीरेसी के केसेज़, षड्यन्त्र के केसेज़ साबित नहीं हो सकते। इसके लिए कोर्ट ने भी कहा है कि यह साबित नहीं हुआ, साबित हो भी नहीं सकता, मैं जब तक कि कोई एप्रूवर नहीं हो। एक आदमी सब बातें सच सच बतानेवाला था। वह जयपुर में आया। जयपुर में आने के बाद वह कोर्ट में प्रेज़ेन्ट हुआ, कोर्ट में हाज़री दर्ज हुई। वह उस फर्म का मैनेजर था। उसने कहा कि मैं सही सही बात कहूँ, मुझे किसी का इन्ट्रेस्ट नहीं है। उसने कहा कि मैं किसी का कोई पक्ष नहीं करनेवाला हूँ, मैं खुद नहीं मरूंगा, जो सही सही बात है वह अदालत में कहूँगा। मैं यहां इस समय सारी एविडेन्स में नहीं जाना चाहता पर उपाध्यक्ष महोदय, वह सारे इस षड्यन्त्र, सारे राज को खोलने की एविडेन्स देनेवाला अदालत में हाज़िर हुआ था, वह अदालत से लौट कर आया और होटल में पहुँचा। भगवान जाने क्या चीज़ थी, खाई थी या खिलाई थी कि वह आदमी मर गया। वह आदमी अदालत में गवाही नहीं दे सका जो सारी बातों का अदालत के सामने राज खोलता, कानून की नजर में वह एप्रूवर नहीं बना था। वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में अदालत में सही बयान देने वाला, सही गवाही देने वाला, सारे राज और षड्यन्त्र का पर्दा फाश करने वाला व्यक्ति राजधानी के होटल में मर गया। कह दिया गया कि अचानक हार्ट फैल हो गया, कोई पोस्ट मार्टम नहीं, कोई इन्क्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं और इस तरह एक इम्पोर्टेन्ट एविडेन्स गायब हो गई।

अब वह जजमेंट कैसा हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर राजस्थान सरकार से, राजस्व मन्त्रीजी से चाहूंगा कि उस जजमेंट को पढ़े और उस जजमेंट को लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजें और इसको अच्छी तरह एग्ज़ामिन करने के बाद अगर सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि जजमेंट की अपील की जानी चाहिये, आगे जाना चाहिये, हाई कोर्ट में जाना चाहिये। पर यह कह देना कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का फैसला है इसलिये हम अपील नहीं करनेवाले हैं, यह गलत चीज़ है। कहते हैं सर्विसेज़ स्केन्डेलाइज़ होती हैं, सर्विसेज़ को अन्ड्यू एड्वान्टेज देते हैं, इससे उन लोगों को खुली छूट मिलती है कि सदन में, गवर्नमेंट में हमारे ऊपर हाथ रखनेवाले मौजूद हैं। अगर कोई लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे तो उनके लिये कह दिया जायेगा कि ये लोग सर्विसेज़ को स्केन्डलाइज़ करना चाहते हैं और चीप पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं।

मैं राजस्व मन्त्री महोदय से आशा करूंगा और यह उनकी जानकारी में होगा कि सत्संगी का केस और जयपुर पॉवर हाउस का केस, यह जयपुर में ही नहीं, सारे राजस्थान में, सारे हिन्दुस्तान में गूंजा था। जिस जयपुर के पॉवर हाउस में १६ लाख रुपये का घोटाला, कोयलों के डिब्बे आये नहीं लेकिन वाउचर्स दिखा कर पेमेंट लेते गये, पेमेंट कर दिया गया। कोयला पॉवर हाउस में आया नहीं और पेमेंट हो रहा है और आपने संतोष कर

Page No.70

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिया, यह कह कर कि ४ को सस्पेन्ड कर दिया। इतने बड़े घोटाले के लिये यह कहा जाय कि ४ को सस्पेन्ड कर दिया और सब कुछ हो गया। इससे यदि आप संतोष करने वाले हैं तो संतोष कर लें पर यह सदन इससे संतोष नहीं करेगा, जनता संतोष नहीं करेगी। यह १६ लाख के गबन का काण्ड है। १६ लाख का पेमेंट कोई क्लर्क नहीं कर सकता। सत्संगी साहब ने पेमेंट के ऑर्डर किये हैं, क्या धूप का चश्मा लगाये हुए थे? हालांकि पद्मनाभम चीफ इन्जीनियर थे पर वचु अली ये ही काम कर रहे थे? इन्होंने आंख मींच कर कैसे दस्तखत कर दिये। क्या उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं? यदि उनकी जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं तो आप जजमेंट दे दीजिये कि उन्होंने ऑर्डर्स पर सिग्नेचर नहीं किये।

बिजलीघर में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में भरतपुर के भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर और अकाउन्टेन्ट जनरल श्री यादराम चतुर्वेदी को जांच करने के लिये सरकार ने मुकर्रर किया। उन्होंने जांच की और पॉवर हाउस के अकाउन्ट्स को चैक करके रिपोर्ट दी। उनके द्वारा करीब १०० पेजेज की रिपोर्ट पेश की गई। जिनको आपने जांच के लिये मुकर्रर किया उन यादराम चतुर्वेदी की वह रिपोर्ट कहां है?........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): He is going beyond the scope, Sir. The cut motion relates to the payment of salary to Shri Satsangi for the period of his suspension and that relates to one case only for which he was prosecuted. He is going to Mr. Yadram Chaturvedy's report etc.

श्री उपाध्यक्ष : I expect that the Hon'ble Member will confine himself to the cut motion only.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ और सोच भी रहा था कि अभी तक माननीय राजस्व मंत्रीजी ने एतराज क्यों नहीं किया ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वयं भी सोच रहा था कि इसका उत्तर भी पहले से ही अपनी प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ है और आपका प्रश्न भी छपा हुआ है। प्रोसीडिंग्स में यदि है तो मैं समझता हूँ आप रिपिटिशन नहीं करें तो अत्युत्तम होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहीं भी नहीं आया है कि चालान क्यों नहीं किया गया, श्री यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट के बाद में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया? यह कहीं कोई प्रोसीडिंग्स में नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : I will request you to confine to the particular charges under which he has been suspended and the salary is to be paid to him now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आप ३० हज़ार की धन राशि दे रहे हैं। एक चार्ज उस पर लगाया और सस्पेन्ड किया, २ साल तक बैठा रहा और फिर घर बैठे को तनख्वाह दी। आगे फिर दूसरा चार्ज लगायेंगे और सस्पेन्ड करेंगे। फिर दो साल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक घर बैठे तनख्वाह लेगा । आपने एक केस का चालान पेश कर दिया; जिसमें सबसे कम शहादत मुहैया हो सकती थी। राजस्व मंत्रीजी खुद कानून के माहिर हैं। वे जानते हैं कि कॉन्सपरेसी के केसेज़ में शहादत कितनी मुश्किल होती है, कॉन्सपरेसी के केसेज़ में लीगल एविडेन्स नहीं आने से बड़े बड़े कातिल बच जाते हैं। तो इसमें बचना कोई मुश्किल नहीं था। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता था कि वीकेस्ट केस का आपने चालान पेश किया और फिर जिस ढंग से प्रोसीक्युशन किया जाना चाहिये था उस ढंग से नहीं किया गया। इस जजमेंट को देखा जाय। उसकी अपील की जा सकती है पर आप अपील नहीं कराना चाहते क्योंकि आपको तो सर्टिफिकेट, पट्टा मिल गया है, जुडिशियल कोर्ट का जजमेंट मिल गया है।

तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जो रिपोर्ट पेश की श्री यादरामजी चतुर्वेदी ने सत्संगी के बारे में, कोयला काण्ड के उन सारे केसेज़ का राजस्थान सरकार को एक साथ चालान कराना चाहिये था, प्रोसीक्यूट करना चाहिये था, उन सबके लिए। तो फिर किसी को कोई कहने का मौका नहीं मिलता। सस्पेन्शन के पीरियड की तनख्वाह दी जाती तो कोई बात नहीं थी। पर आपने एक वीकेस्ट केस का चार्ज लगाया, दो साल बैठा रहा और उसको एरियर्स दिये फिर दूसरे केस का चार्ज लगाया जाता है और सस्पेन्ड किया जाता है और फिर एरियर्स का भुगतान किया जाता है, फिर दो साल घर बैठे रहने की तनख्वाह दी जाती है; यह नहीं होना चाहिये। इस दृष्टि से इस कटौती प्रस्ताव द्वारा मैंने तथ्य सदन के सामने रखे हैं। मैं समझता हूँ सदन और मन्त्री महोदय मेरे कटौती प्रस्तावों को और सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री शंकरलाल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रशासनिक मांग में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा है और इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के लिए इसमें इसका व्यौरा दिया है कि १५ रुपये सरकार इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के जरिये चाहती है क्योंकि तहसीलों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इससे मालूम होता है कि तहसीलों का पुनः गठन किया जाना चाहिये और इस सदन में भी कई मर्त्तबा इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये और चर्चा भी हुई। बराबर हम माननीय राजस्व मंत्रीजी से प्रश्न पूछते रहे और उनकी तरफ से उत्तर मिला कि इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय मैं, तो लगातार दो वर्षों से यही उत्तर राजस्व मंत्रीजी के मुख से सुनता आ रहा हूं। लेकिन यह तहसीलों के पुनः गठन का कार्य प्रशासन के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि राजस्थान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग सूबे और परगने थे जिनको राजस्थान का एकीकरण होने से तहसीलों में परिणत किया गया था। उस समय किसी की जन-संख्या कम है और किसी की बहुत ज्यादा है तो किसी का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, किसी का राजस्व कम है तो किसी का राजस्व अधिक है। इस प्रकार तहसीलों का गठन हुआ है।

इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रशासन की दृष्टि से और जनता के हितों की व सहूलियतों की दृष्टि से यह जरूरी था कि इसका भी पुनः गठन हो और इसके लिए सरकार अब १५ लाख रुपये खर्च करने की स्थिति में है वह रुपया

(श्री शंकरलाल)

च जाता। अगर सरकार पहले ही तहसीलों का पुन:संगठन करती तो यह १५ लाख रुपया खर्च करने की स्थिति पैदा नहीं होती। जब पब्लिक की सुविधा की दृष्टि से भी इस बात का अनुभव होता है और मैं निवेदन करूंगा और आपको उदाहरण देते हुए बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे गांव हैं जो एक तहसील से ७ मील की दूरी पर पड़ते हैं लेकिन फिर भी उस तहसील में उन गांवों को नहीं रखा गया है। उनको दूसरी तहसील में रखा गया है जहां से वह गांव २० मील की दूरी पर पड़ता है। इसके लिए कोई निश्चित आधार नहीं कि वे गांव जो जिस तहसील के पास हों उनको उसके साथ मिला दिये जावें। मिसाल के तौर पर मैं यह कहूँगा कि देसूरी तहसील का गांव बूसी, खोड और पीलवा गांव जो पाली तहसील के नजदीक पड़ते हैं और उस लिहाज से वे पाली तहसील में होने चाहिये थे जिससे पब्लिक को भी सुविधा होती मगर वास्तव में वे पाली तहसील में नहीं हैं और दूसरी तहसील में हैं। वे देसूरी में हैं। एक पाली तहसील का गांव देसूरी तहसील में और देसूरी तहसील का गांव पाली या किसी अन्य तहसील में हो यह तो कोई बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों रखा गया है ?

पब्लिक का प्रशासन की दृष्टि से सीधा संबन्ध है। और उनका काम तहसीलों से पड़ता रहता है। इसके अलावा जो काम राजस्व का होता है वह तहसील स्तर का होता है और उनका सीधा संबन्ध जनता और किसानों से रहता है। इसलिये तहसीलों का पुन: गठन होना आवश्यक है। आप इसका पुन:गठन क्यों नहीं कराते हैं ? इससे क्या लोकतन्त्र को खतरा हो सकता है ? मान लें कुछ तहसीलें टूट जाती हैं तो उससे क्या असर होता है ? अभी २१२ तहसीलें हैं। संभवत: पुन: गठन में २० या २५ तहसीलें कम करनी पड़े। यदि वे प्रशासन की दृष्टि से ठीक हैं तो आपको वह करना चाहिये और अगर इस प्रकार की राय आती है कि यह होना चाहिए और सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है तो क्या सरकार इस प्रकार तहसीलों का पुन: गठन करके इन १५ लाख रुपयों की बचत करेगी ? लेकिन आज इस स्थिति में सरकार है कि इन १५ लाख रुपयों की बचत नहीं हुई है। इसलिए मैंने जब यह सप्लीमेंट्री ग्रान्ट प्रस्तुत हुई तो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा कि इसका पुन: गठन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना और निवेदन करूंगा कि मौजूदा प्रशासन में आज जब हर जगह पंचायत और पंचायत समिति का निर्माण हुआ, ब्लॉक बने और जब पंचायत विकास खंड बन रहे हैं और आप ब्लॉकों को रीऑर्गेनाइज़ करेंगे तो उसके साथ साथ तहसीलों का भी री-ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यह नहीं होने से फिर गलती होगी कि किसी पंचायत के गांव दूसरी पंचायत में चले जावेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सोजत रोड का एक गांव खारची और दूसरा सोजत तहसील में है तो इससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। इसलिये पंचायतों, पंचायत समितियों के साथ साथ तहसीलों के पुन: गठन का काम भी होना चाहिए। यह जल्दी से जल्दी होना चाहिए और मैं राजस्व मंत्री से यह जानकारी चाहूंगा कि इसमें देर क्यों हुई ? मैंने सरकार का ध्यान इस ओर

(श्री शंकरलाल)

आकर्षित करने के लिए यह रखा है। मैं समझता हूं कि सरकार इस फिजूल खर्ची को मिटाने के लिए और प्रशासन की दृष्टि से और पब्लिक की सुविधा की दृष्टि से अंतिम रूप देने की तरफ कदम उठावे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दोनों कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं मैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक कटौती का प्रस्ताव, जो सत्संगी हैं उनकी पे के बारे में है, जो उनको सस्पेन्शन पीरियड के लिए देने का है, हालांकि इसका जवाब तो चीफ मिनिस्टर ने हाउस में दे दिया था मगर ऐसा लगता था कि जहां तक गवर्नमेंट का प्रश्न है वह इसको क्लोज़ मैटर को तरह ट्रीट करना चाहती है। मगर कुछ प्रश्न ऐसे है कि जिसमें गवर्नमेंट का दृष्टिकोण दूसरा है और हाउस के माननीय सदस्यों का कुछ दूसरा दृष्टिकोण है और विचारधारा भी दूसरी हो सकती है और मैं कम से कम उनमें से हूं कि इसमें मैं यह कहूंगा कि इसमें मुख्य मंत्री साहब से मेरा तो मतभेद रहता है तो मैं गलत नहीं हूँगा। यह भी ठीक है कि सेशन जज ने जजमेंट दे दिया तो उसके आधार पर हमको मि० सत्संगी को सर्टिफिकेट दे देना चाहिये कि वह बहुत ओनेम्ट ऑफिसर हैं और उनको सस्पेन्शन पीरियड की पे देनी चाहिये। मगर दूसरा पहलू यह हो सकता है कि सेशन जज का फैसला कोई आखिरी फैसला नहीं। मैं सेशन जज की इन्टिग्रिटी को चैलेन्ज नहीं करता मगर फिर भी यह कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति गलती कर सकता है और गलती होकर गलत जजमेंट दे सकता है। अगर सेशन जज का इन्साफ आखिरी सीढ़ी होती तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और वे सुपरफ्लूयस होते। मगर यह देखते हुए कि कहीं सेशन कोर्ट के जजेज़ गलती करें तो उनके लिये सेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रखा गया है। गवर्नमेन्ट अपील की क्यों नहीं सोचती? कोर्ट ने अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया। जब सेशन कोर्ट ने फैसला दिय है तो गवर्नमेंट को यह मान कर चलना चाहिये कि हाई कोर्ट भी उनके फैसले को अपहोल्ड करेगी। जब सही है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहोल्ड करेगी। एक आदमी का केस वीक है तो हाई कोर्ट उनको एग्जोनरेट करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी उनको एग्ज़ोनरेट करेगी। और अगर कुछ गड़बड़ लगता है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और मेरी निश्चित धारणा सत्संगी साहब के खिलाफ एक केस नहीं था, केसेज़ तो हजारों होंगे क्योंकि जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था उन्होंने सारी, पूरी केसेज़ की फाइल तैयार की थी। मैं यह कहूंगा कि सतसंगी साहब या उनके साथियों ने सेक्रेटेरियेट से फाइलें गायब करवा दी। यह भी देखने की बात है कि वे फाइलें मौजूद हैं या नहीं। सुना तो यह भी जाता है कि जो फाइल कोर्ट में गई उसमें से भी पेज गायब हो गये। मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मगर इस केस को किस स्टेज पर क्लोज़ करना है तो गवर्मेंट के जो करप्ट ऑसिसर्स हो, सेशन जज पर इन्फ्ल्युएन्स डाला जा सकता है और हमारे यहां राजस्थान में ऐसे सेशन जज हैं जो इस प्रकार के इन्फ्ल्युएन्स में आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Shribhan Singh this observation, so far as judiciary is concerned, is unwanted.

श्री श्रीभानसिंह : They may be unwanted, but this is my conviction and I am free to observe what I like.

श्री उपाध्यक्ष : I won't approve the reflections over the judiciary.

श्री श्रीभानसिंह : The Judiciary is not over and above the Legislature.

श्री उपाध्यक्ष : But there must be some base for the observations.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : If this is required, they can be produced.

श्री श्रीभानसिंह : Since the Chair has asked, my knowledge may be incorrect, I don't want to substantiate but it is said if you want an example, I may quote an example of the same Sessions Judge who has given this judgement. But I don't want to challenge his integrity.

तो मेरा कहना यह था कि ऑफिसर होते हुए भी, कितनी भी जुडिशियरी हो, आखिर इन्सान ही तो है। इन्सान गलती कर सकता है। यदि इन्सान गलती नहीं कर सकता तो फिर वह सुपरह्युमनबीइंग है और उनको हिमालय हैं, जहां सेन्ट रहते हैं वहां चले जाना चाहिये था। To err is human अच्छाई भी कर सकता है। इन्टीग्रिटी को चैलेन्ज न करते हुए मैं कहता हूं कि ठीक जजमेन्ट दिया। लास्ट स्टेज पर ले जाना चाहिये था। अगर सेशन कोर्ट तक खत्म कर दिया जाय, यह रेफरेन्स इस सम्बन्ध में ठीक होगा या नहीं, लेकिन मेवाल का केस था उसमें सेशन्स कोर्ट के ऑब्ज़र्वेशन्स थे और उसी को फाइनल समझा जाता तो क्यों गवर्नमेन्ट अपील में जाती ? गई या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन गवर्नमेन्ट कन्सीडर कर रही है। गवर्नमेन्ट ने हाई कोर्ट में जाने का कन्सीडर किया और इस स्टेज पर है। जब तक हाईकोर्ट क्लीन सर्टिफिकेट न दे दे तब तक सत्संगी को रीएम्प्लॉय नहीं करना चाहिये था। इतना डिसऑनेस्ट, करप्ट ऑफिसर को गवर्नमेन्ट ने मान लिया मोस्ट ऑनेस्ट करप्शन के आखिर और केसेज़ को देखते और जुडिशियरी अच्छा सर्टिफिकेट दे दे लेकिन गवर्नमेन्ट को यह प्रेस्टिज पोइन्ट बना लेना चाहिये और रिटायरमेन्ट कर देना चाहिये। Without his knowlerge वहां अच्छा काम चल रहा था, वह जितने पीरियड के लिए सस्पेन्डेड था पॉवर हाउस ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया था। जितने और प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट होते हैं, कर देना चाहिये था प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट। जैसा कि यह कहा जाता है उनका जो वीकेस्ट केस था उसको गवर्नमेन्ट ने कोर्ट में फाइल किया। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी ने इतने केसेज़ बनाये और केसेज़ का क्यों नहीं कोर्ट में फाइल किया ? मेरा यह निवेदन है गवर्नमेन्ट से कि जब तक आप स्ट्रोंग स्टेप नहीं लेंगे करप्शन को रूट आउट करने के लिए काम नहीं चलेगा। जुडिशियरी से एक्विट हो जाय लेकिन उसको तीस हजार तो क्या दिया एक लाख भी दे दें उसका प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट कर देते तो इससे सर्विसेज़ पर हैल्दी इफेक्ट होता। इस कटौती प्रस्ताव में इतना ही है, चीफ मिनिस्टर महोदय ने जबाब दे दिया कि सेशन कोर्ट ने जजमेन्ट दे दिया, लेकिन मेरी यह मान्यता

Page No.75

(श्री श्रीभानसिंह)

है कि जब तक हाईकोर्ट उसको क्लीन सर्टिफिकेट न दे दे उसको रीएम्प्लॉय नहीं करना चाहिये । दूसरे जो केसेज़ हैं उनको भी इन्स्टिट्यूट करना चाहिये ।

तहसील रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कहूंगा । राजस्थान में आज तहसील रीऑर्गेनाइजेशन की बहुत शख्त आवश्यकता है इसलिए कि, मैं सदन में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, तहसील एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोवेस्ट यूनिट है और वह ऐसी होनी चाहिये जो प्रोपरली, ज्योग्राफिकली सारे सरकम्स्टान्सेज को लेकर एक वायेबल यूनिट हो । ऐसी तहसील होनी चाहिये । ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे कि कहीं तहसील एक लाख की पोपुलेशन पर है तो कहीं पर ७ हजार की पोपुलेशन पर है । ऐसी हैं, उदयपुर के अन्दर ही है । ७ हजार की पोपुलेशन पर कनेरा तहसील है चित्तौड़गढ़ में । सन् ५८ के बेसिक स्टेटिस्टिक्स हैं राजस्थान के उससे बता रहा हूं । राजस्थान में ७ हजार की पोपुलेशन पर एक तहसील है तो उसका एक्सपेन्डीचर क्या होगा यह देख लीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I want to inform the Hon'ble Member that that Tehsil has already been abolished long ago.

आप ५८ की बात कर रहे हैं । उसके बाद तहसील एबोलिश हो गई ।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने तो पहले ही ५८ के लिए कहा था । यह तो बाद में एबोलिश हुई है, ५८ के । यह तो मैंने इन्स्टान्स दिया है और भी तहसीलें हैं । एक सब-डिविजन को ले लीजिये । । कपासन में ४० हजार पर एक सब डिविजन कायम कर रखा है । डिस्ट्रिक्ट कायम कर रखे हैं २ लाख की पोपुलेशन पर । डूंगरपुर है । दो लाख पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट है। सिरोही शायद दो लाख से ऊपर होगा । ये डिस्ट्रिक्ट दो-दो लाख की पोपुलेशन पर रखे हैं । धौलपुर तीन लाख की पोपुलेशन है, वहां पर सब डिविजन ही कायम कर रखा है । इन एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स में रीऑर्गेनाइजेशन की शख्त आवश्यकता है जिससे कि खर्च कम होगा । रिऑर्गेनाइज़ करने से एक रेशनल वायेबल यूनिट्स बनेंगी एडमिनिस्ट्रेशन की । रेवेन्यु और कई क्राइटेरिया को लेकर इनको रिऑर्गेनाइज़ करेंगे तो एक्सपेन्डीचर भी कम होगा । यह मैं मानता हूं कि इसमें पोलिटिकल रीज़न्स आवेंगे, प्रेशर भी आवेंगे और कटौती प्रस्ताव जिन्होंने रखा है उनकी भी तहसील आवेगी, मेरी खत्म करेंगे तो मैं भी आपके पास आऊंगा लेकिन यह आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से देखना चाहिये । कम खर्चा हो और मेग्ज़िमम एडवान्टेज़ शासन को मिले । तहसीलों को रीऑर्गेनाइज़ करना है और रेशनल रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिये यह मान कर जो कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं ।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सत्संगी को पेमेन्ट के सम्बन्ध में जौहरी बाजार, जयपुर, से आनेवाले माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं ।

Page No.76

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : समर्थन में या विरोध में?

श्री आबिद्अली : समर्थन में।

(करतल ध्वनि)

जहां तक सिद्धान्तों का ताल्लुक है इसमें दो राय नहीं है कि करप्शन हमारे यहां से समाप्त होना चाहिये। अनफोर्चुनेटली राजस्थान में यह होता है कि करप्शन का जब कोई मामला होता है तो या तो फोर्थ क्लास सर्विस के खिलाफ या यू. डी. सी. या एल. डी. सी. के खिलाफ कार्यवाही की जाती है और फर्स्ट ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ अनफोर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाता और इन्वेस्टिगेशन होता भी है तो एविडेन्स में लेकुना रह जाता है या रख दिया जाता है या एक्विटल होकर हमेशा के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है। योंकि एक्विटल के बाद वह आदमी इन्नोसेन्ट मान लिया जाता है। अगर यह डेटा लिया जाय कि राजस्थान के अन्दर गजटेड ऑफिसर्स के खिलाफ कितने केसेज़ इन्स्टिट्यूट हुए और क्लास फोर्थ सर्वेन्टस के खिलाफ और एल० डी० सी० जी० और यू० डी० सीज़ के खिलाफ कितने हुए तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां गजटेड ऑफिसर्स के खिलाफ जो फिगर्स हैं वे बड़े डिस अपोइन्टिंग हैं। इसके दो नतीजे निकल सकते हैं एक तो यह कि हमारे यहां गजेटेड ऑफिसर्स एट पार हैं। और दूसरा नतीजा यह निकलता है कि वे बड़े इनफ्ल्युएन्शयल हैं इसलिये उनका इनवेस्टिगेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता या उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हो पाते। इसके अलावा तीसरा इन्फरेन्स निकल नहीं पाता। लेकिन जो लोग कोर्ट्स के अन्दर या ऑफिसेज के अन्दर काम करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने लोअर डिविजन क्लर्क या अपर डिविजन क्लर्कस हैं वे कम भ्रष्टाचारी है उनके मुकाबले गजेटेड ऑफिसर्स जो चेयर पर बैठते हैं इन्साफ करने का जिनको अधिकार होता है उनमें मोस्टली करप्शन है इसमें दो राय नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है? जैसा कि अभी अभी माननीय उपाध्यक्ष ने फरमाया कि जुडिशियरी को चेलेन्ज नहीं किया जाना चाहिये यह एक प्रकार का कन्वेन्शन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सबको इन्क्लूड करना नहीं चाहता लेकिन यह बात सही है कि जुडीशियरी में भी किसी अंश में किन्हीं किन्हीं में करप्शन प्रिवेल करता है। मैं यह नहीं कहता कि इस केस में जिन माननीय जज ने फैसला दिया उसके बारे में मैं किसी प्रकार की ओपीनियन जाहिर करूं। लेकिन आखिर यह बात जो करप्शन के बारे में पब्लिक में जो ओपीनियन है किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, यह देखने की बात है। वास्तविकता यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : I want to know whether this judgment was the outcome of the corrupt practice?

श्री आबिद्अली : No. I never wanted it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : But if somebody says 'Yes'.

श्री उपाध्यक्ष : There must be some facts to substantiate it.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Does the Chair want that we should substantiate the judgment.

श्री उपाध्यक्ष : If at all, this allegation is correct, you must substantiate this...

श्री श्रीमानसिंह : But we don't want to indulge the Sessions Judge in it.

श्री आबिदअली : सदन के सामने यह बात रखने से मेरी मन्शा हर्गिज़ यह नहीं कि मौजूदा सेशन जज ने जिन्होंने यह फैसला दिया है उन्होंने मेलाफाइड इन्टेन्शन से या इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन से यह जजमेन्ट दे दिया। फैसले को मैंने स्टडी नहीं किया इसलिये उनके फैसले पर मैं किसी प्रकार की अपनी राय नहीं दे सकता। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा जैसा कि मैंने पहले कहा था केसेज़ की कई स्टेजेज होती हैं उनमें एक इन्वेस्टीगेशन की भी स्टेज़ होती है। इस स्टेज़ पर जो स्टाफ वर्क कर रहा है वही इनवेस्टीगेशन करता है। जब उनके खिलाफ एम्बेज़लमेन्ट का केस था जैसा कि अभी बताया गया है और यह करप्शन का भी मामला था जैसा कि जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया तो वैसी हालत में जिनके पास यह इन्वेस्टीगेशन का काम था उनको अकाउन्ट बुक्स का अनुभव नहीं था, इनवोइसेज़ आदि के बारे में भी एक्सपीरिएन्स नहीं था। आज हमारा स्टाफ जो इन्वेस्टीगेट करता है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य को मालूम है कि इसका इन्वेस्टीगेशन किसने किया और जिन्होंने किया क्या उनको अकाउन्ट बुक्स ज्ञान था या नहीं ?

श्री आबिदअली : आप जानकारी दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको जानकारी नहीं तो इसकी जानकारी मैं दे दूंगा।

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले राजस्थान की परिस्थिति को बता रहा था उसके बाद में पर्टिकुलर इन्वेस्टीगेशन पर आना चाहता था।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is a particular cutmotion regarding the payment of salary to Shri Satsangi while he was in suspension on account of his prosecution. This is not a matter of general debate. I will, therefore, request that he should confine his debate relevant to the cutmotion.

श्री आबिदअली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि पर्टीकुलर इन्वेस्टीगेशन के बारे में किन सरकम्स्टान्सेज के अन्दर वह मामला खारिज़ हुआ, उसके क्या रीज़न्स थे ? उसके रिलेवेन्ट पेपर्स मेरे पास नहीं हैं। जहां तक एम्बेज़लमेंट के केस का ताल्लुक है वह सिवाय डॉक्युमेंटरी एवीडेन्स के साबित नहीं कर सकते। उसके लिये सर्कम्सटेन्शियल एवीडेन्स लानी पड़ती है। इन सर्कम्स........

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोसीजर क्या होना चाहिये और क्या होता है, यह तो सब जानते हैं। आप हमें बताइये, क्या एवीडेन्स की कमी रही, कहां किस जगह गलती हुई ? जहां तक प्रोसीजर का ताल्लुक है वह तो कानून में मौजूद है।

श्री आबिदअली : जो सवाल माननीय मन्त्री ने रेज़ किया बुक्स ऑफ अकाउन्ट का, उस कारण मुझे सर्कम्सटेन्शियल एवीडेन्स पर आना पड़ा। जहां तक इस प्रकार के केसेज़ का ताल्लुक है वह तो सर्कम्सटेन्शियल एवीडेन्स पर सी एस्टेब्लिश होता है। मैं बात यह कहना चाहता हूं कि इस केस के इन्वेस्टीगेशन में किसी हद तक लेकुना रह सकता है इसलिये इस केस को लॉ डिपार्टमेंट द्वारा एग्ज़ामिन करवाइये और जो एवीडेन्सेज रह गई वे पेश की जा सकती हैं, अपील फाइल करने के बाद, फिर से इसको ट्रायल किया जा सकता है और उस ट्रायल स्टेज पर एवीडेन्स आ सकती है।

मेरा निवेदन करना यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि अगर करप्शन को हमें समाप्त करना है तो वह नीचे के स्तर से खत्म नहीं होगा बल्कि हमें इसकी शुरुआत ऊपर से करनी होगी। अगर हम यह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से समाप्त करने वाले हैं तो कभी समाप्त होनेवाला नहीं। सेशन्स जजेज का इसमें किसी भी प्रकार का व्यु क्यों न हो एवीडेन्स की कमी के कारण साबित नहीं हो सका हो लेकिन हमें देखना यह चाहिये कि सेशन्स कोर्ट ने जो यह कहा कि एवीडेन्स वीक होने की वजह से एक गजटेड ऑफिसर एक्विट हो जाता है तो मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में एवीडेन्स की कमी रही है तो लॉ डिपार्टमेंट कोइ से एग्ज़ामिन करना चाहिये और उसकी राय हो तो इसके लिये अपील की जानी चाहिये और इस केस में रीट्रायल करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव जौहरी बाजार से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Polson.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ? पोल्सन क्या चीज है ?

श्री चन्दनमल वैद : पोल्सन एक बटर भी है। आप धीरज रखिये मैं बोल क्या रहा हूं उसको पहले समझ लीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : पोल्सन अंग्रेज का भी नाम हो सकता है।

श्री चन्दनमल वैद : पहले मेरे भाषण को सुन लीजिये उसके बाद जो भी कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जौहरी बाज़ार से आनेवाले माननीय सदस्य एक ऐसी मांग पेश करते हैं जो कानूनी तौर से गैर वाजिब है और यही मांग कानून के पंडित करते हैं और इसी प्रकार की मांग सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य करते हैं। वे एक प्रकार से कानून की हत्या करने की कोशिश करते हैं। यह एक सीधा सा सिद्धान्त है कि एक बार

(श्री चन्दनमल वैद)

मुल्जिम छूट जाता है तो बिना स्पेशल सरकमस्टान्सेज के वापिस उस पर केस नहीं चलाया जाता ! ये बातें दोनों माननीय सदस्य सवाई माधोपुर से आनेवाले और जौहरी बाजार से आने वाले दोनों इस बात को जानते हैं कि ३०२ के केसेज़ में एक्विटेड हो जाता है तब अपील दायर नहीं हो सकती जब तक कि सरकार की स्पेशल सेंक्शन न मिल जाय। यह कहा जा रहा है कि इसमें गैर मुनासिब बातें बहुत हुई हैं इस वास्ते इसकी अपील करने की इजाजत दी जाय। जब तक वह इजाज़त नहीं मिल जाती अपील नहीं हो सकती।

३ म. प.

श्री उपाध्यक्ष : इसी इमदाद के लिये तो आप पैरवी कर रहे हैं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह निवेदन किया था कि लॉ डिपार्टमेंट से एग्ज़ामिन कराया जावे इसे।

श्री चन्दनमल वैद : मुझको सुनने की कृपा करेंगे तो आपको सन्तोष हो जावेगा। मैंने भी आपको सन्तोष के साथ सुना तो मुझे भी आप सुनें।

श्री श्रीभानसिंह : It can be got examined by Law Department.

श्री चन्दनमल वैद : बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून से सम्बन्धित मामला है। कानून के पंडित दोनों तरफ बैठे हैं। फिर इस तरह से कानून की क्यों हत्या करना चाहते हैं वे, यह मेरी समझ में नहीं आया। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक्विटल के बाद इस तरह से अपील हुई हो।

श्री आबिदअली : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि एक भी एक्विटल की अपील नहीं होती या नहीं हुई ?

श्री चन्दनमल वैद : क्यों नहीं होती है। पर इस तरह के मामलों में सौ केसों में से मुश्किल से एक आध में अपील होती है और वह भी बहुत ही स्पेशल सरकमस्टान्सेज़ में होती है। आप लॉ डिपार्टमेंट की फाइलें उठा कर देखने की कृपा करेंगे तो मालूम हो जावेगा कि सौ केस होते हैं तो मुश्किल से एक की अपील फाइल होती है। पर आप यह चाहते हैं कि किसी भी एक्विटल की ऑर्डिनरी कोर्स में अपील करें तो यह गैर मुनासिब और गैर वाजिब होगा। ठीक है। अगर सैशन कोर्ट से फैसला हो गया और आप यह समझते हैं कि इसमें ठीक नहीं हुआ, और कोई बहुत ही बड़ी एरर हुई है, किसी जज साहब ने दबाव में आकर या घूंस लेकर यह फैसला किया है तो अपील हो सकती है, आप इसकी एवीडेन्सेज़ पेश करिये। तो हो सकता है कि अपील इसकी भी फाइल की जावे। पर ऑर्डिनरी कोर्स में ......

श्री श्रीभानसिंह : We are not to give any evidence here.

श्री चन्दनमल वैद : क्योंकि एक्विटल हो गया है इसलिये हर हालत में इसकी

(श्री चन्दनमल वैद)

अपील हो जानी चाहिये, यह गैर मुनासिब और गैर वाजिब होगा। यह आपका कहना मेरी समझ में नहीं आता। आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहां ले जाना चाहते हैं? क्यों नहीं आप कहते हैं कि हम किसी पर भी, किसी भी अफसर पर विश्वास न करें? कोई हो। सैशन कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, सरकार के आदमी हों, किसी का भी आप विश्वास न करें। सब पर अविश्वास करते रहें। तो यह तो उचित नहीं है। फैसला चूंकि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ इसलिये हम कहने लगे कि दूसरी अदालत में ले जाया जावे।

श्री श्रीभानसिंह : मैं निवेदन कर दूँ कि जब यह केस बनाया गया था तब आप डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर थे। आपने ही यह फाइल बनाई थी।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यही कारण है कि आपको उन सारे वाकयात का अच्छा इलम है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : फाइल किसने बनवाई यह सवाल नहीं उठता। सवाल यह उठता है कि हम आज क्यों न्याय की हत्या करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सैशन्स जज ने फैसला दिया है। अब उसमें चूंकि हमारे सोचने के मुताबिक फैसला नहीं हुआ इसलिये अपील कर देनी चाहिये, यह ठीक नहीं। कहा गया कि एवीडेन्सेज पेश होनी चाहिये थीं वे नहीं हुई। मैं कहता हूं हाई कोर्ट में एवीडेन्सेज पेश होंगी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : If the retrial is orderd, new evidence can be adduced. It is common principle.

श्री चन्दनमल वैद : There is no trial.

श्री उपाध्यक्ष: Even in the appeal the High Court can send it for retrial.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वे आज कल प्रैक्टिस नहीं करते इसलिये भूल गये है।

श्री चन्दनमल वैद : कॉमन सेन्स के लिये हो सकता है। मुझे दुख है कि मैं तो छोड़कर भी नहीं भूला पर आप प्रैक्टिस करते हुए भी भूल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is off the profession for a long time now.

श्री चन्दनमल वैद : और यह काबिले अपील हाई कोर्ट में हुई तो....

श्री श्रीभानसिंह : और इसमें आप भी बहुत जोर लगा रहे थे, आपने भी बहुत जोर दिया था।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय उपाध्यक्ष मुझे बड़ा दुख है कि जो अपील करना चाहते हैं वे मुझे सुनना नहीं चाहते और मेरे बोलने से पहले ही नाराज हो रहे हैं पर उनकी नाराजगी की परवाह किये [illegible] बलूंगा न्याय के हित में। सत्संगी से मुझे कोई प्रेम नहीं

(श्री चन्दनमल वैद)

है। अगर की जा सकती है तो उनकी ट्रायल की जावे। उन पर जुर्म साबित हो तो कन्विक्ट हों, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। पर यह कहना कि कोई वीकेस्ट स्टेज थी तो वह बतलाया जावे और तब फर्दर ट्रायल किया जावे। हो सकता है कि वे मुलज़िम हों तो ठीक है, उन को इस बिना पर ट्रायल किया जावे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर यह कहना कि चूंकि उनका एक्वीटल हो गया है आॅर्डिनेरी कोर्स में अपील फाईल की जावे, यह मैं समझता हूं कि सर्विसेज के मोरेल को खराब करना होगा जो किसी हालत में नहीं होना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वकीलों की तो बहस आपने सुनी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अब मुवक्किलों की बहस सुन लीजिये।

(हंसी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: वकीलों से बचे हुओं की बात कहता हूं। यह कानून गरीबों के लिये है, अमीरों के लिये नहीं। अमीर कानून से बचते देखे गये हैं और इस सिलसिले में मैं तो सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके बारे में, सारी जनता में एक बहुत इस तरह से करप्शन की बात सारी जगह चली, सारे अखबारों में और सब जगह एक मानस; इन अखबारों की खबरों से यह बना इस प्रकार का कि इसमें आज यह पहला मौका आया है कि जब कि राजस्थान में किसी करप्ट को सजा दी जावेगी। राजस्थान में यह पहला मौका आया है कि जब कि किसी करप्ट पर केस चलेगा, उसे सजा मिलेगी, यह तो लोगों को विश्वास था। अब कानूनी तौर से केस की क्या स्थिति थी या है यह तो ये कानून के पंडित ही जानें। पर राजस्थान की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि यह करप्ट पर पहला केस चलाया जा रहा है और इसको जरूर सजा होकर रहेगी। जनता के मानस में जिस समय यह केस की बात चली इस सरकार के लिये अपने दिलों में उसके मानस में एक इज्जत की स्थिति बनी। जनता सरकार को इज्जत की निगाह से देखने लगी। पर जब केस चला और बाद में वह एक्विट हो गया तो कानून की बारीकियों को छोड़ दीजिये कि कानून में या गवाही में क्या खामियां रह गई जिससे वह बरी हो गये पर जब एक्वीटल की बात जनता ने सुनी तो लोग यह समझे कि अगर कोई होशियारी से करप्शन कर ले तो वह कानून के जुज से बच सकता है और अगर उसके पूरे सोर्सेज हों तो वह करप्शन करते हुए भी कानून के जुज से बच सकता है। जब कानून की इस तरह की बात करप्शन के सिलसिले में हम सुनते हैं तो हम महसूस करते हैं, जनता महसूस करती है कि कानून से यह करप्शन कैसे निकलेगा ? एक तो यह समस्या हमारे सामने है।

मैं मांग करता हूँ कि या तो सरकार यह ऐलान करे कि हम कन्विन्स्ड हैं कि यह अधिकारी ईमानदार है, इसने ईमानदारी से अपना काम किया, कोई करप्शन नहीं किया। अब करप्शन नहीं हुआ है तो स्पष्ट कहें कि कोई करप्शन नहीं हुआ है। शासन जज की बातें करे, जजमेंन्ट की बातें करे, यह कतई न करें, कोई सहारा नहीं लिया जाय इसका। यहां सिर्फ हुकूमत के कनविन्स होने का प्रश्न है। हुकूमत को कनविन्स्ड होना है कि यह

Page No.82

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ईमानदार ऑफिसर है । एक बात उड़ी और उसके बाद केस चला और अगर वह ईमानदारी से छोड़ा गया है और वह ईमानदार ऑफिसर था तो यह तीस हजार क्या, जो कुछ और भी ड्यू हो सब बराबर मिलना चाहिये । लेकिन अगर गवर्नमेंट कानून का और इस जजमेन्ट का सहारा लेने की कोशिश करे कि सेशन जज ने उसे छोड़ दिया है इसलिये हमें उसको तीस हजार देना पड़ेगा तो इसके साथ यह भी है कि आप कनविंस्ड हैं कि नहीं ? सेशन जज ने किसी कानूनी खामी की वजह से या किसी कानूनी मुद्दे की वजह से या किसी एवीडेन्स के न मिलने की वजह से छोड़ा है जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि आज के ये कानून तो केवल गरीबों के लिये हैं, गरीबों को सजा देने के लिये हैं बड़ों बड़ों के लिये नहीं, जो साधन रखते हैं कानून की मंशा को उसकी बारीकियों में पड़ कर समाप्त करने की और जो इसके लिये पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं उनके लिये कानून की कोई कीमत नहीं । कानून से बच जाने के उनके पास बहुत से रास्ते हैं XXXX

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Jwala Prashad, I would request you not to pass any reflection over the profession which is held to be so sacred and honourable.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It shows his ignorance.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is very honourable. इतने ऑनरेबल.......

श्री उपाध्यक्ष : And at the same time I expunge the remarks that you have made.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा मकसद कहने का यह कभी नहीं था सारे वकीलों के लिये । इसका यह अगर इम्प्रेशन हुआ है तो यह मेरी मंशा नहीं है । पर मैं कहता हूं कि वकील जानते हुए भी कि यह गलत है, वे उसकी तरफ से पैरवी करते हैं । मैं यह सिद्धान्त की बात कहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : This cut motion relates to Mr. Satsangi and not to lawyers.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सत्संगी के विषय पर आ रहा हूं । मैं अर्ज यह कर रहा था कि मैं मानता हूँ बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है । फिर भी ऑनरेबल प्रोफेशन में मैं यह जानता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow this phase of debate. You will kindly concentrate on the issue itself.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसको तो एक्सपन्ज कर दीजिये, कुछ भी कर दीजिये । मैंने तो यह जो था कागजातों की सिद्धान्त की बात कही थी और उसमें बचानेवाले भी वकील और इसको कोर्ट में समन करने वाले भी वकील और ये सब तो ऑनरेबल हैं ।

(हंसी)

आग भी उगलते हैं और पानी भी बरसाते हैं

XX श्री अध्यक्ष : पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और यह गुण उनमें है ।

(हंसी)

मेरा इतना ही निवेदन है । जैसा केस आता है उसकी वैसी ही पैरवी करते हैं । उनका तो पेशा ही ऐसा ही ऑनरेबल है ।

(हंसी)

तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि सत्संगी की बात पर आ रहा हूं । उसको तीस हजार दिया जावे । पर अगर सरकार कन्विन्स्ड है कि यह तीस हजार हम इसलिये दे रहे हैं कि वह किसी कानूनी खामी की वजह से नहीं छूटा है बल्कि इसलिये छूटा है कि वह वास्तव में एक ईमानदार ऑफिसर है तो नम्रतापूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस फ्लोर ऑफ दी हाउस पर ऐलान करे और स्पष्ट तौर पर ऐलान करे कि वह वास्तव में ही ईमानदार ऑफिसर है, हमने जांच करली है पूरी तौर से और किसी कानूनी नुक्स की वजह से वह एक्विट नहीं हुआ है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बिल्कुल सही है, किसी कानूनी खामी की वजह से मजबूरी का यह फैसला नहीं है । और अगर सरकार इस तरह कनविन्स्ड नहीं है और उसको बेईमान ऑफिसर मानती है और यह मानती है कि कानूनी खामी के कारण यह छूट गया है, फैसला इसके हक में हो गया है तो एक दिन नौकरी पर बैठाकर उसके बाद आप उसको चार्ज शीट दे दो और कह दो कि अब आप अपने घर जावो । अगर सरकार मोरल्ली कन्विन्स्ड है कि यह वास्तव में बेईमान ऑफिसर है तो इस तरह करे । मैं इस तरह का सजेशन देना चाहता हूं जिससे जनता में मोरल बना रहे, जनता में सरकार के प्रति जो विश्वास की भावना बनी थी वह बनी रहे, भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट हो । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोर्ट से आने के बाद एक दिन कुर्सी पर बैठा दीजिये । जिसके अन्दर एविडेन्स की खामी रही हो, और बात रही हो, कहीं से भी कोई खामी रही हो किसी की चिन्ता नहीं, किसी पर किसी तरह का मोटिव लगाने की जरूरत नहीं, किसी पर शक करने की जरूरत नहीं, किसी पर कोई लांछन या इशारा करने की जरूरत नहीं मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि अगर मोरेली सरकार कन्विन्स्ड है कि यह अफसर किसी कानूनी खामी के कारण छूटा है, वैसे ईमानदार नहीं है तो इसके बाद ३० हजार दे दिया जावे और भी बाकी हो वह सारा दे दो कहो यह अपना सब पैसा लीजिये एक दिन आप काम करिये दूसरे दिन का यह चार्ज शीट लीजिये और कहिये अब आप जाइये घर पर, आपने गवर्नमेन्ट का काम ईमानदारी से नहीं किया, आप ईमानदार नहीं हैं हम इससे कनविन्स्ड हैं । यह गवर्नमेंट बहुत आसानी से कर सकती है । उसको दो हियरिंग दे सकती है । सेक्शन ३११ के मामले में मैं भी साथ रह रह कर यह बातें सीख गया हूं । इतनी ही फॉर्मेलिटी है वह पूरी की जाये ताकि ऑफिसर को शिक्षा हो और जनता में विश्वास हो । यह मेरा एक सुझाव था इस सिलसिले में । बात यहां पर ३०,००० की नहीं है बल्कि बात तो इस बात की है कि करप्शन के इतने बड़े बड़े केसेज़ पर अगर मैं गलती नहीं करता हूं और मैंने खुद ने पढ़ा है अखबारों में और जब मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस समय भी इस

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सिलसिले में पढ़ा करता था और मेरा इम्प्रेशन यह था कि राजस्थान सरकार ने सही कदम एक ऑफिसर के खिलाफ उठाया है और यह बहुत सही किया है और उससे यह बात मन में आई थी कि ऐसे लोगों के ऊपर केस चलने चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाहरवाले सेठिये हैं जो इनको घूंस देते हैं उनके ऊपर आप केस चलायें। जिन्होंने घूंस दी है उनके ऊपर केस नहीं चलाया जाता यह बहुत बड़ा अन्याय है। देनेवाला तो बड़ा ऑनरेबल है औरलेने वाला ही पापी है, यह कैसे हो सकता है। यह सोचा जाता है तो यह बिल्कुल गलत है। मैं यह कह रहा था कि सरकार अगर मोरेली कन्विन्स्ड हो तो हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन वह विधान सभा के फ्लोर पर कहें कि हम कन्विन्स्ड हैं कि वह ईमानदार है। लेकिन यह कह कर हम ३०,००० पकड़ायें कि वह सेशन्स जज में बच गया तो यह कोई मानने की बात नहीं है या फिर री-ट्रायल करें तो यह बहुत लम्बी बात हो जाती है। सीधा रास्ता पकड़ो न। एक दिन उनको कुर्सी पर बैठा कर ३०,००० दे दो और दूसरे दिन ही चार्जशीट देकर कह दीजिये कि अब घर जाइये और आपकी सर्विसेज़ की जरूरत नहीं है। इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव इस पर रखा गया है उस पर काफी बहस हो चुकी है। जहां तक कानून का सवाल है कानून के जानने वालों ने अपनी अपनी राय रखी और अभी सरदारशहर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने अपनी राय रखते हुए अन्त में एक शब्द कहा और वह शब्द यह कहा कि जो कानून के कटघरे में जाकर बच गया उसके बाद में हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि इस मामले में हम कुछ न कहें और जैसा भी फैसला हुआ है उसे हम स्वीकार करें। अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं तो उन्होंने एक शब्द कहा कि सर्विसेज़ का मोरल गिर जायेगा। सबसे पहला सवाल तो उन्होंने यह बताया कि अगर सरकार कोई खिलाफ कदम उठाती है तो उससे सर्विसेज़ का मोरेल गिर जायेगा। जब इस शब्द को मैं देखता हूं तो उसके साथ ही साथ जब यह सोचता हूं कि एक इस प्रकार से हमारे राज्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केस हुआ, ठीक है उसका फैसला चाहे कुछ भी हो और भ्रष्टाचार के मामले में सारे राज्य के लाखों आदमी इस केस को जानते हैं, राज्य की आम जनता इसको जानती है और यह भी जानती है कि यह सरासर घोटाला हुआ है। यह केस इतना प्रचलित हुआ कि १॥ करोड़ जनता भी इस मामले से परिचित है। हमें एक ओर तो १॥ करोड़ जनता के मोरेल का ख्याल रखना है तो दूसरी ओर सर्विसेज़ के भी मोरेल का ख्याल रखना है। उनका यह ख्याल है कि इससे मोरेल गिर जायेगा अगर इस फैसले के आधार पर हमें उनको कुछ रुपया देना है तो दें और उसी प्रकार से सर्विसेज़ का काम रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे सर्विसेज़ का मोरेल आप तो कहते हैं उनको नहीं रखने से या उनके खिलाफ कदम उठाने से गिर जायेगा और मैं कहता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

अगर कदम नहीं उठाया जायेगा तो सर्विसेज़ का मोरल भी गिरेगा और आम जनता का भी गिरेगा ! यह चीज़ जब इस प्रकार की होती है तो इसका असर आम सर्विसेज़ के ऊपर क्या होता है ? ठीक है, कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच सकते हैं । चाहे लोग मर जाये, चाहे खून हो जायें और बुरे से बुरा काम हो जाये तो भी बच सकते हैं, रास्ता निकल सकता है और उस रास्ते को अपनाने के लिए हर तरह से कोशिश की जायेगी । दूसरी ओर आम जनता में जो भ्रष्टाचार के ऊपर भावना है उसको दूर करना चाहते हैं तो इस मामले में यदि हम कदम नहीं उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि आम जनता का भी मोरल गिर जायेगा और वह कहेगी कि भ्रष्टाचार के मामले में भी सरकार के पास ताकत नहीं है कि वह कोई कदम उठा सके । बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि हमें यह देखना है कि यह कदम सरकार ने उठाये और उनके खिलाफ सारी कार्यवाही की । कानूनी दृष्टिकोण से बरी हो गये अब ऐसी हालत में, जैसे कि फैसले के अनुसार उनको बकाया पैसा देना है और उसके साथ ही साथ राजस्थान में उच्च पद पर उन्हें उसी तरीके से रखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपने यह न्याय के तरीके से न्याय के आसन की प्रतिष्ठा की है और जो कुछ फैसला हुआ है उसके अनुसार कार्यवाही की है लेकिन जहां तक नैतिकता का सवाल है और उसके साथ ही साथ राज्य की सर्विसेज़ का सवाल है और जनता का सवाल है और जब सारे लोग जानते हैं कि यह काम बहुत बुरा हुआ है—चाहे कोई बच गया हो—फैसले के पीछे हम न जायें लेकिन फिर भी जनता का मोरल ऊंचा करने के लिए राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा और ऐसा निर्णय करना पड़ेगा जिससे जनता का मोरल ऊंचा हो सके और सर्विसेज़ का मोरल ऊंचा हो सके । इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा और उनका प्रस्ताव यही है कि ठीक है, आप पैसा दे दीजिए उसके साथ ही साथ उनके खिलाफ कोई चार्जशीट बना कर चाहे उसका आपको अधिकार है या नहीं परन्तु उसके बाद में मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर सदन है यहां पर हर प्रकार के कानून बनते हैं वह उनमें संशोधन भी करता है और सारे अधिकार सदन को हैं और अगर सदन यह महसूस करता है कि एक भ्रष्टाचार के मामले में सदन की समुचित राय हो जाती है कि इस मामले में भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और न्याय के दरवाजे पर चाहे वह साबित नहीं हो सका हो और बात सत्य है तो सदन को सत्य की रक्षा करनी पड़ेगी और उसके लिए सर्विसेज़ के मामले में कोई संशोधन करके भी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके लिए सदन इतना अधिकार ले ले कि अगर कोई बरी भी हो जाये....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जुडीशियल मैटर्स में सदन सुप्रीम है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : सदन तो सारे मैटर्स में सुप्रीम है । पार्लियामेंट का तो यहां तक भी फैसला हुआ है कि कोर्ट्स के खिलाफ भी कोई सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकता है ।

Page No.86

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question.

श्री मुरलीधर व्यास : यह कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ऐसे मामलों में सरकार को कुछ सोचना चाहिये और सोच कर सरकार यह अधिकार अपने हाथ में ले ले कि ऐसे कोई भ्रष्टाचार के मामले आयें और उनके लिये सदन की राय होती है और जनता के मोरल को ऊंचा करना है तो सरकार को गम्भीरता से इस पर सोचना चाहिये। इसके ऊपर सदन में अवश्य कुछ न कुछ निर्णय होना चाहिये। जनता के मोरल को ऊंचा करने के लिये और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आपको सचाई के पक्ष में ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस सम्बन्ध में फैसला लेना चाहिये ताकि हम सत्य के पक्ष की रक्षा कर सकें।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सत्संगी के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पर बहस तो बहुत हो चुकी है, न इस संबंध में कुछ कहने को बचा है मगर प्रश्न के महत्व को देखते हुए मैं अपना दृष्टिकोण सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा।

श्रीमन्, कानूनी स्थिति पर जितनी बात हुई है उसमें यह तो मेरा कहना नहीं है कि उलझनों के लिए बात हो जाती है मगर उसके तथ्य की बात सोचने की दृष्टि से जोर कम आया है। मैं कुछ चन्द शब्द उस बात के समर्थन में कह देना चाहता हूं।

शासन नीति में जब कर्मचारी वर्ग कुछ दोष रखते हैं तो उनके ऊपर दो शक्तियां हैं जो उनको वापिस अनुशासन में लाने के लिए काम में लाई जायं। यह न्यायालय की जो शक्ति है यह तो निर्द्वन्द्व शक्ति है। उसका डिटरेन्ट इफेक्ट भी हो सकता है। एक दो आदमियों को सज़ा मिले तो दूसरे आदमियों पर उसका प्रभाव होगा। ऐसा भी असर हो सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से जो कर्मचारी वर्ग को संयम में रखने की गहरी शक्ति न्यायालय में नहीं है वह रखनेवाले में है, उस एम्प्लॉयर में है जो उनसे काम लेता है। उनकी गहरी शक्ति है। वह उनका पेटर्नल जुरिस्डिक्शन है। एक मास्टर और सर्वेन्ट का जो रिलेशन होता है वह है। खास तौर का जुरिस्डिक्शन है। मैं इस प्रश्न को इस दृष्टि से देखना चाहता हूं।

न्यायालय में कार्यवाही कर दी, एक्वीटल मिल गया। मुलजिमान को छुड़ाने का श्रेय हमको अदालतों में मिला करता है। हम जानते हैं कि किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से एक्वीटल मिलता है। झूठे मुकदमे भी दायर किये जाते हैं और उनमें आदमी छूटते हैं लेकिन कई आदमी मुलजिमान होते हुए भी छोड़ दिये जाते हैं, तरकीबों से। यह सब होता है। यह सब दस्तूर हो गया। इस सारे दस्तूर के पूरा हो जाने के बाद आज आपकी ड्यूटी है अपने कर्मचारियों को एक खास डिसिप्लिन और अनुशासन में रखने की। वह फर्ज यदि हो गया, खत्म हो गया इस चीज़ से। एक सवाल आया था कि इसकी अपील हाई कोर्ट में हो, एक माननीय सदस्य ने फरमाया था जो कि मेरे नजदीक बैठे हुए है, मेरे हमपेशा हैं, उनमें योग्यता है कानून की। उन्होंने मेरे बराबर इम्तिहान पास किया है। कुछ अर्से से नहीं करते हैं लेकिन एक बात एक बार सीखी हुई जल्दी से भूल नहीं जाया करते हैं। उन्होंने कहा कि १०० एक्वीटल के केसेज़ में एक केस की अपील हुआ

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

करती है। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है, मगर इसके नियम और नीति क्या है? नीति यह है कि हरएक एक्वीटल के केसेज़ में इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर की पर्सनल ड्यूटी होती है कि एक्वीटल नोट बना दे। उसको पूर्ण करना होता है कि जिसके फलस्वरूप यह एक्वीटल हुआ है। उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीक्यूशन ब्रान्च में ऐसे केसेज़ के एक्वीटल नोट भेजते हैं। अगर केस इतना कमजोर था तो प्रोसीक्यूट क्यों किया गया? उसको प्रोसीक्यूट क्यों किया? जनता को हेरेसमेंट दिया गया? सत्संगी साहब पर रियासत की तरफ से ख्वामख्वाह मुकदमा चलाया गया है। अगर केस इतना लचर था तो उसकी कामयाबी का अन्दाजा कोई भी प्रोसीक्यूटर लगा सकता था। जब वह केस भेजा गया होगा तो उसको एग्ज़ामिन भी किया होगा। उन ऑफिसर का नाम मालूम है या नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं कि कौन वह काबिल अफसर थे? मैं तो काम के नतीजे को देखकर काबलियत को देखना चाहता हूँ। जब इतना लचर केस था तो क्या सरकार को सत्संगी साहब से दुश्मनी थी? पहले केस इतना लचर था तो उनको नहीं भेजा जाता। वह एक्विट हुए हैं तो एक्वीटल का नोट क्या है? उसमें अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रोसीक्यूटिंग ऑफिसर कि मेरी प्रोसीक्यूशन के बावजूद भी केस फेल हो गया है। इसका प्रोसीज़र है कि वे एक्वीटल नोट देते हैं और उसमें वे जस्टीफाई नहीं कर सकते हैं प्रोसीक्यूटर्स एक्वीटल नोट में तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। उनके करेक्टर रोल्स में एन्ट्रीज़ होती है, उनके फ्यूचर केरियर पर असर आता है।

आज आप कहते हैं कि शख्ती से कर्मचारियों का मोरल बिगड़ता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मोरल बनता किससे है? मोरल बनाने की नीति क्या है? क्या आपकी यह दवा है कि बुरा काम करे उसको इनाम दो? उससे क्या आप मोरल बनाना चाहते हैं? इस तरह से मोरल बनाना चाहते हैं तो श्रीमन्, मैं कहूंगा कि अपने बच्चों का भी मोरल नहीं बनेगा, "spare the rod and spoil the child." ख्वामख्वाह की बात पर हर जगह बच्चे को चपत लगाना बुरी बात है लेकिन जहां पर घूंसे की जगह होती है वहां पर स्पेअर कर दे तो एक मास्टर अपनी जिम्मेदारी से हटता है और वह नौकर भी मास्टर का व्यक्तिगत नौकर नहीं है वह राज्य का है। राज्य की ओर से उसको अधिकार मिला है, उसको ठीक करने की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। आपके घर का नौकर हो और वह चोरी करे और आप इनाम दें यह नहीं होता है। हां, कुछ संत ऐसे हुए हैं। मैंने पढ़ा है एक मुस्लिम संत का किस्सा। उनके घर में चोर आया। गरीब का घर था। उनकी आंख खुल गई तो आंख खुलते ही घर का सामान बान्धा और चोर से कहा कि उठा कर ले जा। वह नहीं उठा सका तो खुद उसको उठा कर उसके घर छोड़ आये। यह ठीक है। मगर यह संतता जनता के यहां उपयुक्त नहीं है। आप मालिक हैं और मास्टर और सर्वेन्ट का रिलेशनशिप ज़रूरी है। आम जनता जानना चाहती है कि उसका एक्वीटल नोट क्या है? उसको बराबर एग्ज़ामिन कराया जाय कि एक्वीटल जस्टिफाइड है या नहीं है। हो सकता है कि

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

१०० एक्वीटल में एक केस भी ऐसा नहीं हो जैसा कि आपने कहा लेकिन इसके कहने से पहले आपने स्टेप्स क्या लिये हैं ? मैं सुनता हूं कि जिन श्रीमन जज साहब ने इसका फैसला दिया है वे आज लॉ ब्रान्च में बैठे हुए हैं। शायद अपील करने की गुन्जाइश हो इस पर शायद उस ब्रान्च की राय हो। आपको पूरी इन्टरनल बात का पता नहीं हो। सरकार हिम्मत के साथ में अपनी पोज़ीशन साफ करने के लायक होती और खड़े रहने का दावा रखे तो उसके पहले सारे स्टेप्स लेती।

फिर सवाल यह आता है कि जो यह प्रोसीक्यूशन का रीज़न था तो उनके खिलाफ शिकायत एक नहीं है। जैसा कि मैंने समझा इस सदन के अन्दर बहस के दौरान में उनके ऊपर एक ही नहीं कई चार्जेज थे। आज उनको रीइन्स्टेट करके रुपया देने की बात है तो सरकार को यह पोज़ीशन साफ करनी चाहिए कि वे सारे चार्जेज से बरी हो चुके हैं, आगे कोई चार्ज बाकी नहीं है डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी या किसी भी किस्म का। अगर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी वगैरह के चार्जेज मौजूद हैं तो दूसरे कानून, श्रीमन, रास्ते में आते हैं।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि फाइनली जो आदमी बरी हो गया है उसको सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह देनी चाहिए। यह ऐसा उसूल नहीं है। यह गलत उसूल है। क्लीयरेस्ट लॉ इस चीज में यह है, अपर सर्विस रेग्युलेशन में यह लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सर्विस रेग्युलेशन तो मेरे देखे हुए हैं। राजस्थान के सर्विस रेग्युलेशन्स को मैंने माइन्यूटली नहीं देखा है लेकिन मैं जानता हूँ कि अपनी आदत के मुताबिक वह भी उन्हीं कानूनों की नकल होगी थोड़ा सा हेरफेर करके, दूसरी पोज़ीशन नहीं हो सकती है। सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह पूरी दी जाय, आधी दी जाय या नहीं दी जाय, यह गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन है। वह हर एक केस के औचित्य को देख कर डिसीज़न करती है। अभी हाल का एक केस मेरे नोटिस में आया है जिसमें एक थाने के पुलिस के नीचे की रैन्क के दो, चार मामूली कर्मचारियों का प्रोसीक्यूशन हुआ। उसमें बात जो कुछ हुई उसमें यह है कि उनका प्रोसीक्यूशन डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का था। उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक आदमी बेकसूर है, उनको रीइन्स्टेट करके सारा पैसा दे दो। लेकिन उसको न मान कर और गवर्नमेंट ने इस लॉ की आड़ लेकर उनको चार्ज से बरी करके सस्पेन्शन पीरियड का पैसा काट दिया। एक छोटे आदमी के खिलाफ आपकी कलम उठती है और एक बड़े आदमी के खिलाफ जिसका कुछ राजनैतिक असर भी होगा उनके खिलाफ इस प्रकार का डिसीज़न लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सस्पेन्शन पीरियड की पे रेस्टोर करने का लॉ बनाते हैं, लेकिन गरीब के साथ उस रूल को बरता है स्टेट डिस्क्रीशन का लेकिन इस केस में नहीं करते हैं। इनके खिलाफ चार्जेज हैं। बल्कि रूल तो यहां तक है कि एक स्पेसिफिक चार्ज है जिसके अन्दर एक आदमी का एक्वीटल हो जाय उसी चार्ज के ऊपर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी दुबारा उठाया जा सकती है। हाई कोर्ट का यह अपहेल्ड भी है कि 'दिस इज़ प्रिन्सिपल'। इसमें कोई गैर

Page No.89

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

कानूनी बात नहीं है । मास्टर और सर्वेन्ट का अपना रिलेशन क्लिअर है । जिस आदमी को जेल भेजने के लिए एविडेन्स काफी नहीं हो वह मास्टर के लिए उसको सजा देने के लिए काफी हो सकते हैं । हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है । सरकार मुझे बताये कि हमने एविडेन्स इकट्ठे करने की कोशिश की लेकिन उसको जेल भेजने के लिए, उसके कन्विक्शन के लिए काफी एविडेन्स नहीं थी तो वे डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए और सजा देने के काफी थे । सरकार कह सकती है कि इस केस को हमने थोरोली एग्ज़ामिन किया है, हमें इन पर लीस्ट भी डाउट नहीं है । फिर भी वह जो प्रिन्सिपल है जिसके लिए यह कहा जाता है कि एक्विट हो गया है तो फिर तनख्वाह रेस्टोर करें वह एक केस में हो सकता है कि वह बरी हुआ हो लेकिन और भी चार्जेज़ हैं । एक केस हो और उसमें बरी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ख्वामख्वाह गरीब को परेशान किया गया । ऐसी हालत में माना जा सकता है कि आपका सिद्धान्त है । लेकिन कोई पर्टिकुलर एविडेन्स नहीं हो सकी, इसके माने यह नहीं हो सकते कि उसके सस्पेन्शन की साइड हल्की पड़ गई, If the shadow of suspision is thick over him, a mere acquittal will not absolve him completely.

तो श्रीमान् मैं समझ रहा हूं कि सारे मसले को हम हल्के से देख रहे हैं और इससे कर्मचारियों के मोरल को ब्रोड करना चाहते हैं । श्रीमान्, कर्मचारी कोई ऐसी नयी चीज़ नहीं है, नया जन्तु नहीं है जिसको हमने देखा न हो । हम बचपन से कर्मचारी देखते चले आ रहे हैं । हमारे घर में कर्मचारी रहे हैं, हमारे बाप-दादा ने नौकरी की है । एक मंत्री तो यहां ऐसे बैठे हैं जो यह जानते हैं कि कितने कर्मचारी मेरे खानदान ने पैदा किये हैं । हम मानते हैं कि कर्मचारियों का मोरल इस तरह से नहीं बनता है । उनका मोरल बनता है सच्ची इमदाद से । कर्मचारियों का मोरल इस बात से बनता है जहां सज़ा की जरूरत न हो वहां उनको सज़ा न मिले और जहां सजा की गुन्जायश हो वहां उनको ठीक ढंग से सजा देते हैं और सजा पाने के काबिल बनाते हैं तो उनका मोरल बढ़ता है । इन बातों से सर्विसेज का मोरेल इम्प्रूव होता है न कि ढिलाई बरतने की नीति से । ढिलाई बरतना साथी बनाने के लिये ठीक हो सकता लेकिन डिसिप्लिन्ड आदमी के लिये ढिलाई बरतना ठीक नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है वह वैल इन्टेन्शन से रखा गया है और मुझे इस बात की खुशी है कि उधर बैठनेवाले साथियों ने निष्पक्षता के साथ इसे रखा है । मैं चाहता हूं, इस पर्टिकुलर केस में यदि मेहरबानी से काम लिया हो और पीछे हाथ खींचना नहीं चाहते हों, कुछ पोलिटिकल रीजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जनता के खर्च से आसानी से मेहरबान बनना नहीं चाहिये ।

(करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड के ऊपर तीन कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों

Page No.90

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने पेश किये हैं जिनमें से दो कटौती प्रस्ताव ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो इकॉनोमी पहले उम्मेद की जाती थी इस डिपार्टमेंट में होगी वह नहीं हो सकी या कम हो सकी इसलिये उसके लिये सप्लीमेन्टरी डिमान्ड मांगी जा रही है, उसके मुत्तल्लिक है। दूसरा कट मोशन जिसके ऊपर काफी बहस कानूनी वाकयात से और सब तरह से यहां सदन में हुई। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी काबिल राय का इजहार किया, खास तौर से कानूनी पहलू पर और कुछ माननीय सदस्यों ने वाकयात पर बहस की, हालांकि उनको वाकयात से बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। यह ठीक है और मैं स्वीकार करता हूं कि महज सेशन जज के फैसले से गवर्नमेंट को यह नहीं समझना चाहिये कि वह बिल्कुल बेगुनाह है और फैसला सही हुआ है लेकिन यदि केस के वाकयात को ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें प्रिन्सिपल एक्यूज्ड थे श्री पद्मनाभन और श्री रेडियार। इन दोनों की डेथ हो चुकी थी। श्री पद्मनाभन की डेथ पहले हुई थी और श्री रेडियार दौरान मुकदमा मर चुके थे। जहां तक श्री सत्संगी और श्री दुबे का ताल्लुक है ये एक के कॉन्स्पिरेसी से लिन्क किये जाते हैं लेकिन main persons were Mr. Padmanabhan and Mr. Raddiar. क्योंकि श्री रेडियार नहीं हैं जिनसे खरीदा था और पद्मनाभन भी नहीं हैं, दोनों की मौत हो चुकी थी They were not alive. अब इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ जजमेंट पढ़ें तो पता चले। जो एविडेन्स अवेलेबल थीं वे पेश की गई। कॉन्स्पिरेसी को एस्टाब्लिश कर सकें, यह बहुत मुश्किल बात है जब तक कि डाइरेक्ट एविडेन्स न हो। और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक कोई एप्रूवर न हो तब तक कॉन्स्पिरेसी एस्टाब्लिश नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई डाइरेक्ट सस्पेन्स न हो। यह कहा गया कि एक आदमी एप्रूवर होने आया और क्योंकि वह होटल में मर गया इसलिए यह ख्याल करना कि वह मारा गया और गवर्नमेन्ट ने कुछ नहीं किया, इसके इन्वेस्टिगेशन में कोताई रह गई हो तो अलग से देखा जा सकता है। एक केस जुडिशियल कोर्ट के सुपुर्द किया गया हो और कोर्ट के फैसले में उसको बहाल कर दिया गया हो तो भी बहरहाल गवर्नमेन्ट को राइट है कि उसकी अपील करें। ट्राइल कोर्ट ने गलत फैसला किया हो या एविडेन्स न हो तो अपील कर सकते हैं। लेकिन अपील करने के लिये केस को एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेन्ट को चाहिये था कि लॉ डिपार्टमेन्ट में एग्ज़ामिन कराया जाता। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेन्ट में इस केस को पूरी तरह एग्ज़ामिन कर लिया गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे जज ही अब सेक्रेटेरियेट में चले गये हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वे तो अभी चार दिन पहले ही गये हैं लेकिन जो पहले सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट में थे उन्होंने राय दी थी कि यह बिलकुल फिट केस नहीं है, इसमें अपील की कोई गुंजायश नहीं है इसलिए इसको ड्रोप किया गया है। गवर्नमेंट की यह मंशा नहीं है कि ढिलाई बरती जाय क्योंकि ऐसा ऑफिसर इन्वेल्वड है। लेकिन कोर्ट ने उनको ऑन-

Page No.91

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रेबली एक्विट किया है, उसमें कोई लेकुना नहीं है। सत्संगी का जहां तक ताल्लुक है उनको ऑनरेबली एक्विट किया है और श्री दुबे को भी उसी तरह एक्विट किया है। लॉ डिपार्टमेंट ने इसको अच्छी तरह से एग्ज़ामिन कर लिया कि whether it is fit case for appeal or not जब लॉ डिपार्टमेंट ने इस तरह की राय दे दी है तो केवल हेरेसमेंट करने के लिए ही यह होता कि हम अपील में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते। That should not be our tittitude हमको विन्डिक्टिव नहीं होना चाहिये। जितना प्रोसीक्यूशन के लिए बैस्ट मेन को एन्गेज करना चाहिये था वह किया और बावजूद तमाम बातों के यदि कोई लेकुना लीगली रह गया हो जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज ने उसको एक्विट किया हो और उसके खिलाफ एविडेन्स इतनी ही नहीं,सभी सर्कम्स्टान्सेज़में जब कि डाइरेक्ट एविडेन्स है नहीं जैसा कि कहा था कि जो एप्रूवर बनने आया वह होटल में मर गया। उसके मरने से सरकार का ताल्लुक नहीं है। जो कमी रह गई वह पूरी नहीं हो सकी। ऐसी सूरत में जब कि लॉ डिपार्टमेंट कहता है कि अपील के लिए कोई चान्सेज नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कि सत्संगी और दूबे को हैरेस किया जाय, यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लॉ डिपार्टमेंट में एग्ज़ामिन करके लॉ सेक्रेटरी ने यह राय ली है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, रजयपुर): लॉ डिपार्टमेंट ने कब एग्ज़ामिन किया, बता सकते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी बता देता हूं। आपको तारीख ही चाहिये १३.११ ५९ को एग्ज़ामिन किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडवोकेट जनरल की राय ली गई थी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऑर्डिनेरिली लॉ सेक्रेटरी एग्ज़ामिन करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): इनके अगेन्स्ट में यही एक केस था या और भी केस हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो कट मोशन है उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ, और केसेज़ इनके खिलाफ हैं या नहीं, ज्यादा अच्छा हो सवाल पूछ कर इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें।

श्री श्रीभानसिंह : बजट में रेज़ कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : बजट के समय इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता, इर्रिलेवेन्ट बातों का जवाब देकर।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : यह इर्रिलेवेन्ट बात नहीं है, सत्संगी को पे दी जाय या नहीं यह भी एक मुद्दा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Satsangi was suspended only in this case. और कोई केस नहीं था। इसके फैसले के बाद उनको रीइन्सटेट किया गया। उस पीरियड की तनख्वाह दी जा रही है, यह जान-

Page No.92

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कारी दे रहा हूं। आपको जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके खिलाफ और केस नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैं अर्ज़ कर रहा हूं! अब रहा सवाल इस बात का कि अदालत से एक्विट हो गये तो हो गये होंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कम्पलसरी रिटायरमेंट क्यों नहीं कर दिया ! मैं अर्ज करता हूं कि सर्विसेज के लिए प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें आॅरबीट्रेरी पॉवर नहीं चलती है। खवास बालाबख्श वाली बात नहीं है कि बरखवास्त कर दिया तो बरखवास्त कर दिया, रिटायर कर दिया तो रिटायर कर दिया....

श्री शंकरलाल (रायपुर) : बालाबख्श?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एक मशहूर कहावत है, मैं आपको समझा दूंगा। अब डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कायदे कानून बने हुए हैं। कम्पलसरी रिटायरमेंट के लिए भी रूल्स बने हुए हैं, यह केस उसमें आता है या नहीं, जहां तक इसका सम्बन्ध है कोर्ट ने आॅनरेबली एक्विट किया है, कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बेनिफिट आॅफ डाउट दिया जाता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सस्पेन्शन पीरियड में गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन रहता है। मैं आपको बताऊं कि वह डिस्क्रीशन जुडिशियलवे में किया जाता है, आॅरबीट्रेरी वे में नहीं कर सकते। उसमें फैक्टस और फाइंडिंग्स को देखना पड़ता है, कोर्ट की फाइडिंग है benefit of doubt should go to the accused. यदि कोई केस बहुत डाउटफुल हो then of course we will exercise our discretion against the Officir. उस डाउटफुल केस में व्यक्ति छूट जाता है तो डिपार्टमेंटले कराई जाती है। उसके खिलाफ चार्जेज हों then ofcdurse We shall procud cagainst him. मगर जब डाउट का एडवान्टेज न देकर आॅनरेबली एक्विट होता है, सेशन जज़ और लॉ डिपार्टमेंट कहता है there is no case for appeal. मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के लिए आॅर्बिट्रेरी एक्शन लेने का रास्ता रहता है, सरकार को जुडिशियल डिस्क्रीशन का रास्ता रहता है। सरकार को जुडिशियल डिस्क्रीशन का रास्ता लेना पड़ता है और वह यह है: if a man is acquitted by a Court of law, we cannot substitute that decision by our decision and say that they have acquitted him wrongly and he is guilty. That should not be done and is not done. I think it would be a bad precedent और सर्विसेज़ के लिए भी जस्टिस नहीं करेंगे यदि हम उनके प्रति ऐसा रुख अपनायें। तो मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे जजमेंट को देखें, फैक्टस को देखें, एविडेन्स को देखें। उसके बाद यह देखें कि क्या यह केस अपील करने लायक था या नहीं ? सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ इन्वेस्टीगेशन आॅफिसर के लिए बातें कहीं, वे ठीक हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन का चार्ज डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को दिया था, सब-इन्सपेक्टर को नहीं दिया था। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट एडवोकेट आॅफ हाई कोर्ट हैं he was prosecuting this case in the Sessions Court. वे क्रिमिनल लॉ के केसेज़ के अन्दर बहुत कॉम्पीटेन्ट माने जाते हैं हमारी स्टेट के अन्दर। उनको चार्ज दिया था। किसी लेवल पर भी इन्कॉ-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ग्पीटेंट ऑफिसर को नहीं दिया है। अब अगर एविडेन्स नहीं मिलती हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन एडवोकेट ने कोई राय नहीं दी है। कह दीजिये उनकी राय के लिए। श्री विमलाचरण चटर्जी की राय है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे चटर्जी की राय का नहीं मालूम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी राय है, फाइल में देख लेना।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा दूसरा पोइन्ट माननीय सदस्य ने कहा तहसील री-ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि तहसीलों का री-ऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए, जितनी तहसीलें कम करनी चाहिए, उतनी कर देनी चाहिए। बार बार इसका हवाला आता है। मैंने कहा था कि एक कमेटी बना रखी है। यह ठीक है कि कमेटी बनी थी कि किस तरह तहसीलों का सब डिविजन्स का डिस्ट्रिक्ट्स का री-ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जिस स्थिति में राजस्थान बना उस समय जितने छोटे और बड़े तहसील और सब-डिविजन्स बने, बनाये गये। मगर एक रेशनल बेसिस को गवर्नमेंट ने स्वीकार किया और एक कमेटी का गठन किया है। उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी हैं। वह सरकार के विचाराधीन है। उसमें न पोलिटिकल प्रेशर है और न पोलिटिकल कन्सीडरेशन इनवोल्व्ड है। उनका पुनर्गठन एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे को ध्यान में रख कर किया जायेगा और किस तरह तहसील और सब-डिविजन, डिस्ट्रिक्ट को कम करना है इसमें पब्लिक कन्वीनियेन्स को भी देखना पड़ेगा। यह नहीं कि पब्लिक कन्वीनियेन्स को न देखें और एडमिनिस्ट्रेटिव expediency को देखें। Above all public interest will ofcourse govern this issue, whether this tehsil should be abolished or that. इसलिए उसमें कोई देर नहीं लगाई जा रही है। यह जरूर है कि २१० तहसीलें हैं, इतने सब-डिविज़न्स हैं, इन तमाम का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इनको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। जो कमेटी एक्सपर्टस की थी उसने राय दे दी और बहुत जल्दी ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसको एग्ज़ामिन कर लेंगे। इस तरह ज्यों ही फैसला कर लेंगे आपके सामने पेश कर दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि देसूरी और पाली में ऐसे गांव हैं जो देसूरी के पास पड़ते हैं और पाली में हैं। आप अगर राजस्थान के नक्शे को उठा कर देखेंगे तो कोई न कोई गांव मिलेगा जो एक से पास पड़ता है और दूसरे से दूर पड़ता है। इसलिए यह कोई दलील नहीं है। जो ऐसे गांव हैं, जिनका माइनर एडजस्टमेंट करना पड़ता है वह करते हैं। ऐसे कई सजेशन दिये हैं जो पब्लिक के लिए इनकन्वीनियेन्ट होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में फिट इन हो सकते हैं। हम खुद इसको करने को तैयार हैं। लेकिन यह रूल नहीं बनाया जा सकता है कि जो गांव जिस तहसील के पास है, बहुत से गांव बाउन्डरी के हैं जो एक तहसील के नजदीक हैं लेकिन जिसमें वे हैं वह दूर होगी। इसलिए यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोई दलील नहीं है। मैंने कहा कि तहसील, सब डिविजन के पुनर्गठन के लिए जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला हो जायेगा।

इसी तरह इकॉनोमी कट के लिए कहा। तहसील में जो १५ लाख की इकोनामी कट करना था वह नहीं हो सकी। इसका कारण है कि कमेटी की रिपोर्ट देर से आई, उसके एग्ज़ामिनेशन में देरी हुई उसको हेप हेजर्ड वे में तो कर नहीं सकते थे—२० तहसील तोड़ दें और ६ बना दें। मैं समझता हूँ कि यह सब रेशनल बेसिस पर करना पड़ेगा। जिन माननीय सदस्य ने कहा, हमने ६ हजार की तहसील को तोड़ दिया है और उनको सूचना दे दी है, वह एबोलिश्ड थी। ऐसे केसेज तहसीलों के हैं जिनको एबोलिश कर दिया है। एक प्रिन्सिपल पर कार्य करना है। लैंड रेवेन्यू, पब्लिक कन्वीनियेन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फिटनेश, एज आई टोल्ड यू, इन सब पर विचार करना है। उसमें पोलिटिकल कन्सीडरेशन नहीं आ सकते हैं और न पोलिटिकल प्रेशर आ सकते हैं। इस तरह से यह जो इकॉनोमी कट इफेक्ट नहीं हुई उसकी वजह मैंने आपको बताई।

इसी तरह से देवस्थान डिपाटमेंट में एक लाख, ४० हजार की कट करनी थी। इस हाउस ने एक विधेयक पास कर दिया ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आदि उसके प्रोविजन्स के अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए इकॉनोमी कट को मीट आउट नहीं कर सके, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। उस डिपार्टमेंट के लिए एडीशनल ग्रान्ट लेने के लिए स्टेज तब आयेगी। जब उस ट्रस्ट एक्ट के तहत रूल्स बना कर उनको इम्पलीमेंट करेंगे। इसमें कट शोर्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता।

ये दो पोइन्टस हैं। जिन पर माननीय सदस्यों ने कट मोशन पेश किये थे। इनके लिए मैंने अर्ज कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब उनको संतोष हुआ होगा और वे अपने कट मोशन वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Not withdrawing.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती की प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७५, मुख्य-शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६, २०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६–भू राजस्व

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं" कि "अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ७–भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६, ६१, ००० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी, बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक७-भू-राजस्व के सम्बन्ध में १६, ६१, ००० रुपये की धनराशि के सम्बन्ध में जो अनुपूरक अनुदान की मांग माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखी है उसमें मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं:

(अ)"मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक७-भू-राजस्व में १००) रु० की कटौती की जावे (कानूनी सलाहकारों के पद कायम करने के विषय में विचार करने हेतु)

(ब)"मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ७–भू-राजस्व में १) रु० की कटौती की जावे (लम्बरदारों को बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

एक कटौती प्रस्ताव इस मांग के भाग ५ के सम्बन्ध में है। इसमें १७६ हजार रुपये की मांग के विषय में है। तो मैं इस सम्बन्ध में बोलूं पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसका टोटल १७६ हजार नहीं बैठता....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को यह सूचना दूं कि ४ बजे मुलबन्ध का प्रयोग होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जैसा कि लिखा है :

१,७६,००० रु० की मांग जो रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया को बॉन्ड्स जारी करने के प्रबन्ध के लिये ८०,००० हजार रु० के भुगतान, १,३०,००० रु० की मितव्यय कटौती अंशतः कार्यान्वित न होने, एसिस्टेन्ट कलेक्टर्स ३, कानूनी सलाहकार ६ के अतिरिक्त पद कायम करने तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यय चुकाने के लिये अपेक्षित है।"

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेरा कटौती प्रस्ताव कानूनी सलाहकारों के सम्बन्ध में है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : आप यही समझना चाहते हैं तो मैं समझा दूं। आप तशरीफ रखिये ताकि आपको आसानी रहेगी। अर्ज करना यह है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जिस वक्त यहां बना था तो विलेज सर्विसेज़, नम्बरदार, चौकीदार और गांव बलाई थे उनके लिए यह प्रोविजन रखा था कि गवर्नमेंट इन पर कोई सेस लगायेगी और वह सेस किसानों से वसूल की जावेगी, उस सेस के जरिये नम्बरदारों वगैरह को पेमेंट किया जायेगा, यह प्रोविजन लैंड रेवेन्यू एक्ट में है। इसके बाद सदन में ५ प्रतिशत सेस लगाने की बात हुई तो माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया और एक तरह का यूनाइटेड अपोजिशन सा महसूस हुआ था। चुनांचे गवर्नमेंट ने उसे रोक रखा है और अगर आवश्यकता हुई, तो गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि नम्बरदारों के इन्स्टिट्यूशन को एबोलिश करना है। कब करना है, कैसे करना है इसके लिये गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर कर रखी है जो गवर्नमेंट को यह भी सिफारिश करेगी कि क्या सब्स्टिट्यूट इसके लिये हो सकता है, वह सब्स्टिट्यूट देगी। चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड की चेयरमैनशिप में वह कमेटी काम कर रही है। तो फिलहाल जो नम्बरदार वगैरह का इन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसको तो कुछ न कुछ मिलना चाहिये, पेमेंट होना चाहिये।

दूसरा है "Reserve Bank of India on account of management of issue of bonds." यह तो समझ रहे हैं ?

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : ४ बजे तक समझाते रहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : Then Assistant Collectors 3, Legal Advisers 6. इसके लिये अर्ज करना चाहता हूं कि जमीदारी एबोलिशन हुआ तो गंगानगर, भरतपुर और अलवर में जमींदारी ज्यादा है, उनके लिये ३ कलेक्टरों को रखा, जमीदारी एक्ट में प्रोविजन है। Assistant Collectors (Zamindari) will be entitled to take certain actions under that Act.

इसलिए उनका एपोइन्टमेंट हुआ था वह इसके लिए है।

६ लीगल एडवाइज़र्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम के लिहाज से लीगल एड्वाइजर्स हैं, वहां जितना जितना जागीरी एबोलिशन का काम है, उस काम के लिहाज से उतने लीगल एड्वाइजर्स गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर रखे हैं। वे लीगल एड्वाइज़र्स जागीरदारों के मुआवजे के क्लेम्स को एग्जामिन करते हैं और गवर्नमेंट के इन्ट्रेस्ट को वाच करते हैं, क्लेम्स में एतराजात और ऑब्जेक्शन्स पेश करते हैं। ये सारे लीगल एड्वाइजर्स अलग अलग जिलों में हैं, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर अभी जयपुर के साथ लगा है, सीकर-झुंझुनू एक है। बीकानेर डिविजन में तीन डिस्ट्रिक्ट्स में मिला कर एक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ३ हैं, उदयपुर डिविजन में ३ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): क्या ये ६ लीगल एड्वाइज़र्स जमीदारी एबोलिशन के नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी; कतई नहीं। जागीरी एबोलिशन के केसेज़ में अपना व्यू पोइन्ट पेश करने के लिये एडवोकेटस हैं। अगर आप चाहें तो आपको अलग अलग डिटेल्स दे सकता हूं कि किस एडवोकेट ने कितना कितना काम किया है और इनके प्रयासों से गवर्नमेंट को इकॉनोमी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये एपोइन्ट करने हैं या एपोइन्ट हो चुके हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये तो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ६ एडवोकेट्स हैं जो लास्ट इयर के बाद में बढ़े हैं, उनकी एडीशनल मंजूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : २ कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण किया। जहां तक नम्बरदारी प्रथा का सम्बन्ध है प्रश्नोत्तर काल में और नीति के आधार पर इस बारे में आश्वासन दिया था कि पंचायत समितियां और पंचायतों के निर्माण के कारण राजस्व इनसे यानी इनके द्वारा वसूल करेंगे, इसी प्रकार का आश्वासन राज्यपाल महोदय के भाषण में भी मिला है। यह नम्बरदारी प्रथा बिल्कुल बेकार है जब कि हम किसी प्रकार की इन्टरमीडियरीज़ को नहीं रखना चाहते तो इस प्रकार की प्रथा रखना बेकार है। इसको हटाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र कानून पास करना चाहिये।

दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतनी ही कहना चाहूंगा कि कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के बारे में एडीशनल पोस्टस क्रियेट कर दी हैं। जो काम कर रहे हैं इस सम्बन्ध में रूल्स बना दें तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार की पिक्यूलियर पोस्ट्स पर जो लोग कानून जानते नहीं, जिनके बारे में एडवर्स ओपीनियन कोर्ट्स की कई बार आ चुकी हैं, यदि मंत्री महोदय चाहें तो सारे स्टेटिस्टिक्स मैं पेश करने को तैयार हूं, पर समय नहीं है। इतना ही कहूंगा कि जो लोग किसी भी प्रकार का फायदा सरकार को पहुंचा नहीं सकते ऐसे लोगों को आप कानूनी सलाहकार मुकर्रर करते हैं। इनको मुकर्रर करने के लिये न कोई रूल्स हैं और न कोई क्राइटेरिया ही रखा गया है....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I want to inform the Hon'ble Member that there is a criteria and rules laid down by the Law Department as to who will be eligible for appointment, "An Advocate with seven years experience" and all that.

तो यह बात नहीं है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, रूल्स नहीं हैं। इस बेसिस पर कलेक्टर्स से रिकमन्डेशन्स मंगवा कर इनके एपोइन्टमेन्ट्स किये जाते हैं।

(४ म.प.)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज़!! मैं मुखबन्ध का प्रयोग करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मांग संख्य ६६ पर मेरे १२ नम्बर के (लम्बरदारों को बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में)

Page No.98

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६६ पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के १२ नम्बर के कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की उन्हें आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना १२ नं० का कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६६ पर कटौती प्रस्ताव नम्बर ११ जो श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ७ भू–राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,६१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई।

शेष अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मुख बन्ध

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७०–राज्य आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७०, मुख्य शीर्षक ८–राज्य आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७० स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७१–स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७१, मुख्य शीर्षक ६–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७१ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७२–वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७२, मुख्य शीर्षक १०–वन के

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७३–वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७३, मुख्य शीर्षक १२–वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७४–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७६–कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७६ मुख्य शीर्षक २८ कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७७–पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७७, मुख्य शीर्षक २९ पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,११,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७७ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७९–शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ७९ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त

Page No.100

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८०–चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८०, मुख्य शीर्षक ३८ चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८० स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८१–जन स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८१, मुख्य शीर्षक ३९ जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२,६२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८१ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८२–पशु पालन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८२, मुख्य शीर्षक ४१ पशुपालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,४०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८२ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८३–सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८३, मुख्य शीर्षक ४२ सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८३ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८४–उद्योग तथा प्रदाय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८४, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग तथा प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

१,०००रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८४ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८५–विविध विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८५, मुख्य शीर्षक ४७–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,-५५,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८५ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८६–नागरिक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,६७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनदान की मांग संख्या ८६– नागरिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औज़ार और स्थिर संयत्र पर व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,६०,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८७–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८७, मुख्य शीर्षक ५४ का–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८७ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८८–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृति वेतन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक ५५–अधि-

(श्री उपाध्यक्ष)

वार्षिक भित्ते और निवृत्ति के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८८ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८८-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशिदान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८८ मुख्य शीर्षक ५५ का-साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशिदान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८८ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८६-विविध

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक ५७—विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६०-असाधारण व्यय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,४३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६० स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६१-सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ६३ ख—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३०,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६१ स्वीकार की गई ।

Page No.103

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२- सिंचन, नौचालन इत्यादि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल विकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६२ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६३- जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ७०-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,३३,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६४-कृषि उन्नति अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत"

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ७१-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,७८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६४ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनदान की मांग संख्या ६५-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६५ मुख्य शीर्षक ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष मे किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२- बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६२मुख्य शीर्षक ८०का-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६२ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६-राजस्व लेखे से बाहर के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ८२ खा-राजस्व लेखे से बाहर के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३८,००,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६६ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६७-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६७, मुख्य शीर्षक ८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८२,०००रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६७ स्वीकार की गई ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६८-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ६८, मुख्य शीर्षक ता- राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६८ स्वीकार की गई ।

४. १२, म० प०

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६०

(पुरः स्थापन विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६० को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुए दो तीन बातों की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order,

Page No.105

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Sir, the Bill that has been put before the House makes a provision for Rs. 15,18,16,000/- to be paid out of the Consolidated Fund. But the Supplementary Grants that the House has just voted, their total comes to Rs. 15,16,13,000/- only. So there is a difference. Particularly, I would draw the attention of the Chair to the item with regard to Pashu Palan Vibhag, (पशु पालन विभाग) where we have voted for only Rs. 40,000/- though in the written list, the amount is Rs. 5,40,000/-. This can be verified from the proceedings. I don't know that can be a slip of tongue also, but the House has voted only for Rs. 40,000/-.

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that I have only said Rs. 40,000/- and not 5,40,000/- ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : That means the onus is on me. I maintain that I have correctly read it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is in the proceedings, Sir. ?

श्री उपाध्यक्ष : The proceedings must contain what I have read.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : My contention is that you have not read it.

श्री उपाध्यक्ष : I over-rule it. I have correctly read it. Mr. Chaudhary, you mean......

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): I will be very brief, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : No, but are we not making a departure from the convention ?

श्री पी. के. चौधरी : We always speak on the Appropriation Bill.

श्री उपाध्यक्ष : Not at the introduction stage.

प्रश्न यह है कि विधेयक को आज्ञा दी जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): काय की ?

श्री उपाध्यक्ष : पुरः स्थापित करने की।
जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग(संख्या १) विधेयक १९६० को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

Page No.106

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन दो बातों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि फाइनेन्शियल बिल को इयर के लास्ट मंथ में लाकर एप्रोप्रियेशन कराया जाता है, which is to the tune of 15 crores of rupees.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ३६ करोड़ रुपयों का रेवेन्यु बजट था और केपिटल बजट २५ करोड़ का था। आज हम एप्रोप्रियेशन की डिमान्ड लेकर आते हैं, रेवेन्यु और केपिटल बजट है, उसकी २४ पर्सेंट होती है। रेवेन्यु हैड में डिमान्ड किया है २ करोड़, ७८ लाख। लगभग ३ करोड़ रुपयों की रेवेन्यु बजट में हमारी सप्लीमेन्टरी डिमान्ड है। लगभग ८ पर्सेन्ट ओरिजिनल बजट का है। केपिटल बजट में ११ करोड़ की डिमान्ड है, उसमें १० करोड़ के ओवर ड्राफ्ट बैंक से गवर्नमेंटने ड्रॉ किये हैं। एक्चुअली जो बैंकसे ओवर ड्रॉफ्ट किया है वे डेट्स में आते हैं, केपिटल हैड में आते हैं। इसका एक्सपेन्डीचर रेवेन्यु अकाउन्ट में नहीं हुआ है यह बात नहीं है। इसको भी रेवेन्यु अकाउन्ट में मान कर चलते हैं तो ३८ लाख का इन्क्रीज़ बजट में होता है। मैं समझता हूं, यह प्रोपर बजेटिंग का तरीका नहीं है। सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं कि ओरिजिनल बजट के समय भी उनको विज्युलाइज़ किया जा सकता है। जैसे यूनिफाइड पे स्केल्स रेशनल पे स्केल्स में फिक्सेशन, ३१ लाख की डिमान्ड है। अलग अलग डिमान्ड्स मिला कर 31 lac rupees are now demanded for fixation in unified and rationalised pay scales. यह डिमान्ड मेरे ख्याल से ओरीजनल बजट बनाया था उस वक्त विज्युलाइज़ कर सकते थे। पेन्शन पर १० लाख की डिमान्ड है। पेन्शन केसेज़ का एन्टीसिपेशन तो साल के शुरू में ही लगा लेना चाहिये था। These are certain salient features. मैं यह बता रहा हूं कि उस समय इसको विज्युलाइज़ कर लेना चाहिये था। १० लाख इन्ट्रेस्ट का है, बजट को बनाने का यह नहीं होता है। कितना इन्ट्रेस्ट ड्यू होता है उसका नक्शा हमारे सामने साफ है।

अब जैसा कि दस लाख रुपये का इन्टरेस्ट चार्ज है जो पे करना है वह भी बजट एस्टीमेट में शामिल नहीं किया गया है उसके लिये भी सप्लीमेंटरी डिमान्ड लायी जाती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे बजट प्रोपोजल्स हों वे जब ओरीजिनल बनते हैं उसी समय तो ध्यान नहीं रहता उस समय तो सरप्लस बजट पेश करने का ध्यान रहता है। आप दस बारह लाख का नहीं बल्कि १५ करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमान्ड रख रहे हैं। दस करोड़ केपिटल अकाउन्ट में मानते हैं जो ओवर ड्राफ्ट बैंक्स के द्वारा किया है for the transactions of the State with the Bank. सारा का सारा केपिटल असेट के खिलाफ किया गया है। मैं इस बारे में इतनी ही सलाह देना चाहता हूँ कि बजट एस्टीमेट सदन के सामने पेश किये जांय उसमें सप्लीमेंटरी डिमान्ड की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये। आप तो वर्ष के अन्त में १५ करोड़ की डिमान्ड

(श्री पी० के० चौधरी)

लेकर आते हैं। Our budgeting should be more accurate and more exact. यदि इस तरह से बजट पेश किया जाता है तो हमको यह पता चल सकता है कि फाइ-नेन्शियल पोज़ीशन क्या है, उसका अन्दाज लग जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६० पर अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कुछ सुझाव दिये मैं समझता हूं वे वित्त मंत्री महोदय ने कागज पर तो जरूर लिख लिये होंगे। यद्यपि मैं वित्त मंत्री महोदय की बहुत इज्जत करता हूं वे बुजुर्ग हैं लेकिन एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि वित्त के मामलों में आप अधिक समझें या न समझें लेकिन समझने का प्रयास तो करना ही चाहिये। कारण कि राजस्थान का प्रशासन आज किस ओर जा रहा है उसके संबन्ध में बहुत सी बातें कहीं जाती हैं उन सब का असर अगर वित्त मंत्री महोदय पर नहीं पड़ता है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे विभागों को....

श्री उपाध्यक्ष : बाद में भी ये बातें रख सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूरी इसलिये है कि वित्त मंत्री द्वारा विधेयक पेश हुआ है उस पर जनरल डिबेट के समय यह रखा जा सकता है। सदन की भावना किस तरफ है विभागों के संबन्ध में? उदाहरण के तौर पर पुलिस विभाग को ले लीजिये इसके लिये एक सप्लीमेंटरी ग्रान्ट आप से ली जाती है घर में चार बच्चे हैं उस परिवार का बड़ा आदमी होने के नाते यह देखना उनका फर्ज है कि कौन लड़का सपूत है, कौन बुरा काम करता है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप विषय पर ही बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को वही निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्हें इन सब बातों की जानकारी रखनी चाहिये।

राजस्थान के जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं उनका उन सभी विभागों पर कन्ट्रोल है। उनको देखना चाहिये कि किन किन विभागों में घोटाला है....

श्री उपाध्यक्ष : I will again request the Honble Member please to speak to the question itself. It does not come within the scope of the Bill.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि वे बजट के बारे में जरा ज़्यादा सावधानी रखें। राजस्थान की करोड़ों रुपयों की संपत्ति उनके हाथों में है। सप्लीमेंन्टरी डिमान्डस रखने के पहले उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कहीं मिस केलकुलेशन तो नहीं हो रहा है। आयन्दा मैं उनसे आशा करता हूं कि इतनी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में रकम नहीं मांगी जायेगी। यह १५ करोड़ रुपये की मांग है वह सारे बजट का २४ प्रतिशत है यह कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अच्छी चीज़ नहीं है । भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और ज्यादा सावधानी बरतेंगे इस प्रकार के निर्णय के बारे में । इतना ही मेरा इस विधेयक के संबन्ध में निवेदन है ।

(गणपूरक घंटी)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ; This reflects seriously on the Finance Minister.

श्री उपाध्यक्ष : Can I include myself in the quorum ?

एक माननीय सदस्य : Yes Sir.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मैंने विचारार्थ प्रस्तुत किया है उस पर दो माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं और ध्यान दिलाया और कहा कि वित्त मंत्री को सावधानी से बजट बनाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इसको तो मैं इर्रिलेवेन्ट करार दे चुका हूं, उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (जारी) : दोनों माननीय सदस्यों की ओर से कुछ आपत्ति उठायी गई और कहा गया कि यह १५ करोड़ रुपया जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के तौर पर मांगा गया है वह ठीक नहीं है । मेरा उनसे निवेदन है कि जो इसके साथ मैमोरेन्डम दिया गया है उसके तीसरे पेज को वे देख लेते तो उसमें जो बताया गया है करीब १२॥ करोड़ रुपया वह कर्जे की रकम नहीं है । उसमें से १० करोड़ का ओवर ड्राफ्ट है । १.५० गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया का है, ६२ लाख रुपया Adjustment of Amount under Suspense Account.

इस प्रकार से यह रकम फैली हुई है । रेवेन्यू में दो ढ़ाई करोड़ का खर्चा नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): रेवेन्यू का कितना ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाकी जो जो रहा वह रेवेन्यू के बारे में मानना चाहिये । हर एक की डिटेल्स दी हुई हैं । आप डिटेल्स पढ़ लेते तो वित्त मंत्री को उत्तर देने का कष्ट न करना पड़ता । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने सावधानी बरतने को कहा उसके लिये मैं निवेदन कर दूं हम सब सावधान हैं । इस प्रकार जो शंका प्रगट की गई है मैंने उसका समाधान कर दिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : ओवर ड्राफ्ट का पैसा कैसे खर्च किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसका लेखा-जोखा है, उसे आप देख सकते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : सत्संगी साहब को स्वीकृति आपने ही पेमेन्ट की दी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वित्त मंत्री का काम है यह देखने का कि रुपये का सदुपयोग हुआ है या नहीं। रुपया किस

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

व्यक्ति के लिये खर्च किया जाता है, उससे उसका संबन्ध नहीं है। अगर उनको देना गवर्नमेंन्ट ने मन्जूर किया है, जो कानूनी तौर पर मुस्तहक है तो उसे वित्त मंत्री रोक नहीं सकता।

श्री पी० के० चौधरी : वित्त मंत्री का function is to control the expenditure of Finances...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह देखता है कि रुपया विधिवत् खर्च होता है या नहीं, उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओवर ड्राफ्ट....

श्री उपाध्यक्ष : दा साहब सदन में अधिक नहीं आते हैं इसलिये सदस्यों की तमन्ना रहती है उनको सुनने की।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६०, को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९६०, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ३० मिनट पर दिनांक ९ मार्च १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ८ मार्च, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९, में गेम्बलिंग रिंग स्टाल।	१८६२	नीज़रण, तहसील लालसोट, में सहकारी समिति को प्रदत्त जमीन का दूसरे लोगों को दिया जाना।	
उनियारा गर्ल्स स्कूल में ट्रेन्ड अध्यापिका की व्यवस्था।		झालावाड़ जिले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में परिगणित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति।	
तहसील नोहर व भादरा में गलत गिरदावरी।		सेन्ट्रल स्टोर डिविजन, जयपुर, के कर्मचारियों को अवकाश।	
झुंझुनू में मेहतर कॉलोनी बसाने हेतु ऋण।		२५०) रु० मासिक से कम आय वाले पेन्शनयाफ्ता व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।	
लालसोट में बिजली उपलब्ध कराने में प्रगति।		बिस्वेदारियों का मुआवजा शीघ्र दिलवाना।	
डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल्स की पंचायत समितियों में हुई नियुक्तियां।		बीकानेर में उप-राष्ट्रपति के आगमन पर छात्रों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के कारणों की निष्पक्ष जांच।	
प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत चलने वाले उद्योग।		आठ हाथ करघा निरीक्षकों को रिवर्ट कर उनके स्थान पर नये निरीक्षकों की नियुक्ति।	
पंचायत समितियों द्वारा कृषकों को तकावी।		भीलवाड़ा में हुए भारत सेवक समाज के अधिवेशन में बिजली के मीटर का रीडिंग।	
तहसील कोटपुतली में विकास खण्ड की स्थापना।			
कोटपुतली से कल्याणपुरा सुवाड़ा तक सड़क निर्माण।			

Page No.111

स्कम्भ स्कम्भ

आयरन और स्टील की आयात अनुज्ञप्तियां (licenses).

द्वितीय पंच वर्षीय योजनानुसार जिलों में खर्च हुई धनराशि ।

बंगाली शरणार्थी कॉलोनी घट्टी तथा परानिया में बंगाली परिवारों को आर्थिक सहायता ।

पंचायत समिति अलसीसर को पीने के पानी की योजना के लिये विशेष सहायता ।

पाली तहसील के जागीरदारों को दिया गया मुआवजा ।

दिल्ली की विश्व कृषि प्रदर्शनी में राजस्थान मंडप।

बीकानेर में नत्थूसर दरवाजे के बाहर बने जल भन्डार का टूटना ।

उप-संचालक हाथ करघा की पोस्ट पर नॉन-टेक्निकल व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाना ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त के आदेश से सरप्लस घोषित कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति ।

कामा पहाड़ी रोड की मरम्मत ।

पंचायत समितियों में शैडो ब्लॉक्स ।

कक्रू, तहसील नोखा, में खाली प्लॉट भूमिहीन हरिजनों को देना ।

काय सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १६२८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९-६० (द्वितीय खंड) के विवरण की प्रस्तुति

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपमंत्री, वित्त विभाग ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९५९-६० (द्वितीय खंड), के विवरण को प्रस्तुत किया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान.

१. मांग संख्या ७८, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग १६३०

यह मांग श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर ६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। उद्योग मंत्री के उत्तर के पश्चात् दो कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत, हुए तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

२. मांग संख्या ७५, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन १६६२

यह मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई, जिस पर ३ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् एक कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया गया था शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

३. मांग संख्या ६६, मुख्य शीर्षक ७-भू-राजस्व २०५०

यह मांग श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर २ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् एक कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया गया तथा १ अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

तदुपरान्त निम्नांकित मांगें मुखबन्द (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा स्वीकार की गई :—

क. सं.	मां. सं.	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१.	७०	८-राज्य आबकारी कर।
२.	७१	६-स्टाम्प्स।
३.	७२	१०-वन।
४.	७३	१२-वाहनों पर कर।
५.	७४	१२-का-बिक्री कर।
६.	७६	२८-कारागार।
७.	७७	२६-पुलिस।
८.	७६	३७-शिक्षा।
६.	८०	३८-चिकित्सा।
१०.	८१	३६-जन-स्वास्थ्य।

स्कम्भ स्कम्भ

११. ८२ ४१—पशुधन ।

१२. ८३ ४२—सहकारिता ।

१३. ८४ ४३—उद्योग तथा प्रदाय ।

१४. ८५ ४७—विविध विभाग ।

१५. ८६ ५०—नागरिक निर्माण कार्य ।

१६. ८६ ५०—नागरिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिति संयत पर व्यय ।

१७. ८७ ५४—का-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन ।

१८. ८८ ५५—अधिवार्षिक भत्ते और निवृत्ति वेतन ।

१९. ८८ ५५—का-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन ।

२०. ८९ ५७—विविध ।

२१. ९० ६३—असाधारण व्यय ।

२२. ९१ ६३—ख- सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ।

२३. ९२ ६८—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) ।

२४. ९३ ७०—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत ।

२५. ९४ ७१—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत ।

२६. ९५ ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत ।

२७. ९२ ८०—का-बहु प्रयोजन नदी- योजनाओं पर पूंजी की लागत ।

२८. ९६. ८२—ख-राजस्व लेखे से बाहर के अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ।

Page No.114

स्कम्भ

२६. ६७ ८३—निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान ।

३०. ६८ ता– राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम ।

उपरोक्त मांगों के मतदान के पश्चात् श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने सभा की आज्ञा

स्कम्भ

प्राप्त करके राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १६६० को पुर : स्थापित किया। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर उसको सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

बुधवार, दिनांक ६ मार्च, १६६० की कार्य-सूची

आय व्ययक १६६०–६१ का उपस्थापन

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७८ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम		चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुपात के अनुसार हैं या नहीं
१	२		३	४	५
१.	कार्यालय जिलाधीश, झालावाड़ लैंडरैकार्ड्स इलैक्शन, जागीर तथा रेकार्ड्स—		१६	२	हां
२.	स. अभियन्ता सिंचाई, झालावाड़		२	०	,,
३.	कॉटन इन्सपेक्ट्री	,,	३	२	,,
४.	हैडमास्टर हाई स्कूल	,,	५	१	,,
५.	डि० कृषि विभाग	,,	१०	५	,,
६.	डि० उद्योग विभाग—११	,,	२	२	,,
७.	पंचायत समिति सुनेल	,,	११	१	,,
८.	वन विभाग	,,	१००	३१	,,
९.	पंचायत समिति खानपुर	,,	१२	४	,,
१०.	डि० पशु चिकित्सालय	,,	२१	१०	,,
११.	राजकीय डिग्री कॉलेज	,,	१०	२	,,
१२.	पंचायत समिति डग	,,	७	२	,,
१३.	तहसील गंगधार	,,	२७	६	,,
१४.	,, डग	,,	३०	२	नहीं

१	२		३	४	५
१५.	सब तहसील सुनेल	,,	७	०	हां
१६.	तहसील पिडावा	,,	३८	०	नहीं
१७.	,, खानपुर	,,	४८	३	नहीं
१८.	कार्यालय उपजिलाधीश	,,	३	१	हां
१९.	जनसम्पर्क अधिकारी	,,	२	०	,,
२०.	पंचायत समिति बकानी	,,	११	३	,,
२१.	तहसील बकानी	,,	३४	५	,,
२२.	रजिस्ट्रार सहकारी समिति	,,	६	२	,,
२३.	सहायक आयुक्त मादक एवं कर विभाग	झालावाड़	४४	८	,,
२४.	निरीक्षण उपवन विभाग	,,	१४	४	,,
२५.	मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी अकलेरा	,,	११	३	,,
२६.	तहसील अकलेरा	,,	३४	८	,,
२७.	कार्यालय उपजिलाधीश	,,	५	०	,,
२८.	रिकवरी ऑफिस	,,	३	०	,,
२९.	उच्च कन्या पाठशाला	,,	५	१	,,
३०.	सब तहसील असनावर	,,	१५	१	,,
३१.	ट्रेज़री ऑफिस	,,	४	०	,,
३२.	सुप० ऑफ पुलिस	,,	१६	५	,,
३३.	निरीक्षक शिक्षा विभाग	,,	७१	११	,,
३४.	तहसील पचपहाड़	,,	३२	३	नहीं
३५.	पंचायत समिति मनोहर थाना	,,	१०	४	हां
३६.	सिविल जजी	,,	१३	४	,,

१	२		३	४	५
३७.	तहसील झालरापालटन	,,	२६	६	,,
३८.	तहसील मनोहरथाना	,,	३६	६	,,
३६.	सब-जेल	,,	१५	२	,,
४०.	स० अभियता (B&R)	,,	२	०	,,
४१.	पंचायत समिति झालरापाटन	,,	२२	०	नहीं
४२.	जिला परिषद्	,,	२	०	हां
४३.	मैडीकल विभाग	,,	८४	२६	,,
४४.	डि० ओपियम विभाग	,,	२३	५	,,
४५.	देवस्थान विभाग	,,	१	०	,,
४६.	विद्युत ,,	,,	४४	१२	,,
		(Including chowkidar and wireman)			
			६४३	१६६	

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २९७ का उत्तर देखिये)

अक्टूबर सन् १९५९ से मार्च ३१ सन् १९६० तक छाया खण्डों (शैडो ब्लॉक्स) के लिए स्वीकृत की गई धनराशि की सूची

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	धनराशि जो स्वीकृत की गई बजट में	स्थानीय विकास कार्यों के लिए	ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत	जोड़
१.	लूनकरणसर	१,२१,१४५	२,५००	५०,०००	१,७३,६४५
२.	बीकानेर	२,२१,७५५	२,५००	५०,०००	२,७४,२५५
३.	रतनगढ़	१,१२,६८०	१५,२५०	५०,०००	१,७७,९३०
४.	तारानगर	१,१०,४३०	१५,२५०	३०,०००	१,५५,६८०
५.	रतन नगर	१,२७,३१०	११,५००	३०,०००	१,६८,८१०
६.	सुजान गढ़	१,१८,८९०	१९,०००	३०,०००	१,६७,८९०
७.	मिर्जाला	१,५१,०५०	—	५,०००	१,५६,०५०

१	२	३	४	५	६
८.	नौहर	१,१४,५६०	—	५,०००	१,१९,५६०
९.	भादरा	१,१०,५५१	—	५,०००	१,१५,५५१
१०.	कठूमर	१,२६,००५	४,०००	५,०००	१,३५,००५
११.	रामगढ़	१,१०,८११	४,५००	५,०००	१,२०,३११
१२.	उमरेन	१,१२,३३०	५,५००	५,०००	१,२२,८३०
१३.	रेणी	१,०३,६९०	१,५००	५,०००	१,१०,१९०
१४.	बहरोर	१,३६,६०५	४,१००	५,०००	१,४५,७०५
१५.	नीमराणा	९१,०००	२,०००	५,०००	९७,०००
१६.	डीग	१,६४,४७०	२,०००	१०,०००	१,७६,४७०
१७.	कामा	१,२०,३००	२,०००	१०,०००	१,३२,३००
१८.	बयाना	१,२४,१४०	२,०००	१०,०००	१,३६,१४०
१९.	धौलपुर	१,४६,१३०	२,०००	१०,०००	१,५८,१३०
२०.	बारी	१,००,९४०	२,०००	१०,०००	१,१२,९४०
२१.	सेबार	१,६५,६०६	२,०००	६,०००	१,७३,६०६

१	२	३	४	५	६
२२.	मौजमाबाद	१,४७,८१६	—	५,०००	१,५२,८१६
२३.	आम्बेर	१,१४,६७०	—	५,०००	१,१६,६७०
२४.	जमवारामगढ़	१,५८,३५६	—	५,०००	१,६३,३५६
२५.	कोटपूतली	१,५३,५०४	—	१०,०००	१,६३,५०४
२६.	लालसोट	१,२६,१८२	—	५,०००	१,३४,१८२
२७.	दौसा	१,६५,६६८	—	५,०००	१,७०,६६८
२८.	चाकसू	१,२८,८७४	—	५,०००	१,३३,८७४
२९.	झुन्झुनू	१,४८,६७७	१५,०००	१०,०००	१,७३,६७७
३०.	अलसीसर	१,२४,६३०	६,२५०	१०,०००	१,४४,१८०
३१.	बुहाना	१,३६,७१२	१७,४५०	८,०००	१,६५,१६२
३२.	खेतड़ी	१,६४,२८५	१०,५००	८,०००	१,८२,७८५
३३.	सपोटरा	१,२६,४४२	—	३,०००	१,३२,४४२
३४.	खण्डार	१,११,६८०	—	४,०००	१,१५,६८०
३५.	बोंली	१,२५,६६८	—	३,०००	१,२८,६६८

१	२	३	४	५	६
३६.	फतहपुर	१,२३,६१६	६,०००	१०,०००	१,४२,६१६
३७.	पिपराली	१,१५,६३०	६,०००	५,०००	१,२६,६३०
३८.	घोंद	१,१८,००३	६,०००	१०,०००	१,३७,००३
३९.	खण्डेला	१,१६,४८३	६,०००	६,०००	१,३४,४८३
४०.	देवली	१,२४,२०७	५,०००	५,०००	१,३४,२०७
४१.	उनियारा	१,०७,८१०	५,०००	५,०००	१,१७,८१०
४२.	बरेणा	१,७२,११६	३१,५००	१०,०००	२,१३,६१६
४३.	बाड़मेर	१,१७,५६१	८,०००	२०,०००	१,४५,५६१
४४.	बैतू	१,०९,४१६	६,०००	२०,०००	१,३८,४१६
४५.	सिन्धरी	१,०४,४२७	६,०००	२०,०००	१,३३,४२७
४६.	छोटन	१,१७,१२७	४,०००	२०,०००	१,४१,१४७
४७.	साम	८०,७०३	—	१०,०००	९०,७०३
४८.	जालोर	१,३७,७३१	५,५००	५,०००	१,४८,२३१

१	२	३	४	५	६
४६.	रानीवाड़ा	१,१७,६५०	५,०००	५,०००	१,२७,६५०
५०.	बसवन्तपुरा	१,०६,६६६	७,५००	५,०००	१,२२,४६६
५१.	लूनी	६४,८६१	६,५००	१०,०००	१,११,३६१
५२.	शेरगढ़	६१,४६७	६,८००	१०,०००	१,०८,२६७
५३.	फलौदी	१,०७,२५६	३,०००	५,०००	१,१५,२५६
५४.	बाप	८४,५८८	७,०००	१०,०००	१,०१,५८८
५५.	नागौर	२,२८,७२१	—	२१,०००	२,४६,७२१
५६.	मून्डवा	१,२१,४८७	—	२१,०००	१,४२,४८७
५७.	परबतसर	१,१३,५०२	—	३०,०००	१,४३,५०२
५८.	रियाना	६६,०६३	—	३०,०००	१,२६,०६३
५६.	मेड़ता	१,३५,२०२	—	२०,०००	१,५५,२०२
६०.	जैतारण	१,२१,४६५	१२,४००	५,०००	१,३८,८६५
६१.	पाली	१,२७,८१३	५,०००	१०,०००	१,४२,८१३

१	२	३	४	५	५
६२.	रोहत	८२,०६६	७,५००	१०,०००	६६,५६६
६३.	सौगंज	१,१८,२६८	५,२००	१०,०००	१,३३,४६८
६४.	रोदार	१,१५,२६३	६,०००	१०,०००	१,३१,२६३
६५.	किशोरैंपतन	१,४२,७०५	७,५००	१०,०००	१,६०,२०५
६६.	पिरावा	१,३०,६५६	४,५००	५,०००	१,४०,१५६
६७.	बकानी	१,१८,०२२	८,३००	८,०००	१.३४,३२२
६८.	चेचट	१,४१,५२१	५,५५०	५,०००	१,५२,०७१
६९.	सागोंद	१,५४,७००	५,५५०	५,०००	१,६५,२५०
७०.	सुल्तानपुर	१,३७,४८२	५,५५०	५,०००	१,४८,०३२
७१.	छीपाबड़ोद	१,१४,१२८	५,५५०	५,०००	१,२४,६७८
७२.	गढ़ी	१,०४,०७१	५,५५०	५,०००	१,१४,६२१
७३.	सज्जनगढ़	१,२५,६६१	२,०००	४,०००	१,३१,६६१
७४.	मुखिया	१,१२,७२०	६,०००	५,०००	१,२६,७२०

१	२	३	४	५	६
७५.	पीपलखूट	१,१५,५७९	३,०००	४,०००	१,२२,५७९
७६.	बांसवाड़ा (है० क्वा० तलवाड़ा)	२,११,७१५	१५,०००	४,०००	२,३१,५७५
७७.	सुवाना	१,६९,९४१	३,५००	१०,०००	१,८३,४४१
७८.	हुरदा	१,१८,८५६	५,१००	८,०००	१,३१,९५६
७९.	गनेरा	१,०२,४२४	५,१००	८,०००	१,१५,५२४
८०.	रायपुर	१,१०,९२३	२,०००	८,०००	१,२०,९२३
८१.	सहारा	१,०५,८४३	७,८००	५,०००	१,१८,६४३
८२.	भवेसर	८२,५२६	४,२३५	३,०००	८९,७६१
८३.	डूंगला	८९,०६२	३,९९५	३,०००	९६,०५७
८४.	छोटी सादड़ी	१,१२,७७८	२,९८५	३,०००	१,१८,७६३
८५.	अचनेरा (है० क्वा०—आरनोद)	१,२९,३११	६,८३५	३,०००	१,३९,१४६
८६.	भैंसरोरगढ़	९९,९६९	६,२८५	३,०००	१,०९,२५४

१	२	३	४	५	६
८७.	सलूम्बर	१,६१,५०९	—	५,०००	१,६६,५०९
८८.	सारड़ा	१,५४,१६०	—	५,०००	१,५९,१६०
८९.	खेरवाड़ा	१,७२,८१८	—	४,०००	१,७६,८१८
९०.	भोपाल सागर	९०,४३७	—	४,०००	९४,४३७
९१.	झाड़ोल	१,४५,०९२	—	४,०००	१,४९,०९२
९२.	देवगढ़	९६,२१६	—	४,०००	१,००,२१६
९३.	भीम	१,२१,५३०	—	४,०००	१,२५,५३०

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ८ मार्च, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	
१८६५	१०	nto the	into the
,,	अन्तिम से२	This depan	This depend
१८६६	११	जनो के	जनों को
१०७२	शीर्ष	–८ माच	–८ मार्च
,,	३	डी० डल्यू०	डी० डब्ल्यू०
	अन्तिम से ३	मन्तिम रहा । हूँ	रहा हूँ
१८७३	१६	अगर हा	अगर हां
१८७७	८	ता ठेक	का ठेका
१८८४	७	खुवाड़ा तक	सुवाड़ा तक
१८९०	१७	हैं :—	हैं....
,,	२१	आवश्कता	आवश्यकता
१८९६	शीर्ष	तारांकत	तारांकित
,,	४	बताते हैं	बताये हैं
१९००–१	शीर्ष	– ८ मार्च	–८ मार्च
१९०३	२०	गई । धन राशि	गई धन–राशि
९१०५	२०	desiibality	desirability
१९१३	२	aiploma holder	dipolma-holder
,,	२९	यटि हां	यदि हां
१९२२	२	चुकार	चुकारा
१९२३	२	प्राथना	प्रार्थना
१९२५	८	किसकिस्म	किस किस्म
,,	अन्तिम	is deteri or ating	is deteriorating
१९३०	अन्तिम से ७	that emand	that Demand
१९३२	१२	per ye er	per year
१९३६	६	पर लेकिन	लेकिन
१९३७	अन्तिम से २	इस तरह	इसी तरह
१९३८	शीर्ष	मांम संख्वा	मांग संख्या
१९४२	,,	८ ᗺ ᗺर्च	८ मार्च
१९४४	अन्तिम से ६	सरकार जिस	सरकार ने जिस
१९४५	२७	क ार्य कर	कार्य कर
,,	अन्तिम से ३	कानर्शियल	कॉमर्शियल

१	२	३	४
,,	,, ,, २	सरकरार का	सरकार का
१६४६	१६	जौ १६५८	जो १६५८
१६४६-४७	शीर्ष	८ माच	८ मार्च
१६४८	३	नहोदय,	महोदय,
,,	२३	उसको तरफ	उसकी तरफ
,,	अन्तिम से ५	तप्परता दिखा	तत्परता दिखा
१६५१	शीर्ष	(५६-६६)	(५६-६०)
१६५२	अन्तिम	की रहत	की रहती
१६५३	,,	आपन तो	आप न तो
१६५४	८	करूगी कि	करूंगी कि
,,	६	और भ	और भी
,,	२०	इस पुरात्व	इस पुरातत्व
१६५५	४	ग्रन्थों का	ग्रन्थों का
,,	६-१०	से से यही	से यही
,,	१२	की और	की ओर
१६५६	शीर्ष	(डॉ० बपादुरसिंह)	(डॉ० बहादुरसिंह)
,,	अन्तिम से ७	अप्रातिक	अप्राकृतिक
,,	अन्तिम	में फर्क	फर्क
१६६०	१७	को उनकी	की उनको
१६६१	अन्तिम से ४	सिफारशों की	सिफारिशों की
१६६८	अन्तिम से ५	क पहले	कि पहले
१६७१	२	जाता है	आता है
१६७८	शीर्ष	-७ मार्च	-८ मार्च
,,	३	रही था	रहा था
,,	अन्तिम	क्टर्स के	कटर्स के
१६७६	४	अलउन्स	अलाउन्स
१६८३	६	पिट्स में	पिटस में
१६८४	२	स्पष्करण	स्पष्टीकरण
,,	२४	के सारे सारे	सारे के सारे
१६८५	अन्तिम से ५	श्री पी० के० चोधर	श्री पी. के. चौधरी
१६८६	१६	इम्पलिमेन्टस	इम्प्लीमेन्ट्स
,,	अन्तिम से ५	कॉलेर	कॉलेरी
१६८८	शीर्ष	मांग संख्या ७७	मांग संख्या ७८
१६८६	६	सदस्यां ने	सदस्यों ने

१	२	३	४
,,	१०	उठायेगा ।	उठागी ।
१९९२	१३–१४	को को समाप्त	को समाप्त
१९९८	१३	मैं जब तक	जब तक
२००४	अन्तिम से४,३	रह ताहै	रहता है
२००६	२१	कि इसमें मुख्य	कि मुख्य
२००६–७	शीर्ष	८ माच	८ मार्च
२००६	अन्तिम	अगर सेश्न	अगर सैशन
२००९	१२	ओनस्ट करप्शन	ओनेस्टी करप्शन
,,	अन्तिम से ३	हा है	ही है
२०१०	६	बहुत शख्त	बहुत सख्त
,,	शीर्ष	सामाय प्रशासन	सामान्य प्रशासन
२०११	१२	की शख्त	की सख्त
२०१२	२३	डी. सी. जी.	डी. सीज़
२०१५	४	अकाउण्ट बुक्स	अकाउन्ट बुक्स आदि का
२०२०	२०	वाकवा....है	वाकयातों का अच्छा इल्म है ।
२०२१	अन्तिमसे २	परवाह कि....न्याय	परवाह किये वगैर भी मैं बोलूंगा न्याय
२०२३	अन्तिमसे ५	शासन जज	सैशन जज
२०२८–२९	शीर्ष	८ मर्च	८ मार्च
२०४१	अन्तिम	इन्वेल्वड है ।	इन्वोल्वड है ।
२०४२	अन्तिम से४	राय ली	राय दी
		them of adurse......him)	then of course shall proced
२०४५	६	डिपार्टमेन्टले कराई	डिपार्टमेन्टल इन्वायरी
,,	७	—	—
२०४७	शीर्ष	सागन्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन
२०४८	९	हेप हे जर्ड	हेप हेजार्ड
२०४९	१४	कटौती की	कटौती का
२०५२	शीर्ष	मांग संख्या	मांग संख्या
२०६०	शीर्ष	शेष अनुपू	शेष अनुपूरक
२०६४	प्रथम	वार्षिक भित्ते	वार्षिक भत्ते
२०७५	शीर्ष	विधेयक १९६०	विधेयक,१९६०
२०८३	५	काय सलाहकार	कार्य सलाहकार